Thursday, 01 May, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 52 गुरुवार, 1 मई, 1969/11 वैशाख, 1891 (शक)
No.—52 Thursday, May 1, 1969/Vaisakha 11, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1441.	मिल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण / Construction of Residential Quarters for Mill workers	1—5
1442.	डाक व तार विभाग में हिन्दी का काम / Hindi work in P and T Department	5—11
1444.	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड में संयुक्त प्रबन्ध परिषद् / Joint Management council in Hindustan Insecticides Ltd.	11—14
1449.	दालों का उत्पादन / Production of Pulses	14—16
1452.	चावल की वसूली / Procurement of rice	16—18
1456.	विकलाँग व्यक्तियों की बढ़ती हुई बेरोजगारी / Increasing unemployment of disabled Persons	18—19
1462.	मनीला में खाद्य और कृषि संगठन की विचार-गोष्ठी / F. A. O. Semtnar in Manila	19—20
1468.	ट्रैक्टरों का आयात / Import of Tractors	20—21

अल्पसूचना प्रश्न संख्या — SHORT NOTICE Q. NO

20.	राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में मौतें / Deaths in Famine affeated areas of Rajasthan	21—25

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	Pages
तारां० प्रश्न संख्या	STARRED Q. NOS.	
1443. तार आदि की दरों में वृद्धि होने के बाद डाक विभाग की आय में वृद्धि	Increase in postal Revenues after Enhancement of Telegram Rates etc.	25
1445. गुजरात में सूखे की स्थिति	Drought in Gujarat	26
1446. कीड़ों के कारण अनाज की क्षति	Loss of Foodgrains due to Pests	26—28
1447. विज्ञान सम्मेलन	Science Congress	28—29
1448. राशन में दी जाने वाली चीनी की कीमत में वृद्धि	Increase in price of Rationed sugar	29
1450. उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	29
1451. 19 सितम्बर, 1968 को डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike of P and T Employees in September 1968	29—30
1453. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मध्य प्रदेश को घटिया बीज दिया जाना	Supply of inferior quality seeds to Madhya Pradesh by National Seeds Corporation	30
1454. हरियाणा में आटे की मिलों को गेहूँ के कोटे का नियतन	Allotment of wheat quota to flour Mills in Haryana	30—31
1455. गेहूँ का उत्पादन तथा वसूली	Production and Procurement of wheat	31
1457. बर्मा से लौटने वाले भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians repatriated from Burma	31—32
1458. शामगीर फार्म (दिल्ली) से हरिजन खेतिहरों की बेदखली	Eviction of Harijan Cultivators from Shamgeer Farm (Delhi)	32
1459. पाकिस्तान को इमारती लकड़ी का बह जाना	Flowing of Timber into Pakistan	32—33
1460. डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Medical re-impursement to P and T Employees	33
1461. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की क्रियान्विति	Implementation of the Employees Provident Fund Act, 1952	33—34

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1463. आवारा पशुओं पर व्यय	Expenditure on abandoned animals	34—35
1464. उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए लगाए गये नलकूप	Nnmber of tubewells sunk in Uttar Pradesh for Irrigation	35—36
1465. त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का कल्याण	Welfare of Tribals in Tripura	36
1466. यूनिसेफ से दूध के संयंत्र की मशीनें	Milk plant machinery from UNICEF	36—37
1467. खाद्य क्षेत्रों की समाप्ति	Abolition of Food Zone	37—38
1469. गुजरात में चीनी बनाने के कारखाने	New Sugar Factories in Gujarat	38
1470. चीनी पर से नियन्त्रण हटाना	Decontrol of sugar	38—39

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

8234. गुजरात में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Minor Irrigation Projects in Gujarat	39—40
8235. भारतीय श्रम प्रबंध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली	Indian Institute of Lobour Management studies, New Delhi	40—41
8236. औद्योगिक सम्बंधों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण	Refresher course Training in Industrial Relations	41—42
8237. जिला गढ़वाल (उ० प्र०) में पौड़ी नामक स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Pauri, District Garhwal (Uttar Pradesh)	42—43
8238. खाद्य तेलों का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Edible Oils	43
8239. टेलीफोन 'कायन बाक्सों' से प्राप्त राशि में अन्तर	Difference in Amount Realised from Telephone coin Boxes	43—44
8240. आकाशवाणी में 'साउंड एण्ड म्यूजिक रिकार्डिंग इंजीनियर'	Sound and Music Recording Engineers in AIR	44—45
8241. चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8242.	आकाशवाणी के नायक कलाकार	Singing Artistes of AIR	46
8243.	आकाशवाणी में सिब्बन्दी अधिकारियों की बारी-बारी से नियुक्ति	Rotation of Establishment officers of AIR	46
8244.	आकाशवाणी के असिस्टैंट स्टेशन इंजीनियर	Assistant Station Engineers in AIR	46—47
8245.	रूई का उत्पादन	Production of Cotton	47—48
8246.	गोदी मजदूरों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Wage Board on Dock Workers	48
8247.	देश में दूध और घी की मांग तथा उत्पादन	Demand and production of Milk and Ghee in the country	48—49
8248.	दूरस्थ स्थानों के लिए पारेषण उपकरणों का निर्माण	Manufacture of long distance Transmission equipment	49
8249.	कृषि फार्मों के लिए रूस से मशीनों का आयात	Import of Machinery from Russia for Farms	50
8250.	अमर डाई कैम लिमिटेड, कल्याण में कदाचार	Malpractices in Amar Dye Chem Limited, Kalyan	50
8251.	बचत बैंकों में हिन्दी में कार्य करना	Hindi Working in the Saving Banks	50—51
8252.	उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation schemes in U. P.	51
8253.	अंगूरों की खेती	Cultivation of Grapes	51
8254.	गुजरात में अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता	Assistance to Famine Affected Areas in Gujarat	52
8255.	गुजरात मे कपास की उपज	Cotton Yield in Gujarat	52
8256.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of foodgrains in Gujarat by Food Corporation of India	53
8257.	आन्ध्र प्रदेश में सहकारी ग्राम समितियां	Village cooperative societies in Andhra Pradesh	53

अता० प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठे Pages
8258. डाक तथा तार सर्किलों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers in P. and T. Circles	54
8259. डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी	Female workers in P and T	54
8260. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in the Ministry of Food and Agriculture	54
8261. चावल का निर्यात	Export of Rice	55
8262. रेलवे कर्मचारियों के श्रम विवाद सम्बन्धी लम्बित मामले	Pending cases of labour disputes of Railway Employees	55
8263. आकाशवाणी, दिल्ली से गढ़वाली लोक गीतों का प्रसारण	Broadcast of Garhwali Folk Songs from AIR Delhi	56
8264. त्रिवेन्द्रम पत्तन से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains through Trivandrum port	56—57
8265. मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Madhya Pradesh	57—58
8266. मध्य प्रदेश में बिजली के नलकूपों के लिए नियतन	Allocation for power tube wells in Madhya Pradesh	58
8267. मध्य प्रदेश में अधिक शीत के कारण फसल का नष्ट होना	Destruction of Crop due to severe Cold in Madhya Pradesh	58—59
8268. पश्चिम रेलवे में रेलवे डाक सेवा के नये डिजाइन के डिब्बों का प्रयोग	Introduction of newly designed RMS compartments on Western Railway	59
8269. टेलीविजन पर किसानों के लिये कार्यक्रम	Programme for Farmers on Television	59
8270. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय	Central Welfare Ministry for Industrial Workers	59—60
8271. गौहत्या पर प्रतिबन्ध	Ban on Cow Slaughter	60
8272. राष्ट्रीय श्रम नीति का निर्धारित किया जाना	Formulation of National Labour policy	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8273.	दरभंगा में टेलीग्राफ डिवीजन का बनाया जाना	Creating of a Telegraph Division in Darbhanga	60—61
8274.	नई दिल्ली में व्यवसाय प्रशिक्षण के लिये नई योजना	New Plan for Teaching of Trades in Delhi	61
8275.	सिवार (राजस्थान) स्थित सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय को टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तित करना	Conversion of Public call Office Siwar (Rajasthan) into a Telephone Exchange	61—62
8276.	राजस्थान में नई चावल मिलें	New rice mills in Rajasthan	62
8277.	सहकारी क्षेत्र में और अधिक चावल मिलें	More rice mills in cooperative Sector	62
8278.	सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों में भूमिगत पानी का सर्वेक्षण	Survey of under-ground water in Sawai-Madhopur and Jaipur Districts	63
8279.	सिंचाई के लिए खारा पानी	Brakish water for irrigation purposes	63
8280.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV employees of Indian Agricultural Research Institute	64
8281.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद	Class III and IV posts in Indian Agricultural Research Institute	64
8282.	उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रशिक्षण और शिक्षा का कार्यक्रम	Farmers' Training and Education Programme in Uttar Pradesh	64—65
8284.	भारत में दुग्ध संयंत्रों के लिए मशीनों का आयात	Import of Machines for Milk Plants in India	65—66
8285.	दूध की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट	Fall in per capita consumption of Milk	66
8286.	केन्द्रीय राज्य फार्मों के बारे में नीति	Policy on Central State Farms	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8287. रात्रि हवाई डाक सेवा की बीसवी वर्षगांठ के अवसर पर रफी अहमद किदवई की स्मृति डाक टिकट जारी करना	Commemorative stamps on Rafi Ahmed Kidwai on 20th Anniversary of Night Airmail Service	67
8388. भारतीय खाद्य निगम द्वारा ली जाने वाले खाद्यान्नों की लागत	Costs of Foodgrains charged by Food Corporation of India	67—68
8289. मध्य प्रदेश में डाकघरों की संख्या	Post Offices in Madhya Pradesh	68—69
8290. उज्जैन श्रम उप-डिवीजन के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Employees by Industrial Undertakings under Ujjain Labour Sub-Division	69
8291. होटल प्रबन्ध, जलपान व्यवस्था और पोषाहार संस्था, नई दिल्ली	Institute of Hotel Management catering and Nutrition, New Delhi	69—70
8292. आदिम जातियों की स्थिति में सुधार	Improvement in the Condition of Tribals	70
8293. बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons	70—71
8294. अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की श्रेणी तीन से श्रेणी दो में पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes from Class III to Class II	71
8295. बीजों का निर्यात	Export of seeds	71—72
8296. बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बीजों का आयात	Import of seeds for Multiplication	72
8297. आकाशवाणी के लिए निगम	Corporation for AIR	72
8298. दिल्ली में खुले सिनेमाघर	Open Air Cinemas in Delhi	72—73
8299. कर्मचारी भविष्य निधि के विनियोजन का तरीका	Pattern of Investment of Employees Provident Fund	73
8300. छुट्टी मनाने के मामले में दिल्ली में तार घरों को प्रशासनिक कार्यालय घोषित करना	Declaration of Telegraph Offices in Delhi As Administrative Offices for observing Holidays	73—74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8301.	उत्तर प्रदेश को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to U. P.	74—75
8302.	हैदराबाद में प्रैस सूचना विभाग के कार्यालय पर आक्रमण	Attack on Press Information Bureau Office at Hyderabad	75
8303.	तमिलनाडु में सूखा	Drought in Tamil Nadu	75—76
8304.	बंगाली चलचित्र 'मनुषेर जय यात्रा' को सेंसर करना	Censoring of Bengali Firm Manusher Jaijatra	76
8305.	अमरीका द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए उपहार	American Free Gift articles for West Bengal	77
8306.	पश्चिमी बंगाल को ट्रैक्टरों आवश्यकता	Requirement of Tractors of West Bengal	77
8307.	पश्चिम बंगाल को गेहूं चावल तथा चीनी का नियतन	Allocation of Wheat, Rice and Sugar to West Bengal	77—78
8308.	जम्मू तथा काश्मीर सामूहिक श्रवण संस्था	Jammu and Kashmir Community listening Organisation	78
8309.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	78—79
8310.	वन पर आधारित उद्योगों के लिए जम्मू में पूंजी विनियोजन से पहले सर्वेक्षण	Pre-Investmemt Survey in Jammu for Forest based Industries	79
8312.	आकाशवाणी से पहाड़ी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Pahari Programme for AIR	79—80
8313.	अमरीका द्वारा भारत को गेहूं देने की पेशकश	US Officer of Wheat in India	80
8314.	मैसूर में मांडया जिले में पैकेज योजना	Peakage Plan in Mandya District of Mysore	80—81
8315.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा धान की अधिक उपज वाले बीज का विकास	High Yielding variety of Paddy Developed by Indian Agricultural Research Institute	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8316.	अधिक उपज वाली अनाज की किस्मों के बारे में अनुसंधान	Research in High Yielding Varieties of Foodgrains	82
8317.	कृषि कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to students of Agricultural Colleges	82—83
8318.	टेलीफोन केन्द्रों में तार की कमी	Shortage of Cables in Telephone Exchanges	83
8319.	"अपना टेलीफोन लगवाइये" और इस योजना से भिन्न योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र	Number of Applications for OYT and Non-OYT Scheme	83—84
8320.	'खोया' बनाने तथा क्रीम निकालने पर प्रतिबन्ध	Ban on Preparation of Khoya and Extraction of Cream	84
8321.	'बाल आहार' और 'पीनट बटर' का उत्पादन	Production of Bal Ahar and Pea Nut Butter	85
8322.	हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाएं	Publications brought out in Hindi	85
8323.	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in U. P.	85—86
8325.	अंगूर की बेलें उगाना	Vine Growing	86
8326.	फसल काटने के यंत्रों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों का आयात	Import of Harvesters and Agricultural Machinery	86—87
8327.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	88—89
8328.	छोटे किसानों को छोटे किटों की सप्लाई	Supply of Mini Kits to Small Farmers	89
8329.	राज्य फार्म निगम	State Farm Corporation	89—90
8330.	"टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम	"Today in Parliament" Programme	90
8331.	स्विटजर लैंड के कृषि विशेषज्ञों का संथाल परगना क्षेत्र (बिहार) का दौरा	Visit of Agricultural Experts from Swizerland to Santhal Parganas (Bihar)	90—91
8332.	नई दिल्ली में टेलीफोन मंजूर करना	Sanctioning of Telephone connection in New Delhi	91

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8333. तीस हजारी टेलीफोन केन्द्र से रजिस्टर्ड मामलों का दिल्ली गेट एक्सचेंज में भेजा जाना	Transfer of Registered cases from Tis Hazari Telephone Exchang to Delhi Gate Exchange	91
8334. दरभंगा जिला (बिहार) में रयाम फैक्टरी में डाकघर	Post Office in Ryam Factory Dharbanga Distt. (Bihar)	91—92
8335. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of Workers in Public and Private Sector Industries	92
8336. सिनेमा कर्मचारियों को कर्मकारी भविष्य निधि के लाभ	Employees provident Fund Benefits to Cinema Employees	92—93
8337. फिल्म उद्योग में रोजगार के बारे में कानून	Legislation for Film Industry Employment	93
8338. गोआ में चीनी बनाने के कारखाने	Sugar Factories in Goa	93—94
8339. आकाशवाणी केन्द्र, पणजी (गोआ) में मराठी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Mar thi Programme From Panaji (Goa)	94
8340. गोआ में मल्लाहों की हड़ताल	Strike by Bargemen in Goa	94—95
8341. वर्षा पर निर्भर खेती के लिए अधिक उपज देने वाली अनाजों की किस्में	High Yielding varieties of Food-Grains for Rainfed Cultivation	95
8342. सघन भूमि तथा जल संबंधी सर्वेक्षण	Intensive soil survey and Hydrological Survey	95—96
8343. विमानों से उर्वरकों का छिड़कना	Aerial Spraying of Fertilizers	96
8344. संगीत तथा नाटक प्रभाग के निदेशक के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against Director of Song Drama Division	96—97
8345. वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में शरणार्थियों को आवंटित किये गये क्वार्टरों के लिए भूमि	Land for Quarters allotted to Refugees in West Patel Nagar, New Delhi	97

प्रा० त० संख्या U. S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8346. किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं. बिजली, उर्वरक तथा बीजों की व्यवस्था	Provision of irrigation facilities, Electricity, Fertilizers and Seeds to Farmers	97
8347. कृषि उपज का मूल्य	Price of Agricultural Produce	98
8348. कोयला खानों से कोयले की खरीद	Purchase of coal from Collieries	98—99
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	99
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की नौसेना के सम्बन्ध में समान नीति के लिए इण्डोनेशिया का कथित आमन्त्रण	Reported invitation by Indonesia for common policy *re* Naval defence of South East Asian Countries	99
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	99—100
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surenderpal Singh	100—101
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	101—102
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	Indian Penal Code (Amendment) Bill	102
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Report of Select Committee	102
साक्ष्य ; तथा ज्ञापन	Evidence ; and Memoranda	102—103
आवश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम आदि के निरसन के बारे में याचिका	Petition re. repeal of Essential Service Maintenance Act, etc.	103
सभा का कार्य	Business of the House	103—104
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	104
पैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-fifth Report	104
वित्त विधेयक, 1969	Finance Bill, 1969	104
खंड 2 से 12	Clause 2 to 12	104—117
महा न्यायवादी	The Attorney General	117—123
विधेयक पुरः स्थापित	Bills Introduced	123
मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	Trade Unions (Amendment) Bill	123
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम द्वारा (धारा 2 का संशोधन तथा धारा 4, 5 आदि का प्रतिस्थापन)	(Amendment of Section 2 and substitution of sections 4, 5 etc.) by Shri Tenneti Viswanatham	123

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	123
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम द्वारा (अनुच्छेद 86 और 175 का संशोधन तथा अनुच्छेद 87 तथा 176 का हटाया जाना)	(Amendment of articles 86 and 175 and ommission of articles 87 and 176) by Shri Tenneti Viswanatham	123
व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करना (समाप्ति) विधेयक श्री जी० भा० कृपलानी द्वारा	Conferment of Decorations on persons (Abolition) Bill by Shri J. B. Kripalani	123—124
संविधान (संशोधन) विधेयक श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 217 and 224) by Shri Om Prakash Tyagi	124
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	124—130
श्री कामेश्वर सिंह द्वारा (धारा 75, 164 आदि का संशोधन)	(Amendment of articles 75, 164 etc.) by Shri Kameshwar Singh	124
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	124—125
चौधरी रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	125
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	125—126
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	126
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka	126
श्री एम० एस० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	126—127
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	127
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	127—128
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	128
श्री हुमायूं कबिर	Shri Humayun Kabir	128—129
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	129
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	129—130
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	130
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	130

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 मई, 1969/11 वैशाख, 1891 (शक)

Thursday, May 1, 1969/Vaisakha 11, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Construction of Residental Quarters for Mill Workers

+

*1441. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Singh : **Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of residental quarters constructed by the Mill-owners for mill workers along with the number out of those constructed in Delhi during the last three years ;

(b) the number of workers who need residential quarters ;

(c) whether Government would bring forward a Bill to make it obligatory for the Mill-owners to spend a part of their income for the construction of residential quarters for the workers ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The matter relates to the State Governments and the information is not readily available.

(c) and (d). This will be considered in consultation with the State Governments.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, the Mill workers are facing acute shortage of residential accommodation and even after 22 years of Independence this problem is assuming dangerous proportion. In all nearly 3500 quarters are available to the entire industrial organised labour in Delhi whereas their total requirement is nearly 200,000 quarters. The result was that there were 60,000 Jhugies in 1960 in which 200,000 people belanging to the families of the labourers had been living. So, I want to know from the hon. Minister whether any legislation will be enacted in this regard for the factory owners in consultation with State Government.

I want to know the extent of assistance being given by the Government to the factory owners, labourers or Cooperative Societies, so that more and more quarters can be constructed for the labourers.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that satisfactory progress has not been made in the matter of constructing houses for the workers as a result of the assistance given by Central Government of the State Governments or the employers. The Central Government has given 50% amount as loan and 50% as grant to those State Governments or employers who wanted to construct houses for the workers, but keeping in view the number of workers the disired progress has not been achieved in this ragard. We propose to have and we are having consultations with the State Governments and the factory owners as suggested by the hon. Member, so far as the quetstion of Cooperative Societies is co ncerned, his question is appreci ated. We are giving loans to Cooperatives Societies and in case the workers Constitute their co-operative societies, in that case loan will be given to those Societies not only through the Government but through other means also.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has accepted the seriousness of the problem and he has also accepted that despite their efforts this problem had not been solved. The Condition in Delhi is that the rental value of a garage having no Kitchen, latrin and bathroom is Rs. 100 per month. So what ever increase is made in the wages of a worker it would go as rent and he would remain the same poorman as today.

So my question is whether any legislation will be enacted in this regard and in case you are not prepared to enact a legislation for all factory oweners, whether you will advise the State Governments to enact laws making it obligatory for the mill owners to spend a part of their income for the construction of residential quarters for the workers ?

Secondly, I want to know the amount given to State Governments as loan and the amount given to them as grants during the last to years and the number of quarters constructed for the workers, so far.

Shri Bhagwat Jha Azad : So far as the question of legislation in concerned. I want to say that this question does not cover the workers of Delhi only, but it covers the workers of the entire country and the legislation should be for the workers of the entire country. If we enact a law in this regard we have to consider this point whether that law should be made applicable to those factories in which 50 workers are working or on those in which 100 workers are working or on all factories. In part also the Central Government has been considering this question for many years, but we are unable to take a decision in this regard and we have to consult the State Governments. The most difficult question is that of land. The State Governments and the employers have said that they are ready to construct houses for the workers, but they are unable to get land. It is very difficult to get land near the factories for constructing houses for the workers. We will definitely consider the question in consultation with the State Governments as suggested by the hon. Member.

Shri Kanwal Lal Gupta : The hon. Minister have not given the figures of the loans advanced during the last two years.

Shri Bhagwat Jha Azad : The figures are not available with me.

Shri Onkar Singh : Will the hon. Minister be pleased to state the time by which the problem of shortage of residential accommodation of the workers is likely to be solved and also the criterion as which the quarters will be allotted ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not possible to give the time by which this problem will be solved. So far as the question of the allotment of the quarters is concerned this work is done by the State Governments and the employers. However, we are pained to note that same State Governments have allotted the quarters meant for the workers to those who are entitled to general pool accommodations, We have objected to this. We are

having correspondance with the concerned States in this regard and we have warned them that in case they do not discontinue their practice we will be compelled to withdraw the entire amount of loan as well as grants.

श्री लोबो प्रभू : इस योजना से तीन पार्टियां सम्बन्धित हैं अर्थात राज्य सरकार, नियोजक तथा श्रमिक। मुझे मंत्री महोदय से पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वह इस समस्या को हल करने के लिये उत्सुक हैं, परन्तु सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि इन तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने इस बारे में गहरी दिलचस्पी नहीं ली है। राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों का उपयोग नहीं किया जा रहा। श्रमिक उन्हें आवंटित किये गये मकानों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा नियोजक अनुदानों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या आपने पता लगाया है कि इस योजना में दिलचस्पी ने लिये जाने के क्या कारण हैं ? श्रमिक को ब्याज के रूप में उससे कहीं अधिक राशि देनी पड़ती है, जो उन्हें मकान भाड़ा भत्ते के रूप में देनी होती है। श्रमिक उस मकान में केवल अपने सेवा काल में ही रह सकते हैं। ज्योंही वे नौकरी छोड़ते हैं, उनका मकान पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई जाती जिससे श्रमिकों को मकानों पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाये। श्रमिकों की भविष्य निधि से धन का उपयोग किया जा सकता है तथा ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिससे वह मकान उन्हें केवल सेवाकाल के लिये ही न दिया जाये, बल्कि उनकी उनकी मलकियत हो जाये और सेवा मुक्त होने के बाद भी उनमें रह सकें।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य का विचार बहुत अच्छा है। मैं उनके विचार का स्वागत करता हूँ। श्रमिकों को मकान दिये जाते समय हमने उन्हें उनको खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया था और वे किस्तों में उनकी राशि का भुगतान कर सकते थे परन्तु किन्हीं कारणों से यह योजना सफल नहीं हो सकी। अब भी हम यह महसूस करते हैं कि ऐसी योजना होनी चाहिये जिससे श्रमिकों की लाभ हो सके। इसलिये हमने "अपना घर बनाइये" योजना बनाई है तथा उसके लिए अन्य स्रोतों से ऋण देते हैं, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है "अपना घर बनाइये" योजना के लिये हम भविष्य निधि से भी ऋण देने को तैयार हैं। जहां तक तीनों साझेदारों द्वारा दिलचस्पी न लिए जाने का सम्बन्ध है, चाहे इसके कोई भी कारण हों, हमने इस समस्या को हल करना है तथा उनको यह सलाह देनी है कि इस योजना को जारी रखा जाये एवं सफल बनाया जाए।

Shri Sheo Narain : The hon. Minister has said that land is not available for constracting houses. But those houses which have already been built can be converted into double storeyed and triple storeyed houses.

Shri Bhaghat Jha Azad : It is good idea. It is a suggestion for action.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मंत्री ने भूमि न मिलने का कठिनाई का जो उल्लेख किया गया, यह कठिनाई नहीं पेश आती है जहां कि पहले ही कारखाने बने हुए हैं, क्यों कि वहां आस-पास के क्षेत्रों में पहले ही मकान बने हुए हैं। परन्तु नये कारखानों तथा नए उद्योगों, जिनके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, के लिए सरकार यह शर्त क्यों नहीं लगा देते कि नये कारखानों के मालिकों के लिए न्यूनतम इतनी संख्या में श्रमिकों के लिए मकान बनाने भी जरूर होंगे ? क्या ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं लगाई जा सकती है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने कहा है कि मकान उपलब्ध कराने की शर्त होनी चाहिए, क्योंकि जब तक श्रमिकों को अच्छे मकान नहीं दिए जायेंगे उनका अपने काम में दिल नहीं लगेगा तथा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो सकेगा। हमने हमेशा इस बात को प्रोत्साहित किया है तथा नियोजकों एवं राज्य सरकारों के सामने भी यह विचार रखा है। परन्तु कठिनाई यह है कि यह शर्त केवल कानून द्वारा ही लगाई जा सकती है और कानून के बनाने के बारे में हम अपनी कठिनाई पहले ही बता चुके हैं। तथापि हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के परामर्श करेंगे और कुछ समझौता करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इसमें राज्य सरकारों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न उन नये उद्योगों के लिए है जिनके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस देते समय यह शर्त लगाई जा सकती है।

श्री भागवत झा आजाद : नए उद्योगों के लिए लाइसेंस देने में भी राज्य सरकार संबंधित है।

श्री बल राज मधोक : लाइसेंस तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : सब लाइसेंस नहीं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has stated that there are a number of such companies and factories as have no residential accommodation for their employees. I want to know whether there is any scheme under Government's consideration that licences should be given for setting up companies or factories in rural areas rather than in urban areas because in rural areas plenty of land is available and the people will get employment as well as houses and there will be no difficulty for the factories.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is right that factories should also be set up in rural areas. But land is not the only consideration for setting up a factory, there are other considerations also such as raw material and resources which have to be kept in view. So I am not in a position to say that factories will be set up only in rural areas.

श्री ई० के० नायनार : हमारे पास देहाती गृह-निर्माण योजना है, नगरीय गृह-निर्माण योजना है, निगमित गृह-निर्माण योजना है तथा कृषि श्रमिक गृह-निर्माण योजना है, परन्तु जहां तक औद्योगिक श्रमिकों का सम्बन्ध है उनके लिए कोई व्यापक योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोई व्यापक गृह निर्माण योजना बनाएगी ? राज्य सरकारों की सहायता से केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जाने चाहियें। क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में पहल करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : वास्तव में इस समय हमारे पास जो योजनायें हैं, उन्हें हम राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन्हें अनुदान अथवा ऋण देते हैं और राज्य सरकार उन्हें स्थानीय निकायों तथा अन्य अभिकरणों के द्वारा क्रियान्वित कराती हैं।

Shri Baswant : I want to know whether in order to remove the disparity regarding the availability of quarters to workers the hon. Minister has decided that more quarters should be constructed in these areas where there are more workers. For example there are 50,000 workers in the Thana District of Maharashtra, but no residential quarter has been

constructed there. I would like to know the time by which this disparity is likely to be removed ?

Shri Bhagwat Jha Azad : So for as the question of time is concerned I am unable to answer this question. Under the scheme the construction of houses is entrusted to State Governments. They are at likely to construct as many houses as they like. We are only concerned with giving there money in the form of grants and loans.

Shri Ramesh Chandra Vyas : I want to know whether the hire-purchase scheme was there when these quarters were constructed. I want to know the difficulty in implementing the hire-purchase scheme. When people are living in those houses, why they are not made owners of those houses ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The hire-purchase scheme is there at present also and try to give them houses as instalment-basis. But the difficulty is that after establishing in those quarters the workers have their jobs and they are replaced by new workers. So the new workers are deprived of this facility. That is why we want that instead of hire-purchase scheme emphasis should be given to "Build your own House Scheme".

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् . इस कठिनाई को देखते हुए क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इस योजना को दो भागों में बांटा जाये । जहां मकान बनाए जाते हैं, वहां उन्हें श्रमिकों को किराये पर दिया जाए तथा जहां भूमि का अर्जन किया जाता है, वहां श्रमिकों को प्लाट दिए जायें ताकि वे अपने मकान बना सकें ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य का प्रस्ताव बहुत अच्छा है । जहां तक उनके प्रस्ताव के आखिरी भाग का सम्बन्ध है, हमारे पास "अपना घर बनाइये" योजना है ।

Hindi Work in P & T Department

+

*1442. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the details of the work being done in Hindi in the post and Telegraphs Department and in Telephone Department ;

(b) whether it is proposed to start the entire official work in Hindi in Post Offices, Telegraph Offices etc. in Hindi-speaking States and in Punjab, Maharashtra and Gujarat ; and

(c) if not, the reasons therefor :

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) During the bilingual phase as announced by the Official Languages (Amendment) Act. 1967, following work is being done in Hindi also :

(1) Resolutions
(2) General Orders
(3) Rules
(4) Gazette Notifications
(5) Administrative and other Reports
(6) Press Communiques

(7) Parliamentary work

(8) Contracts

(9) Agreements

(10) Licences

(11) Permits

(12) Forms of Tender

(13) 15% of Telephone Directories for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P. Circles and for the Delhi Telephone District. It is proposed to bring out the Telephone Directories of the Punjab Circle and Hyderabad and Bombay Telephone Districts also in Hindi.

Besides, Hindi is being used for :

(1) Replying Hindi Communications

(2) Reports and Journals

(3) Correspondence with State Governments which have adopted Hindi as their official language

(4) Communications to Class IV Officials

(5) Invitation Cards for Government functions

(6) Welfare Circulars

(7) Printing the Stationery

(8) Stamps and seals

(9) Noting and drafting.

(b) No, Sir.

(c) during the bilingual phase it is not desirable that the entire work of these states should be transacted in Hindi alone.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I want to know the number of such telegraph offices in the country in which arrangements are there for sending telegraphs in Hindi also :

Shri Sher Singh : The total number of telegraph offices in the Country is 9920 and out of them in 3158 telegarph offices there are arrangements for sending telegraphs in Hindi.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the hon. Minister be pleased to state whether the Saving Bank Accounts are maintained in Hindi in those states whose official language in Hindi and if not whether, keeping in view of the fact that a majority of rural population know Hindi only, the Savings Bank accounts will be maintained in Hindi in order to encourage them to open their accounts.

Shri Sher Singh : The Savings Bank accounts are being maintained in Hindi and so far so in many branch offices at various places these are being maintained in regional languages also. As the depositors speak and know the local languages, this facility has been given to them.

Shri Ram Charan : I want to know whether in those state whose official language is Hindi it will be made compulsory for all Post and Telegraph Offices to do their entire correspondence work in Hindi irrespective of the fact that the correspondence is with other states or with the Centre or among the officials themselves, and the time by which it is likely to be done.

Shri Sher Singh : I have just know stated that bilingual system is going on. It is very difficult to have a complete change over to Hindi in regart to entire correspondence. But we are trying that, with Hindi speaking states the maximum possible correspondence should be in Hindi. It is very important and we will see that it is done.

Shri Molahu Prasad : May I know the total number of the reports presented by the study groups regarding his Ministry and its attached and subordinate offices in 1968-69 and the number of those out of them published in Hindi as well as in English.

May I also know the percentage of the forms printed each in Hindi and English during the year 1968-69 ?

What was the percentage of the telegrams originally received in Hindi and can they not duly translated in English during the same period ?

Shri Sher Singh : It would be difficult to give all the details off hand. I want notice.

Shri Molahu Prashad : Let him give the percentage.

Shri Sher Singh : When figures are not available how the percentage can be worked out ?

Shri Molahu Parshad : At least the first part of the question may be answered. That you can do.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को संख्या ज्ञात नहीं हैं, अतः उसके लिए उन्हें समय चाहिए ।

Shri Molahu Parshad : What is this ? I am not demanding the figures pertaining to the family planning. The notice was already given and the hon. Minister would have come duly prepared to answer the questions.

Shri Sher Singh : In the main question the details of the work being entertained in Hindi by the Post and Telegraph Department were asked for and the pattern being followed by this Department has already been mentioned by me. But since such a detailed information is required to be collected it would eventually require a considerable period of time.

श्री वी० कृष्णामूर्ति : अध्यक्ष महोदय ! मैं समझता हूं कि कुछ लोग हिन्दी में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों पर हिन्दी थोपने का षड्यंत्र रच रहे हैं तथा यह भारत के हितों के प्रतिकूल है । मंत्री महोदय एक सूची का ब्यौरा दे रहे थे जो हिन्दी थोपने के विषय में थी । यह कार्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की थी ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न रखिए । तुगलक कौन है यह निर्णय करना कठिन है ।

श्री वी०कृष्णामूर्ति : वहां बैठे हुए तुगलक ही के प्रतिनिधि हैं । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने से देश की एकता को हानि होगी । केवल इतना ही नहीं है मद्रास तथा अन्य दाक्षिणी क्षेत्रों के रेलवे तथा डाक-तार विभाग के अधिकारी अन्य कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये विवश कर रहे हैं तथा उनका कहना है कि यदि वे हिन्दी नहीं सीखेंगे तो उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे । इस तथ्य के कई उदाहरण मेरे पास हैं । मेरे पास सरकारी

परिपत्रों की प्रतियाँ हैं। क्या सरकार ऐसी बातों को टोकेगी तथा क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? हमने इस बारे में एक संकल्प पारित किया था तथा सरकार उस संकल्प का उल्लंघन कर रही है और हिन्दी को अप्रत्यक्षरूप से ऐसे व्यक्तियों पर लाद रही है जिनकी उसमें रुचि नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राज्यों के कुछ कार्यालयों में अहिन्दी भाषी लोगों पर इस प्रकार हिन्दी का भार डालने ने उन्हें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या उपाय करेगी ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : महाराष्ट्र के व्यक्तियों को इससे कोई कठिनाई नहीं हुई।

श्री शेर सिंह : मुझे यह शंका थी कि कम से कम आज तो डी० एम० के० के मेरे माननीय मित्र भी बदल जायेंगे।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मैं जानता हूँ मैं क्या हूं। (**व्यवधान**) श्री भक्त दर्शन और श्री आजाद को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ।

श्री शेर सिंह : कल भी मैंने माननीय सदस्य से इसी प्रकार की बातें सुनी थीं और मुझे बड़ा दुःख हुआ था। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ.....

श्री वी० कृष्णामूर्ति : देश इस तथ्य को भली भांति जानता है कि हम दक्षिणवासी हैं तथा आप उत्तरवासी।

श्री शेर सिंह : हम हिन्दी को कहीं भी थोप नहीं रहे हैं। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ जो व्यक्ति हिन्दी में सूचना या फार्म आदि मांगते हैं हम उन्हें हिन्दी में देते हैं। हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी सूचना आदि शाखा कार्यालयों के स्तर पर वहां के कार्यालयों से देते हैं अतः उनका यह कहना सच नहीं है कि हम किसी भाषा को अनावश्यक महत्व देते हैं। किन्तु चूंकि हिन्दी प्रशासनिक भाषा के रूप में सदन द्वारा स्वीकार करली गई है तथा अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है अतः हमें प्रतिवेदन तथा फार्म इन दोनों ही भाषाओं में रखने होंगे। यह सभी चीजें आएंगी तथा हिन्दी भी आएगी ही क्योंकि उसे सभा में राज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : प्रश्न तमिल था तेलगू भाषी क्षेत्रों दे नहीं वरन् हिन्दी भाषी क्षेत्रों से सम्बन्धित है। जहां भी हिन्दी का नाम आता है पता नहीं क्यों मेरे माननीय मित्र बीच में कूद पड़ते हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : अहिन्दी भाषी भी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मद्रास में भी तो तमिल न जानने वाले व्यक्ति रहते ही हैं तथापि वहां पर प्रशासनिक कार्य तमिल भाषा में होता है।

श्री वी कृष्णामूर्ति : वह राज्य है तथा यह केन्द्र है। आप अपने राज्य की प्रशासनिक भाषा हिन्दी रख सकते हैं।

श्री द्वा० ना तिवारी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्दी भाषी राज्यों तथा उन राज्यों में जिन्होंने अपनी भाषा हिन्दी मानली है सभी दिये गये तार हिन्दी भाषा में भेजे गये थे अथवा उनको अंग्रेजी में अनुवाद करके अन्य स्थानों पर भेजा गया था।

श्री शेर सिंह : हिन्दी क्षेत्रों में स्थापित कुल तार घरों में से लगभग आधे तार घरों में से हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था की जा चुकी है। हमने यह भी अनुदेश जारी किये हैं कि हिन्दी में तार भेजने की सेवा को शेष सभी तार घरों में जैसे ही प्रशिक्षित कर्मचारी मिलें बढ़ा दिया जाय। हम अपने अधिकारियों को देवनागरी तार सेवा का हित करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : I am not inclined to say any thing to those who have been using Hindi for their political propaganda or to those who are annoyed even in the name of Hindi. May I know from the hon. Minister whether it is not a fact that after long efforts it was decided to publish a telephone directory in Hindi also for the use of the people belonging to the Hindi-speaking states ? Is it not a fact that the printing of these directories undertaken in Delhi become a *fail accomple* in February 1969 and that they were also released, and it so, is it not also a fact, that these directories are being stored as yet and are not issued the 40,000 persons who placed their demands for Hindi directories ? The main cause of delay in issuing these directories can be attributed to the misgivings spread by the officers that these directories are actually of no use and that in future the printing of the Hindi version of these directories should not be undertaken. Will the hon. Minister laid out and let us know the officers involved in this mischief ? It is strange that the Government have incurred expenditure on this item and the persons interested in getting these directories and have not yet been oblized.

Shri Sher Singh : It is not a fact that 40,000 individuals asked for Hindi directories in Delhi. Actually, from 13,000 to 15,000 persons placed their demands for it. As I have stated earlier, in other states like Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh and certain circles in Punjab, the work of printing Hindi telephone directories is also being done by the Government.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has confessed that from 13,000 to 15,000 individua ls had placed their demands for Hindi telephone directories. In this context may I know the reasons for not making the same available to those persons when the directories have already been published in the sufficient number ?

Shri Sher Singh : I will certainly find out whether the directories have been supplied to those persons or not. My apprehension is that they have already been issued. Any how they will certainly be supplied if they have not been supplies so far.

श्री बलराज मधोक : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाषा का प्रश्न आते ही तुरंत हिंदी-अंग्रेजी का विवाद खड़ा हो जाता है। हमने हिन्दी अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार कर ली है तथा अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में मान लिया है। अत: अभी तो प्रशासनिक कार्य दोनों ही भाषाओं में चलाना होगा। यदि किन्हीं मामलों में केवल हिन्दी भाषा का ही प्रयोग हुआ हो और अंग्रेजी को छोड़ दिया गया तो माननीय मित्रों को कोई शिकायत हो सकती थी। किंतु जब दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है तो मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति को इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने डी० एम० के० वाले मित्रो से निवेदन करूंगा कि उन्हें हिन्दी का नाम सुनते ही क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए। हम भी अंग्रेजी के प्रति कोई रोष नहीं रखते। हिन्दी के थोपे जाने का तो प्रश्न ही नहीं है।

ये तो हमारी अपनी भाषा है तथा हमारी अपनी भाषा होनी ही चाहिए। श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने उल्लेख किया है कि आपने हिंदी में टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित की है। मुझे भी उसकी एक प्रति प्राप्त हुई है किन्तु तथ्य है कि मुझे हिंदी वाली निर्देशिका के साथ एक अंग्रेजी की भी डाइरेक्टरी की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि हिन्दी वाली निर्देशिका में अनेक त्रुटियां हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में जो भी कुछ हिन्दी में प्रकाशित होगा क्या वह सही होगा तथा उसमें नवीनतम जानकारी होगी। हिन्दी डाइरेक्टरी में वे संशोधन भी नहीं किए गए हैं जो अंग्रेजी डाइरेक्टरी में कर दिये गये हैं। उसमें आठ महीने पहले के नम्बर दिखाए गए हैं। क्या सरकार भविष्य में छपने वाली हिन्दी डाइरेक्टरी में नवनीतम जानकारी देगी तथा उसमें वर्तमान डाइरेक्टरी की भांति त्रुटियां नहीं होंगी ?

Shri Sher Singh : The hon. Member has correctly stated that there are certain mistakes in the Hindi directory. It is a first attempt. Much time was consumed in arranging the names alphabatically and even then certain mistakes could not be sanctionised. But I want to give an assurance that in future no such mistakes will be left unractified and the work go on smoothly.

श्री कन्डप्पन : महोदय ! मुझे अपने हिन्दी भाषी मित्रों की डाक तार विभाग के साथ हिन्दी भाषी क्षेत्रों का हिन्दी में सम्पर्क स्थापित करने की मांग के साथ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही मुझे आशा है कि मेरे ये हिन्दी वाले मित्र हमें भी डाक तार विभाग तथा रेलवे विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करने का लाभ उठाने देगें। ये विभाग देश के प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ उनकी विभिन्न भाषाओं में अपना कार्य सम्पादन करता है। अतः हमें भी उसका लाभ उठाने की अनुमति होनी चाहिए। संवैधानिक स्थिति कुछ भी हो किन्तु माननीय मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हम दो भाषाओं वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। मेरे विचार से रेलवे तथा डाक तार विभाग के लिए यह स्थिति अपनाए रखना सम्भव नहीं होगा। मेरा अंग्रेजी के साथ कोई लगाव नहीं है। यदि यह देश से आज चली जाय तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा। किन्तु देश की सारी जनता को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि हमारे देश में बहुत भाषाएं हैं इन विभागों के कुशल कार्य संचालन की पद्धति भी बहु भाषा सम्मत होनी चाहिए। इस देश में अन्य भाषा-वर्गों के व्यक्तियों में आत्म-सम्मान की भावना तभी आ सकती है। इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि डाक तार विभाग ने तमिल, तेलगू तथा अन्य भाषाओं में इन चीजों के लाने के अब तक क्या कार्य किये हैं ?

दूसरे श्री कृष्णामूर्ति ने इस तथ्य का उल्लेख किया था हमें इस विषय में बहुत से अभिवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि बहुत से अहिन्दी भाषी लोगों को अप्रत्यक्षरूप से हिन्दी सीखने के लिए विवश किया जा रहा है। यद्यपि इसको अनिवार्य विषय नहीं बनाया गया तथापि हिन्दी शिक्षा कार्य के लिए निर्धारित समय में दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई कर्मचारी हिन्दी कक्षा से अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्य से अनुपस्थित माना जाता है और इस आधार पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैं यह नहीं समझता कि क्या ऐसा करना सम्वैधानिक रूप से उचित है अथवा नहीं। मैं जानना चाहूँगा कि कार्य के लिए निर्धारित समय में से कितने घंटे हिन्दी शिक्षा के लिये किये जाते हैं ? जब एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा जब वह कार्य पर तैनात होता है तो क्या उसके लिए हिन्दी सीखने का बन्धन है ?

श्री शेर सिंह : मैं यह निवेदन कर चुका हूँ कि हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी फार्म प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे डाक पर्चियां डाक पत्रिका, डाक लेखा

श्री कन्डप्पन : मंत्री महोदय की सुविधा के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न मनीआर्डर फार्म, चिट्ठी, लिफाफे आदि ऐसी चीजों के बारे में था जिन्हें जनता प्रायः उपयोग में लाती है। मनीआर्डर फार्म पहले तमिल भाषा में छपते थे किन्तु अब उन्हें बन्द कर दिया गया है। मैं प्रशासनिक फार्मों की बात नहीं कह रहा हूँ।

श्री शेर सिंह : महोदय ! क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपने वाले फार्मों की सूची पढ़ रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उसे सभा पटल पर रख सकते हैं। पूरी सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शेर सिंह : 9 फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में छापे गये हैं । मनीआर्डर फार्मों को त्रिभाषी रूप देने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अब वी० पी० पी० फार्म, पंजीकृत वस्तुओं के पावती पन, सेन्ट मैसेज फार्म आदि भी तीन भाषाओं में छापे जाएंगे ।

श्री कंडप्पन : कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षा देने के बारे मे क्या कर रहे हैं ?

श्री शेर सिंह : हिन्दी राज भाषा है अतः कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि जब तक वे हिन्दी नहीं जानेंगे यह कठिन हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कार्य के लिए निर्धारित समय के अन्तर्गत ?

श्री शेर सिंह : उन्हें तो हिन्दी शिक्षा पर ही आपत्ति है ।

श्री कंडप्पन : मुझे इसमें यही आपत्ति है कि हिन्दी शिक्षा कार्य समय में क्यों दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

Joint Management Council in Hindustan Insecticides Ltd.

*1444. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Joint Management Council set up by the Hindustan Insecticides Limited has proved a session ; and

(b) if so, its main feature and the difficulties being faced to set up such councils in other industries ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir, it has proved a success on the whole.

(b) The Joint Management Council consists of 6 members, 3 representing management and 3 representing workers. It meets once every month. The council has appointed five sub-Committees. The Joint Council or its appropriate Sub-Committee is being consulted by the Management on production problems and other matters stipulated in an Agreement. An adequate system of employer-employee communication has been developed through the Council and certain administrative functions assigned to it.

Some of the difficulties faced in setting up such Councils in other establishment briefly are : (a) lack of correct attitude among employers and employees' unions, (b) inter and intra-union rivalry, (c) multiplicity of joint bodies, and (d) existence of informal arrangements for joint consultation.

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, when the joint efforts have been proved to be highly remunerative in the sphere of antibiotics, the strikes have been averted, the tension has been evoked, the bureaucratic attitude of the officers has been changed and labours as well as the Government have been benefitted, may I know the reasons, in the circumstances, for not acceleratingly extending this scheme to the other Public and Private Sectors and for not undertaking any large scale project in this regard ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I agree with the hon. Member that at several places this scheme has proved a success and on this basis we are trying to extend this scheme to both Private and Public Sectors. At present, the joint management councils have been functioning in 34 Undertaking under Public Sector and in 55 Private Sector Undertakings. Due to the lack of healthy atmosphere between the employees and employers it has been difficut to extend this scheme. Inter-union rivalry has been the second but not least important cause due to which the extension of this scheme has been hampered. Unless the inter-union rivalry is removed it would be difficult to extend this scheme because in the present situation it is not possible for the management to decide which union should be approached by them.

Shri Maharaj Singh Bharati : If the main obstacle in implementing and extending the said councils in the different undertakings is ascribed to the existence of more than one union in one undertaking and to the prevailing rivalry among them may I know the reasons for not accepting the suggestion offered to the Government repeatedly in the House to the effect that Government should take steps in the matter so that there should be only one union in one undertaking and its election should be held by secret ballet ? What are the reasons for making slow progress so far as the implementation of this scheme is concerned ? These councils are formed only in 80 to 85 undertakings throughout the country. This is entirely inadequate achievement. I also want to know whether the objection is raised by the management or by the workers of the undertakings in which the councils have not been formed so far ?

Shri Bhegwat Jha Azad : As I have already mentioned, there are two or three obstacles before us. The hon. Member has inquired about the arrangements restricting to the single union in a particular undertaking. But I may say that this is not a matter which can be solved legally. The hon. Member may agree to it but would it be possible to convince the labour unions, certain other hon. Members, A. I. T. U. C., other labour organisations etc. ? At present in 89 undertakings such councils have been set up. Government are interested in extending this scheme to other undertakings and in setting up of joint management councils. But no further appreciable achievement is expected in this matter unless the attitude of the employers is curbed and unless the inter-union rivalry is eradicated.

Shri Maharaj Singh Bharati : The Government do not accord the requests of all the unions of an undertaking.

Shri Bhagwat Jha Azad : Let him, please, cite any example to this effect.

श्री स० कुण्डू : मन्त्री महोदय ने कहा है कि साझा प्रबन्धक परिषद सुचारू रूप से कार्य कर रही है । यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों साझा प्रबन्धक परिषदों की संख्या जो 140 थी अब घटकर 89 क्यों रह गई है ? क्या इसका यह कारण नहीं है कि उद्योगपति तथा कर्मचारी इन साझा प्रबन्धक परिषदों के कार्य संचालन में सहयोग नहीं दे रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि 1965 में जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो इस योजना को बहुत ख्याति प्राप्त हुई और प्रबन्धक तथा संघ मिल कर एक हो गए थे। 1966 में इस प्रकार के 140 उपक्रम थे जब इस का परीक्षण लिया गया था। 1967 में इनकी संख्या 132 तथा 1968 में 130 और इस समय हमारे पास 89 हैं। यह इसलिए है कई एक परिषदों ने इस कार्य को करने का प्रयत्न किया परन्तु वे क्रियान्वित नहीं कर सकीं।

एक माननीय सदस्य : इसका क्या कारण है ?

श्री स० कुण्डू : उन्होंने मेरे सबसे अधिक प्रसंगोचित प्रश्न का उत्तर नही दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह उत्तर दे दिया है कि वे क्यों कार्य संचालन नहीं कर रही है। मैंने इसके कारण भी बता दिये हैं, प्रथम तो मालिक और कर्मचारियों दोनों का सही रवैया नहीं था, दूसरे अन्तर-संघ विदेश, तथा तीसरे अनौपचारिक सलाहकार समिति का अस्तित्व में आना। इन कारणों के कारण हम इनको और फैलाने में सफल नहीं हो सके।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, the hon. Minister has just now said that most of the problem have not been settled because of the inter-union rivalry and that all the unions have support of one political party or the other and as such their internal rivalry will not cease. I want to know whether it is not in the interest of the employees that Government should give up the idea of making the employees to form one Joint Council by merging their Unions into one and that Government should enact a law so that there is only one Union, and the elections of that union would be held on the basis of secret ballot and Government would arrive at any agreement only with that Union ?

Shri Bhagwat Jha Azad : How can Government do this ? These labourers seeing their own interests are in different unions, how can we ask them that they were not aware of their own interests. You should be either in INTUC, or in H. M. S. or in A. I. T. U. C. It is for them to decide, how can we force them ?

श्री रंगा : मैं जानना चाहता हूँ कि सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों से सम्बन्धित इन सब औद्योगिक संस्थानों में, जहाँ साझा प्रबन्ध हो गया है तथा जहाँ श्रमिक काम करने को संतुष्ट हैं, वहां आपका अब तक क्या अनुभव रहा है ? क्या वहां कम हड़ताल हुई है क्या वहां के दिन कम रहे हैं ; तालाबंदी कम रही है तथा कम जन-घण्टे व्यय हुए हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि जहां हमने ये प्रयोग किए हैं वहाँ परिणाम अच्छे रहे हैं। यह सच है कि वहां कम हड़तालें हुई हैं तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन मामलों में जहां हमने यह प्रयत्न किया है तथा संघों को प्रशासन, प्रबन्ध आदि में सम्मिलित किया है, हम उनसे उत्पादन के सम्बन्ध में सलाह लेते हैं, उनके तकनीकी मामलों में सलाह लेते हैं, अल्पाहारों का संचालन करते हैं, तथा अवकाश आदि का निर्धारण करते हैं वहां पर जो परिणाम रहे हैं वे सब उत्साहजनक रहे हैं।

Shri Jaipal Singh : The hon. Minister is discussing about the difficulties—What for Government is here—is it for eleminating difficulties or to increase them ? What I mean to say is why Government should not enact a legislation for forming only one union so that this kind of provincial discrimination and mutual rivalry may stop ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य प्रश्न ।

श्री जयपाल सिंह : मुझे उत्तर दिया जाए । मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है ? मैं झारखण्ड क्षेत्र का हूँ और मैं जानता हूँ कि आई०एन०टी०यू०सी० का कोई अनुयायी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब बस, अन्य प्रश्न ।

Production of Pulses

*1449. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the availability of pulses has gone down by 20 per cent during the last ten years ;

(b) whether it is also a fact that the agricultural production of pulses has also been gradually declining ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the measures being adopted by Government to encourage the cultivation of pulses in order to step up its production ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1963-64 और 1965-66 तथा 1966-67 के सूखे वाले वर्षों को छोड़कर, जबकि उत्पादन घटकर 80 लाख से 100 लाख मीट्रिक टन के बीच रहा और उत्पादन में उच्चतम उत्पादन वर्ष 1958-59 के मुकाबले में 23 प्रतिशत से 36.5 प्रतिशत की कमी आई, गत दस वर्षों में दालों की औसतन वार्षिक उपज 115 लाख मीट्रिक टन से 130 लाख मीट्रिक टन के बीच थी । 1968-69 को छोड़कर, जबकि 50,000 मीट्रिक टन की एक छोटी सी मात्रा का निर्यात करने की इजाजत दी गई थी, गत दस वर्षों में दालों का समस्त देसी उत्पादन देश की खपत के लिए उपलब्ध था ।

(घ) अनुसंधान वैज्ञानिकों ने समस्या पर काबू पा लिया है और एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम अपनाया है । निम्न उपायों को अपनाकर दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं :—

(1) उन विस्तृत क्षेत्रों में जहां कि सिंचाई की व्यवस्था है अथवा वर्षा सुनिश्चित है और जहां अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, प्रणालियों का अपनाना ।

(2) खरीफ और रबी की फसलों की कटाई के बाद, उगाने के लिए शीघ्र उगने वाली दालों की फसलों का अपनाना ।

(3) कुछ दालों की फसलों का कुछ नकदी फसलों जैसे गन्ना आदि के साथ मिला कर उगाने का कार्यक्रम ।

(4) विभिन्न दालों के ऋजोबियम कल्चरों के संवर्धन का कार्यक्रम ।

(5) हाल ही में विकसित दालों की कुछ नई किस्मों के बीजों के संवर्धन का कार्यक्रम ;

(6) उर्वरकों, विशेषकर फास्फेटिक उर्वरकों का बढ़ता हुआ प्रयोग ।

(7) दालों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम के लिए क्षमतापूर्ण एवं आर्थिक नियंत्रण उपायों का प्रयोग ।

(8) दालों की रोग-निरोधक किस्मों का विकास ।

(9) बहुत कम न्यूरो-टोक्सिक एलकलाइड रखने वाली खेसरी किस्म का विकास ; और

(10) उत्तम पकाने की क्वालिटी तथा पोषक तत्वों के साथ किस्मों का विकास ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The statement laid on the Table of the House by the hon. Minister shows that during the last 10 years production of pulses has ranged between 11 million tonnes and 13 million tonnes and not more than that. But the rate of production has gone down in three years. In the circumstances I want to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that the Agricultural Department of Punjab State Government has made a study and they observed that the production land area of pulses has been decreased by about 29 per cent, or say the farmers decreased sowing pulses. Untill you kindly tell us the reasons thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पंजाब सरकार ने प्रत्यक्षत: 1966-67 के समय का उल्लेख किया है जब वहां अकाल पड़ा था, तथा जैसा कि मैंने पहले ही विवरण में स्पष्ट कर दिया है कि दालों का उत्पादन 11.5 मिलियन टन से 13 मिलियन टन तक रहा है । यह स्पष्ट है कि अन्य खाद्यान्नों के समान उस क्षेत्र में कोई वद्धि नहीं है । इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट है । एक कारण यह भी है कि दालों की अधिकतर फसलें वर्षा से पनपती हैं, अर्थात वर्षा की अनिश्चितता से दालों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है ।

दूसरे, हम दालों की अधिक उपज वाली किस्म का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Are our research institutes trying to increase the production of pulses as Government has done in the case of hybrid and high yielding varieties of wheat after importing it from Mexico and which is being given to farmers, so that production of pulses may increase in short internal of time ? If so, what is the nature of varieties so far developed ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी, हां । यह कर लिया गया है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I requested you to let me know the varieties that have been developed ; may know the names of these varieties of pulses ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को मूंग की किस्म का तो पता ही होगा । हम 'लोभिया' तथा 'अरहर' के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रंगा : राजस्थान, पंजाब तथा हरयाणा सरकारों ने शिकायत की है उनके क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में दालों के निर्यात पर जो अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं उससे भी उनके

किसानों को हतोत्साह होना पड़ा है। अन्य फसलों के अंग के रूप में दालों के उत्पादन को भी ऋतु के अनुसार बढ़ाया जाता है। सबसे पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में दालों के आने जाने पर से रोक हटाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है दूसरे दालों के मूल्य निर्धारित एवं सन्धारित करके क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जायेंगे जिससे कि दालों का उत्पादन बढ़ सके ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रोफेसर रंगा इस सदन के साधारण सदस्य नहीं हैं परन्तु वे सदन के एक बहुत प्रमुख नेता भी हैं। मुझे खेद है कि वे यह नहीं जानते हैं कि इस समय दालों के लाने या ले जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रंगा : प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में क्या है जैसे दालों के उत्पादकों को प्रोत्साहन देना जिससे उसी भूमि का अधिक से अधिक क्षेत्र उपयोग में लाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य प्रश्न।

चावल की वसूली

1452. **श्री रा० बरूआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान फसल के आरम्भ अर्थात नवम्बर, 1968 से फरवरी, 1969 तक लगभग 11.5 लाख मीट्रिक टन चावल की वसूली की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वसूली के लिये निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो चुका है; और

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों से चावल की कितनी मात्रा की वसूली की जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने चालू फसल मौसम में फरवरी, 1969 तक लगभग 14.45 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया था।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त का कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य निगम सहित सभी एजेंसियों द्वारा फरवरी, 1969 के अन्त तक चावल की गई वास्तविक अधिप्राप्ति समूचे लक्ष्य का लगभग 61 प्रतिशत थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम सहित सभी एजेंसियों द्वारा अप्रेल के लगभग तीसरे सप्ताह तक अधिप्राप्त चावल की कुल मात्रा लगभग 26.9 लाख मीटरी टन थी।

श्री रा० बरूआ : अधिप्राप्ति के प्रोत्साहक आंकड़ों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ कारखानों को चावल बनाने का अपना प्रबन्ध करने की अनुमति देने का सरकार विचार करती है ? वास्तव में, मेरे अपने राज्य में चावल के कारखाने बन्द होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें लगे धन की उन्हें बहुत हानि हुई है तथा रोजगार की भी हानि हुई है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक वसूली के ढंग का सम्बन्ध है, इसे हम पूर्ण रूप से राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ देते हैं। यह तो राज्य सरकारों का कार्य है कि वसूली के ढंग पर करें।

श्री रा० बरूआ : अनाज के भंडार संग्रह तथा इसके चोरी छिपे ढंग से गायब करने के पूर्व अनुभव को देखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि अनाज के समाहरण तथा इसका भण्डार करने के लिए ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे कि इस प्रकार की चोरी से दीलायमान हानि न हो तथा ऐसी विकृत स्थिति न होने पाए ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह तो इस प्रश्न से बहुत बाहर की बात है। परन्तु मैं यह कहूँगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है इस प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम चढ़ाने-उतारने का खर्च बहुत अधिक वसूल करता है। क्या ऐसा वहां कर्मचारियों की अधिकता से है अथवा वहां खाद्य निगम में कुप्रबन्ध होने के कारण है ? वे एक क्विंटल पर लगभग 11-12 रुपये उतारने चढ़ाने का खर्च लेते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति में क्या वे अधिप्राप्ति के कार्य को राज्य संघों में सहकारी संस्थाओं को सौंपेगे जिससे कि वे इसकी अधिप्राप्ति के लिए कम लें और यह भी लोगों को इससे चावल छोड़ने का कुछ प्रोत्साहन मिले ? क्या वे 5 रुपये प्रति क्विंटल उनको बोनस के रूप में देने जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक इसकी अधिप्राप्ति के लिए सहकारी एजेंसियों को लगाने का सम्बन्ध है, जहां भी सम्भव होता है खाद्य निगम सहकारी संस्थाओं को अधिप्राप्ति एजेंट बनाने का प्रयत्न तो करती है।

श्री रंगा : एकाधिकार वादियों के रूप में नहीं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एकाधिकार वादियों के रूप में नहीं। यह भी राज्य सरकारों की अपनी इच्छा पर छोड़ा हुआ है। हम राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं और उनके परामर्श से अधिप्राप्ति के ढंग निर्धारित करते हैं। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं किसी भी माननीय सदस्य के साथ इसके बैठने को तैयार हूँ। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो खाद्य निगम के मूल्य तथा लाभ वास्तविक मूल्यों पर आधारित हैं, जैसे भण्डार संग्रह के लिए लगभग एक रुपया प्रति क्विंटल। परन्तु यह प्रश्न इस सदन में कई बार उठाया जा चुका है। मैं किसी भी माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि यह शुल्क का वास्तव में अधिक नहीं है, यदि किसी विशेष बात के लिए कोई सुझाव है तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ।

Shri Sarjoo Pandey : There have been complaints from many parts of the country that Food Corporation of India is not procurring rice. Such complaint has been received particularly from Assam. I want to know reasons why they are not purchasing rice when it available in the market ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम तैयार हैं। यदि इस प्रकार की कोई सूचना माननीय सदस्य को मिली है तो वह कृपया करके हमें दे दें।

Shri K. N. Tiwary : I want to know whether Food Corporation is functioning in all the states or only in some states where it is functioning for the procurement work and whether it is a fact that the prices of rice and other foodgrains are going down in the market ? Will Government according to its new policy it has adopted, give instructions to the Food Corporation of India to purchase entire quantity in Case the prices of foodgrains start falling ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया आश्वासन कि हम सम्पूर्ण चावल खरीद लेगे अभी तक स्थिर है । जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा हरयाणा को छोड़ कर अन्य सारे राज्यों में खाद्य निगम काम कर रहा है ।

श्री हेम बरूआ : मैं जानना चाहता हूँ कि किस राज्य में खाद्य निगम वसूली के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ? क्या यह पश्चिमी बंगाल है ? यदि यह राज्य पश्चिमी बंगाल है तो निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा अब तक उसने कितनी वसूली कर ली है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पश्चिमी बंगाल की वसूली अभी तक सन्तोष जनक है । मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार तथा खाद्य निगम के लिए उन्होंने 4 लाख टन की प्राप्ति कर ली है ।

Increasing Unemployment of Disabled Persons

*1456. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unemployment among the disabled persons in the Capital is increasing ;

(b) if so, the number of disabled persons whose names are registered with the Employment Exchanges ;

(c) the number of disabled persons to whom employment apportunites were provided in 1968-69 and the number of those whose names are in the waiting list ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Laboar Employment and Rehabilitation (Shri Bagwat Jha Azad) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Special Employment Exchange for physically Handicapped persons, New Delhi placed 221 physically handicapped persons in employment during 1968-69. The number on the Live Register of the Exchange at the the end of March, 1969 was 583.

(d) The following steps already taken by Government for improving the placement of physically handicapped persons progressively, are yielding good results :—

(i) Establishment of a special Employment Exchange for Physically Handicapped at New Delhi to render specialised assistance to physically handicapped job-seekers and to employers ;

(ii) Grant of priority III for purposes of submission by the Employment Exchange ;

(iii) Relaxation in the matter of typing qualifications, for physically handicapped candidates seeking employment as lower Division Clerks in Central Government offices and establishments ;

(iv) Medical examination facilities by the spepial Medical Board attached to the Exchange ; and

(v) Relaxation of upper age limit by five years for recruitment to Class III and Class IV posts in Central Government offices and establishments.

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, whatever the hon. Minister has said, is almost correct, but he has left this matter for Delhi, the Capital, that it is a question for the state. But what help central Government propose to extent to them inrespect of Employment education media ? This matter should not be entrusted to state Government. In what respects does the Central Government help them and whether you have sent any one of the disabled person to foreign countries you have employed so for ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, this question is clearly for Delhi as mentioned in (a). Therefore we have replied to that one. Had the hon. member given me notice for answer for whole of the country I would have definitely given him reply to that also. I therefore, should not be blamed for this.

So for the Ministry is concerned we try to know the number of the disabled persons through various employment exchanges, what kind of help should be given to them and we have established special employment exchangs for them of which some are operating for whole of the Country. Through these employment exchanges we try to find out how these difficulties, being faced by these disalbed people, can be removed, and secondly we try to find the place where we should provide jobs for them our officers themselves go there, study the situation, take interview and in this way steps are bring taken to provide employment to them.

Shri Onkar Lal Berwa : I asked in regard to Delhi whereas you are telling me in regard to Bombay. I wanted to know what Government is doing regarding training to be given to them in various trades such as Carpenter's work, weaver's work and so on ? What is the number of such training institutes ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Kindly put this question to the department of social welfare. That department will give you the required reply. This is not the responsibility of our department.

Shri Onkar Lal Berwa : What will the Department of Social Welfare do ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Kindly ask them, they will tell you.

मनीला में खाद्य और कृषि संगठन की विचार गोष्ठी

1462. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मनीला में हुई खाद्य और कृषि संगठन की विचार गोष्ठी में यह विचार व्यक्त किये गये हैं कि इस वर्ष एशिया में चावल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या उत्पादन में इस रूख से भारत द्वारा आयात किये जा रहे चावल के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हाँ, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मनीला में 20-27 मार्च, 1969 को हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के चावल सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप के 13वें अधिवेशन में हुई चर्चा से प्रतीत हुआ है कि एशिया में

1968 में अधिकांश आयातक तथा निर्यातक देशों में अच्छी फसलें हुई हैं। इसके परिणाम-स्वरूप भारत इस समय गत वर्ष की अपेक्षा पर्याप्त कम मूल्य पर चावल का आयात कर रहा है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : संसार भर में चावल की फसल बहुत अधिक होने के फल-स्वरूप, क्या चावल की मांग संसार में बढ़ जायेगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि मूल्य लाभ का तत्व क्या होगा जो हमारे देश को इससे प्राप्त होगा ? दूसरे शब्दों में गत वर्ष चावल का आयात मूल्य क्या था तथा इस समय क्या आयात मूल्य है जो हम दे रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में, संसार में इसकी अधिकता की स्थिति अभी तक नहीं आई है, जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, मैं अलग अलग देशों के मूल्य के प्रश्न में नहीं पड़ना चाहता। यह हमारे हित में नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : भारत में चावल की मांग की तुलना में इसकी कितनी सम्भाव्य कमी होगी तथा इसके आयात के लिए क्या कार्यक्रम हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम 4 से 5 लाख टन तक चावल का आयात करते हैं। उत्पादन पर निर्भर करते हुए हम इतना ही आयात करेंगे।

ट्रेक्टरों का आयात

1468. **श्री देवेन सेन** : **श्री प्र० न० सोंलकी** :
श्री द० रा० परमार : **श्री किकर सिंह** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में किन किन देशों से ट्रेक्टरों का आयात किया गया और प्रत्येक देश से कितने-कितने ट्रेक्टरों का आयात किया गया ;

(ख) इन ट्रेक्टरों का मूल्य कितना था और वे प्रयोक्ताओं को किस मूल्य पर बेचे गये थे; और

(ग) इस वर्ष कितने ट्रेक्टरों का आयात करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश का नाम	ट्रेक्टर का माडल	1968 में किया गया आयात	कुल लागत बीमा भाड़ा सहित दाम (रुपयों में)	अधिकतम विक्रय मूल्य (रुपयों में)
रूस	डी०टी०14 बी-बीलेरस	844	46,52,972	58,49,764
	एम०टी०जेड— 5 एम० एस०	445	56,89,325	68,84,150
चेकोस्लो-वाकिया	जेटर–2011	1000	98,84,200	1,30,74,100

इसके अतिरिक्त 1968-69 के दौरान 15000 ट्रेक्टरों का आयात करने का निर्णय भी किया गया। इन ट्रेक्टरों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

देश का नाम	ट्रेक्टर का माडल	आयात किये जाने वाले ट्रेक्टरों की संख्या	कुल मूल्य (रुपयों में)
रूस	डी०टी०-14 बी	6000*	3,63,00000 (लागत, बीमा भाड़ा)
	बीलेरस एम०-टी० जेड—5 एम० एस०	500@	63,92500 (लागत, बीमा भाड़ा)
चैकोस्लोवाकिया	जेटर-2011	5000†	4,61,85,000 (जहाज पर दाम)
रूमानिया	सुपर यू०टी०ओ० एस	500‡	77,50,000 (लागत और भाड़ा)
जरमनी	आर०एस०---09	3,000	3,18,00,000 (लागत, और भाड़ा)

ऊपर लिखित ट्रेक्टरों के विक्रय मूल्य का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है।

* इन में से 10,17 ट्रेक्टर अभी तक आ गये हैं।

@ यह मूल्य 3 लाख रुपये की वास्तविक कटौती काट कर हैं।

† इनमें से 1000 ट्रेक्टर देश में अभी प्राप्त हुए हैं।

‡ इनमें से 487 ट्रेक्टर देश में अभी आए हैं। चालू वित्त वर्ष 1969-70 में ट्रेक्टरों का आयात करने का कार्यक्रम सरकार के पास विचाराधीन है।

Shri Devan Sen : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister the number of tractors, the names of the countries from which they have been imported and also at what price they have been purchased ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने अपने विवरण में यह सब बता दिया है कि कितने ट्रेक्टर और किस मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में मौतें

अ०सू०प्र०सं० 20. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री किकर सिंह :
श्री देवेन सेन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सब से अधिक अकालग्रस्त क्षेत्र बाड़मेर में 7000 से अधिक लोगों की मृत्यु होने के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या स्थिति की अविलम्बनीयता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के इस क्षेत्र को अनाज की सप्लाई बढ़ाना आवश्यक समझा है ;

(ग) राज्य में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये राजस्थान सरकार को जितनी सहायता देने का केन्द्र का विचार था, क्या वह सहायता पूरी मात्रा में दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा राजस्थान में अकाल की बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में 7000 से भी अधिक व्यक्ति मर गये हैं, यह आरोप बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है लेकिन अन्य क्षेत्रों सहित बाड़मेर जिले में जा, आन्त्र शोथ, अतिसार, पेचिश, खसरा और बुखार से कुछ मौतें हुई है । राजस्थान सरकार ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को इसकी विस्तृत जांच करने के लिये नियुक्त किया है । यह जाँच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) खाद्यानों की कमी के परिणामस्वरूप कोई मौत नहीं हुई है । राजस्थान में खाद्यानों की उपलब्धि खासी संतोषजनक है । राजस्थान सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है और हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति सप्लाई प्रतिमास 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम की गई है। उन्होंने अप्रैल के लिये अपने आवंटित गेहूँ के कोटे और मार्च के आवंटित कोटे के कुछ भाग को भी उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय दल जिसने गत वर्ष राजस्थान का दौरा किया था, ने 1968-69 में सूखा सहायता पर खर्च करने के लिये 8.96 करोड़ रुपये की खर्च सीमा की सिफारिश की थी । इस खर्च सीमा के प्रति केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में 13.16 करोड़ रुपये दिये थे । दल ने दूसरी बार अप्रैल, 1969 में राजस्थान का दौरा किया था और उसने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि विचाराधीन है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : प्रश्न अकाल की परिस्थितियों के कारण मृत्यु के मामलों से सम्बन्धित है, जिसमें खाद्यान्न की कमी, कुपोषण, पीने के जल की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें शामिल हैं, राजस्थान में अकाल की परिस्थितियों के बारे में तथा उससे होने वाली मौतों के बारे में सरकार का रवैया तथा वक्तव्य कई गैर सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के वक्तव्यों से भिन्न है । इन्डियन एक्सप्रैस के एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के बाड़मेर जिले का दौरा किया था और वहां विद्यमान परिस्थियों के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट बातें रखी है ।

उन्होंने बताया है कि विभिन्न रोग फूटने से स्थिति गम्भीर हो गई है । जैसा कि बाड़मेर के कलेक्टर ने कहा है, लगभग 50 ग्रामों में पहली बार हैजा फैला है । विधान सभा के एक कांग्रेसी सदस्य श्री बिरधी चन्द ने कहा है कि बाड़मेर जिले में लगभग 1000 व्यक्ति मर गये हैं । मुझे समझ नहीं आता कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ पूर्वोपाय क्यों नहीं किये हैं ? ऐसी स्थिति को रोकने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार संसद सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल

वहां भेजने के लिए तैयार है ताकि मौके पर अध्ययन किया जा सके और केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन दिया जा सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसा शिष्ट मण्डल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य राजस्थान में जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। राजस्थान सरकार बड़ी योग्यता से स्थिति का सामना कर रही है। राज्य सरकार पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक प्रयत्न कर रही है। **(अन्तरबाधाएं)**

हमारी स्वीकृति से राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि यदि कलेक्टर चाहे तो जल ले जाने के लिए किसी भी ट्रक को पकड़ा जा सकता है। जहां भी सम्भव हो, रेलवे पानी के टैंक ले जाने के लिए तैयार हैं, परन्तु रेलवे की कठिनाइयां भी समझनी चाहिए। स्टेशन पर कोई जल नहीं है...**(अंतरबाधाएं)**

आम विचार यह है कि राजस्थान सरकार के बारे में काफी अच्छा कार्य कर रही है। वहां हैजा तथा कुछ अन्य रोग फैले हैं और हमने यहां से दो दल भेजे हैं। राज्य सरकार ने समूचे क्षेत्र को 15 खण्डों में बांटा है तथा प्रत्येक क्षेत्र एक चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया है तथा उन्हें मोटर गाड़ी आदि जैसी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। हमने काफी मात्रा में औषधियाँ सप्लाई की हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : सामान्य वक्तव्य दिया जा रहा है। यह नहीं बताया जा रहा कि कितने ट्रक अथवा माल डिब्बे गये तथा कितनी औषधियां भेजी गई, माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि दो दल नहीं गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन में से एक दल ने विशिष्ट रूप से यह कहा है कि खाद्य सम्भरण, पीने के जल तथा चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार का प्रबन्ध खराब है। क्या इन प्रबन्धों में सुधार करने के लिए आग्रह करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है।

क्या गलत उपस्थिति पंजी द्वारा अकाल निधियों के दुरुपयोग के बारे में भी कुछ कहा गया है। **(अंतरबाधाएं)**।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : किसी ने इस प्रकार विपरीत प्रतिवेदन नहीं दिया है।

Shri Devan Sen : Will the Minister be pleased to state the amount asked for and the amount granted so far ? Is it a fact that water meant for scheduled castes, Raj puts and backward classes, is not supplied to them and the labourers employed on relief jobs are paid wages for ten days only when they work for one month ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जल सम्भरण के मामले में जाति अथवा नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक नहीं है कि मजूरी समय पर नहीं दी जाती है।

Shri Onkar Lal Berwa : It is a matter of shame for the Congress Government that it has not been able to supply food, clothes and water. I would like to know the demands made by the Chief Minister of Rajasthan in the Conference of Chief Ministers.

I would like to know whether Government will make arrangements for free supply of water, fodder and food. I would also like to know whether Government will take over

the construction of Rajasthan canal and thus try to remove the famine conditions in Rajasthan.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान नहर की समस्या के बारे में आपके दृष्टिकोण के बारे में मैंने तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री ने बताया था, हाल ही में राजस्थान का दौरा करने वाले दल ने राजस्थान सरकार को जून तक 9.02 करोड़ रुपये की अग्रेतर वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : The Minister has not replied about supply of free foodgrains, free fodder and free water.

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagjiwan Ram) : The hon. Minister must be aware that wherever drought and famine conditions prevail, people will have to be provided employment so that they have the purchasing power. Those who are not in a position to work, will be given free food or financial assistance. So far as fodder is concerned, it is supplied free for certain cattle and at subsidized of fair price to other categories of cattle. Similarly, foodgrain is supplied free or at subsidized or fair prices to different categories of people.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में जानकारी है। हमने राजस्थान सरकार को आश्वासन दिया है कि नलकूप खोदने के लिए हम उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता देंगे। बीज तथा उर्वरक की उनकी आवश्यकताओं की जांच करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री बलराज मधोक : मुख्य मंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि वहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई है जबकि अन्य लोग कह रहे हैं कि हजारों लोग मर गये हैं हम तथ्य जानना चाहते हैं, यदि जो कुछ मुख्य मंत्री ने कहा है, आप उसे ही दोहरा दें तो हमारे प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में इसका उल्लेख कर दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : भाग (क) के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि 7000 के जो आँकड़े बताये गये हैं, वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताये गये हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैजा, आन्त्र शोथ, खसरा आदि से मरे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भुखमरी से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है। 26 जिलों में से 24 को अकालग्रस्त घोषित किया गया है और लोग अवश्य मरे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान सरकार ने कई मास तक इस बात को तब तक छुपाये रखा है जब तक कि राजस्थान के तथा अन्य सदस्यों ने यह मामला सभा के ध्यान में नही लाया। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री को क्या हिदायतें दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Bhola Nath Master : The Chief Minister of Rajasthan has denied the charge of the opposition that nearly 10,000 persons of Rajasthan have died in scarcity hit districts of Rajasthan in recent months. May I know whether this denial has come to the notice of the Minister ?

Has the attention of the Minister been drawn to another statement of the Chief Minister in which he has said that we do not want foodgrains but we need good seed and fertilizers to prevent further famines.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसे ही वर्षा शुरू होगी, हम बीज तथा उर्वरक उपलब्ध करायेंगे।

Shri B. N. Bhargava : Famine conditions have been prevailing in various parts of Rajasthan for many years continuously. The famine situation this year is serious and unprecedented. It has caused a serious effect on the agriculturists and State Government. Have the Government made any arrangement, to provide employment to the agriculturists of there arears so that in the coming months of hardslip they could pull on. I would like to know whether Government of India will provide finances for all such purposes to Rajasthan Government.

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं किसी विशेष कारण से होने वाली मौतों सम्बन्धी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तथापि हमें समय समय पर अकालग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ रही मृत्यु संख्या के बारे में समाचार मिलते रहते हैं। सहायता शिवरों से मिलने वाले समाचारों से पता चलता है कि वहां 4 अथवा पांच बार उल्टियां होने के बाद 3 से 6 घन्टे के अन्दर लोग मर जाते हैं। राज्य सरकार के डाक्टर इस रोग का ठीक पता नहीं लगा पाये हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि स्थानीय डाक्टरों की सहायता के लिए दिल्ली से विशेषज्ञ भेजे जायें जो कि इस रोग के वास्तविक कारण और उसके उपचार का पता लगा सकें। पीने के जल का सम्भरण बहुत अनियमित है। सप्ताह में एक अथवा दो बार जल उपलब्ध कराया जाता है। अतः जुलाई के अन्त तक की अवधि में योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त राशि राजस्थान सरकार को कब तक उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सुझाव पूरे करने के मामले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक अथवा दो दलों ने क्षेत्र का दौरा किया है। पिछले सप्ताह ही राजस्थान सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त निदेशक को मृत्यु, रोगों आदि के विभिन्न कारणों की व्यापक जाँच करने के लिए कहा है। धन देने के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। जैसे ही राजस्थान सरकार व्यय के लेखे प्रस्तुत करती है, अधिकतम सीमा तक की राशि उसे दे दी जाती है। **(अन्तर्बाधा)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANRWERS TO QUESTIONS

तार आदि की दरों में वृद्धि होने के बाद डाक विभाग की आय में वृद्धि

*1443. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक की वस्तुओं तथा तार की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप डाक व तार विभाग की आय बहुत बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की बिक्री से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी अधिक आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यानारायण सिंह) : (क) और (ख). सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में सूखे की स्थिति

*1445. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ भागों में सूखा पड़ रहा है ; और

(ख) सूखे की इस स्थिति से कपास की फसल के उत्पादन पर इस वर्ष कहाँ तक कुप्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सूखे के परिणामस्वरूप गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में गुजरात में इस वर्ष रूई का उत्पादन लगभग 1,50,000 गांठें कम होने की सम्भावना है ।

कीड़ो के कारण अनाज की क्षति

*1446. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज की भारी क्षति को रोकने के लिये कीड़ो को नष्ट करने के नये उपाय निकाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1968 में कितने एकड़ भूमि में इन उपायों को प्रयोग में लाया गया ; और

(घ) उनके क्या परिणम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार द्वारा पौदो की रक्षा के लिये उठाये गये तरीकों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. **बीजों की कीड़ो से रक्षा :**

बीजों की कीड़ो से रक्षा किये जाने से वे सुरक्षित रहते हैं । भारत में दूसरी योजना के अन्त में लगभग 1.3 प्रतिशत बीजों की कीड़ो से रक्षा करने और तीसरी योजना में 3 प्रतिशत बीजों की कीड़ो से रोक थाम करने के उपाय किये गये । आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक 400 लाख हेक्टर पर बीजों की कीड़ो से रक्षा करने के उपाय किये जायेंगे । देश में उत्पादित सब न्यूकलियस और उत्पादित उपज पैदा करने वाले बीजों की फसल के शीघ्र बाद इस प्रणाली से रक्षा की जाती है । इसी प्रकार अधिक उपज देने वाले बीजों और बहुत सी नकद फसलों, जिनकी

बिक्री, राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों और बीज उत्पादकों द्वारा की जाती है, की भी इसी प्रकार रक्षा की जाती है।

2. **चूहो के विरुद्ध उपाय :**

चूहों द्वारा फसलों को बहुत क्षति पहुँचाई जाती है। इस समस्या पर लगातार विचार किया जा रहा है। राज्यों में चूहो पर नियंत्रण करने का अभियान व्यवस्थित तरीके से चलाया गया है और राज्य सरकारों को इस प्रकार के अभियान करने के विस्तृत आदेश पहले दे दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों से राज्यों को इस अभियान को गठित करने के लिये प्रतिवर्ष 40,000 रुपये कृन्तकनाशी औषधी निशुल्क बांटी जा रही है। वर्ष 1967-68 में चूहों के विरुद्ध 8.60 लाख एकड़ श्रेत्र में कार्यवाही की गई और वर्ष 1968-69 में 100 लाख एकड़ भूमि पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 तक उनके विरुद्ध 160 हेक्टर भूमि पर कार्यवाही करने की सम्भावना हैं।

3. **विनाशकारी कीटो पर नियंत्रण**

इसमें दीमक, घुन, श्वेत ग्रब, टिड्डी दल जैसे कीड़े शामिल हैं। इन पर 40 लाख हैक्टर पर नियंत्रण किया जा रहा है। इन नियंत्रक उपायों में तेज़ी करने का प्रस्ताव है योजना के अन्त तक 120 लाख हैक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. **पौदो की रक्षा के लिये व्यापक उपाय**

फसल को कीड़ो से बचाने के लिये रोग निरोधक उपाय आवश्यक हैं। भारत में इस प्रयोजन के लिये लगभग 50 प्रकार की कीटनाशक औषधियां प्रयोग की जाती हैं जिनमें से लगभग 30 प्रकार की औषधियों का भारत में निर्माण होता है और लगभग 20 प्रकार की औषधियों का आयात किया जाता है। कृषि पर प्रयोग की गई कीटनाशक औषधियों का मूल्य 1960-61 में 460.00 करोड़ रुपये जो 1967-68 में बढ़कर 1,500.00 रुपये हो गया है। चौथी योजना के अन्त में लगभग 90,000 टन कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता होगी। इस बारे में खाद्य तथा कृषि संघठन से लगातार सम्पर्क बनाया जाता है और विकसित देशों में इन कीटनाशक औषधियों के बारे में प्रयोगात्मक कार्य किये जा रहे हैं। इन कीटनाशक औषधियों को विमान तथा भूमि से बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के आधुनिक तरीके अपनाये गये हैं और वे काफी प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।

5. **उपकरण**

लघु उद्योगों में हाथ से छिड़काव करने वाली 2,00,000 मशीनो का निर्माण होता है जिनकी कीमत 410 लाख रुपये है। मुख्यता स्टिरुय पम्प, पैर पम्प, राकिटिग स्प्रेयर, कमप्रेस्ड एयर पम्प आदि का निर्माण किया जा रहा है।

6. **विमान द्वारा कीटनाशक औषधियों का छिड़काव**

विमान द्वारा कीटनाशक औषधियों के छिड़काव को लोकप्रियता मिल रही है। केन्द्रीय विमान एकक के पास 7 स्थायी विंग विमान हैं और 7 गैर-सरकारी कम्पनियां हैं जिनके पास 15 स्थायी विंग विमान और हैलीकापटर हैं। वर्ष 1967-68 में 9,88,336 एकड़ भूमि पर कीट-

नाशक औषधियों का छिड़काव किया गया। जबकि 1968-69 में लगभग 13 लाख एकड़ भूमि पर कीटनाशक औषधियों का छिड़काव किया गया। 30 और विमान और हेलीकापटर से इस काम के लिये प्रयोग करने का निर्णय किया गया है और इस प्रयोजन के लिये 1.50 लाख डालर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। विमान से कीटनाशक औषधियां छिड़कने से पौदों कीं बीमारियों पर नियंत्रण करने में बहुत सहायता मिली है।

7. **प्रशिक्षण**

अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद में केन्द्रीय पौदा संरक्षण प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की है जहां राज्य के अधिकारियों को सेवा में पौदों के संरक्षण के सम्बन्ध में आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ राज्यों ने अपने अधिकारियों के लिये अलग संस्थाओं या वर्तमान संस्थाओं में सेवा में नियमित कार्यक्रम आयोजित किये हैं। किसानों को पौदों का संरक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने का आयोजन किया जा रहा है और पौदा संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग होगा और इसको यू०एन०डी०पी० की सहायता से आरम्भ किया जा रहा है।

8. **चलते फिरते दल**

राज्य सरकारों को बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में चलते फिरते दल का गठन करने जिनको अधिकार हों और जो शीघ्र कार्य कर सके, पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति भी हुई है। अब तक 6 राज्यों ने पौदों की रक्षा करने वाले 36 चलते फिरते दलों का गठन किया है और अन्य राज्य इस प्रकार के दल बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

(ग) वर्ष 1967-68 में विभिन्न फसलों की 900 लाख एकड़ भूमि से अधिक (कुल) पर पौदों की रक्षा के उपाय किये गये थे वर्ष 1968-69 में 1350 एकड़ भूमि पर ऐसे उपाय किये जाने का अनुमान है।

(घ) पौदों की रक्षा करने के लिये अपनाये गये तरीकों से उपज में वृद्धि हुई है अनुमानतः यह वृद्धि प्रत्येक खेत में 15 से 50 प्रतिशत तक है।

विज्ञान सम्मेलन

*1447. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष विज्ञान सम्मेलन में फार्म और खाद्य के विषय को अधिक महत्व दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये निबन्धों का अध्ययन करने और उन में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हमें प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में फार्म तथा खाद्य उत्पादन की समस्याओं पर काफी विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) सरकार, विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों तथा उसकी सिफारिशों का अध्ययन कर रही है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर उपयोगी तथा व्यावहारिक समझी जाने वाली सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है।

Increase in Price of Rationed Sugar

*1448. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the price of sugar being supplied in ration ; and

(b) if so, the date by which the price would be increased and by how much and the impact thereof on the consumers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). As usual the present prices of levy sugar, will be reviewed at the close of the current crushing season in the light of the actual working results of sugar factories in different zones. The impact of such revision of prices on the consumers would be known only after the revised prices have been fixed.

उर्वरकों का आयात

1450. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में पहले वर्ष की तुलना में उर्वरकों के आयात में पर्याप्त वृद्धि रही है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उर्वरकों का आयात कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

19 सितम्बर, 1968 को डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल

*1451. **श्री भगवान दास :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल के दिन डाक व तार निदेशालय में समय पर उपस्थित न हो सकने वाले कर्मचारियों की सेवा में डाक व तार महानिदेशक द्वारा दिए गए व्यवधान के आदेश भारत सरकार के ऐसे कर्मचारियों के बारे में गृह-मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के पूर्णतः अनुरूप है ; और

(ख) यदि नहीं, तो केवल डाक व तार निदेशालय में देर से आने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख). कार्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों के संबंध में गृह मंत्रालय ने कोई सामान्य आदेश जारी

नहीं किये क्योंकि यह एक ऐसा प्रशासनिक मामला था जिस पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाना था। तद्नुसार डाक-तार महानिदेशक समेत विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में प्रशासनिक औचित्य की दृष्टि से निर्णय लिये हैं। स्पष्ट है कि ये निर्णय एक से नहीं हो सकते थे।

Supply of Inferior Quality Seeds to Madhya Pradesh by National Seeds Corporation

*1453. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Seeds Corporation has supplied inferior hybrid seeds of Jawar to Madhya Pradesh whereas it has supplied superior quality seeds to other States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the persons who are responsible for the supply of bad quality of seeds which resulted in loss to farmers ?

The Mintster of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The following quantities of hybrid jowar seeds were supplied by the National Seeds Corporation to Madhya Pradesh :—

Kharif, 1966	140 quintals.
Kharif, 1967	1019 quintals.
Kharif, 1968	Nil.

The seeds supplied by the Corporation are certified seeds of guaranteed purity and germination. Only two complaints have been received from the Government of Madhya Pradesh. One related to 12 quintals of hybrid jowar seed supplied during Kharif '66. This was taken back by the Corporation although germination was found to be quite good.

The other complaint received from Madhya Pradesh Government relates to hybrib jowar seed produced in the State during Kharif '67. The seed was processed and bagged and the Corporation's seals and tags were affixed. In the case of some lots, which had already been purchased by the State Government from the growers, germination was found to be below standards on receipt of the loboratory test reports. The Corporation, accordingly, advised the State Government, but as the seed had already been paid for, the State Government has claimed compensation from the Corporation. The matter is under examination.

हरियाणा में आटे की मिलों को गेहूं के कोटे का नियतन

*1454. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में आटे की मिलों को गेहूं के कोटे के नियतन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इन मिलों की पीसने की क्षमता के अनुसार कोटा दिया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनकी पीसने की क्षमता को अब तक मान्यता नहीं दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथा क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ङ) पहली मार्च, 1969 से प्रत्येक फ्लोर मिल को गेहूं का आवंटन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से आवंटित कुल कोटे से किया जा रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि ये आवंटन प्रत्येक मिल की स्वीकृत क्षमता के अनुपात में किए जाएं।

एक मिल की वास्तविक पिसाई क्षमता किसी अवधि विशेष में कभी-कभी स्वीकृत क्षमता से भिन्न हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति द्वारा अभिस्तावित सिद्धान्तों के आधार पर हाल ही में देश में सभी रोलर फ्लोर मिलों की क्षमता का फिर से अन्दाजा लगाया गया है और क्षमता के परिशोधन के प्रश्न की जांच हो रही है।

गेहूं का उत्पादन तथा वसूली

1455. **श्री रा० कृ० विडला** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की रबी की फसल के परिणामस्वरूप इस समय देश की खाद्य स्थिति कैसी है ;

(ख) राज्यवार उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) चालू फसल में कितने गेहूं की वसूली की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) खासा सन्तोषजनक।

(ख) 1968-69 में खाद्यान्नों की पैदावार के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष 1968-69 की समाप्ति के केवल बाद ही अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1969 में उपलब्ध होंगे।

(ग) गेहूं का विपणन मौसम अभी-अभी शुरू हुआ है और अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग वास्तविक अधिप्राप्ति कुछ हजार मीटरी टन से थोड़ी अधिक हुई है।

Rehabilitation of Indians Repatriated from Burma

*1457. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Indian notionals who have returned from Burma since the year 1963 till date ;

(b) the names of the States where they have been rehabilitated and their number, State-wise ;

(c) whether Government have formulated any scheme for their rehabilitation.

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the number of persons who have been benefited so far therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 1,68,477.

State-wise distribution is indicated in Statement No. I laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-981/69].

(b) and (e). The number of repatriates to whom rehabilitation assistance has been

given in the form of business loans, employment, allotment of agricultural land, allotment of homestead plots/business premises etc. in different States is given in Statement No. II laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-981-69].

(c) and (d). The details of the schemes formulated for the rehabilitation of Burma repatriates are indicated in Statement No. III laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-981/69.

Eviction of Harijan Cultivators From Shamgeer farm (Delhi)

*1458. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the landless Harijan cultivators who had been doing cultivation in Shamgeer Kaithwara Farm, Delhi in the low lying area of Jamuna for the last many years were evicted from their lands, as the said area was declared residential area, on the condition that they would be provided land for cultivation in lieu thereof in the near by area ;

(b) whether it is also a fact that while the cultivable land has already been allotted to many other families it has not been allotted to four Harijan families ; and

(c) whether Government propose to allot land to the remaining four aforesaid Harijan families out of the 500 bighas of 'Nazui' land lying unutilised in the village farm of Shamgeer Kaithwara in the low-lying area of Jamuna ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Delhi Development Authority, who are concerned, have reported that no eviction was carried out nor any assurance given by them.

(b) Since the Delhi Development Authority did not evict them, the question of their being allotted cultivable land by the Authority does not arise.

(c) The Delhi Development Authority is not aware of any such proposal.

पाकिस्तान को इमारती लकडी का बह जाना

*1459. **श्री वेणी शंकर वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को इमारती लकड़ी के वह जाने को रोकने के लिये जम्मू से 20 मील दूर अखनूर में चेनाव नदी पर दो रोकबल्ली (बूम) लगाई जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि लाखों रुपयों की इमारती लकड़ी नदी में बह कर पाकिस्तान को चली गई है जिसको रोका नहीं जा सका ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या पाकिस्तान से उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1966-67—96,00,000 रुपये (सितम्बर 1966 में अतुलनीय बाढ़ों के कारण)।

1967-68 कोई बड़ी हानि नहीं।

1968-69—हानि (यदि कोई हो तो) के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(घ) पाकिस्तान को बह कर गई इमारती लकड़ी की वसूली के लिये सिंधु जल संधि 1960 के अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता पहले से ही हो गया है।

डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

*1460. **श्री दो० वं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के कर्मचारी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के रूप में अपने वेतन से कई गुना अधिक राशि प्राप्त करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) आम तौर पर नहीं। लेकिन इस किस्म के कुछेक मामले देखने में आये हैं।

(ख) ऐसे मामलों में जब कि संबंधित कर्मचारियों के वेतन को ध्यान में रखते हुए खर्च की गई रकम बहुत अधिक हो, तो उनकी जांच करा ली जाती है और सामान्य जांच एजेंसियों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाई की जाती है। जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा विशेष पुलिस संगठन की सहायता भी ली जाती है।

(ग) जिन मामलों में कर्मचारियों का अपराध सांबित हो गया है, उन्हें दण्ड भी दिए गए हैं। कुछ अधिकृत चिकित्सकों, और केमिस्ट की दुकानों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे कदाचारों की रोकथाम के लिए कुछ स्थानों पर चिकित्सक और केमिस्ट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जहां कहीं सहकारी डाक्टरी सामान के स्टोर मौजूद हैं, वहां दवाइयां केवल उन्हीं के माध्यम से ही खरीदी जाती हैं, या फिर इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त केमिस्टों की सूची निर्धारित कर दी गई है। दावा पेश करने की अवधि भी एक वर्ष से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। विभाग ने भी अपनी कई डिस्पेन्सरियां खोली हैं, और कुछेक और डिस्पेंसरियां खोलने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। इस मामले का विशेष अध्ययन किया जा रहा है, और इस संबंध में होने वाले खर्च पर नियन्त्रण रखने के लिए शीघ्र ही और उपाय भी किये जायेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस समस्या का हल निकालने में लगा हुआ है, जिससे इस सुविधा के दुरुपयोग को दूर किया जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की क्रियान्विति

*1461. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों द्वारा उक्त निधि में जमा किये गये करोड़ों रुपये अभी भी कम्पनी के भविष्य निधि न्यासी के पास जमा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो कर्मचारी सेवा-निवृत्त होते हैं, त्याग-पत्र देते हैं या जिन्हें बरखास्त कर दिया जाता है उन्हें कम्पनी न्यासी के पास जमा भविष्य निधि खाते में केवल उसी दिन तक ब्याज मिलता है जिस दिन तक वे कम्पनी की सेवा में होते हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों को अन्तिम निबटारे से एक महीने पहले तक अपने भविष्य निधि खाते पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस अधिनियम को पूरी तरह लागू करने के बारे में कार्यवाही करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० जमशेदपुर 1-11-52 से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत लाई जा चुकी है, लेकिन इस कम्पनी को कर्मचारी भविष्य निधि योजना की धारा 17 के प्रवर्तन से छूट दी गई है।

(ख) छूट देने सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत इस कम्पनी की भविष्य निधि के संबंध में अधिकार न्यासियों के बोर्ड को प्राप्त हैं और तदनुसार भविष्य निधि की राशियां अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगाने के लिये प्रत्येक मास न्यासियों के बोर्ड के पास जमा की जाती हैं।

(ग), (घ) और (ङ). भविष्य निधि के अपने नियमों के अन्तर्गत कम्पनी, जबसे अदायगी देय होती है, उस तारीख से 3महीने तक की अवधि के लिए ब्याज देती है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पेराग्राफ 60 (क) (बी) के अन्तर्गत ब्याज उस तारीख के पिछले महीने के अंत तक दिया जाता है, जिस दिन अन्तिम अदायगी प्राधिकृत की जाती हैं। चूंकि कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले कुल लाभ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मिलने वाले कुल लाभों से कम लाभदायक नहीं हैं, इसलिए सरकार कम्पनी के भविष्य निधि के नियमों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती।

आवारा पशुओं पर व्यय

*1463. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस संस्था को कोई अनुदान देती है जो पम्बरी रोड पर आवारा पशुओं की देखभाल कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे कितनी राशि की वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ग) इस संस्था को स्वैच्छिक अंशदान द्वारा प्राप्त होने वाले अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से जो व्यय पूरा करना पड़ता है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इस अनुदान में वृद्धि करने का विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन पशुओं पर अत्याचार रोकने सम्बन्धी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत किया गया था और इसने उस संस्था को वित्तीय

सहायता दी है जो पम्बरी रोड पर आवारा पशुओं की देखभाल कर रही है। साधारणतया सरकार इन संस्थाओं को सीधी सहायता नहीं देती।

(ख) वर्ष 1967-68 में 6,000 रुपये और

वर्ष 1968-69 में 3,500 रुपये

(ग) पशु कल्याण बोर्ड वर्ष 1969-70 में पशु कल्याण बोर्ड की विभिन्न संस्थानों को इस प्रयोजन के लिये रखी सीमित धनराशि से वित्तीय सहायता देगी।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये लगाये गये नलकूप

*1464. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रयोजनों के लिये कितने नलकूप लगाये गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना धन व्यय किया गया है और इससे सिंचाई करने की कुल कितनी क्षमता उत्पन्न हुई हैं ;

(ग) वस्तुतः कितने एकड़ भूमि को इससे लाभ हुआ है ; और

(घ) इस समय कितने नलकूप काम कर रहे हैं तथा कितने खराब पड़े हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 1969 तक सिंचाई के लिये खोदे गये राजकीय नलकूपों की संख्या 9,601 थी, जिन में से 9,384 नलकूपों को चला दिया गया था। 9,601 नलकूपों के अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में पीने का पानी सप्लाई करने के लिये स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदान की हुई निधि की सहायता से 26 नलकूप लगाये गये थे। इन नलकूपों का रख रखाव तथा संचालन राज्य के विभाग द्वारा किया जाता है और इनमें से 19 का उपयोग आंशिक रूप से सिंचाई हेतु होता है।

मार्च 1969 तक 9,601 नलकूपों के निर्माण पर, जिसमें भूमि अर्जन, आवास तथा कार्यालय हेतु भवन निर्माण आदि आनुषंगिक कार्य भी शामिल हैं कुल 68,533 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ;

31 मार्च, 1969 तक कुल 35.71 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था की गई है तथा 1968-69 की अवधि में राजकीय नलकूपों से लगभग 29.56 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

अनुमान है कि 50 नलकूप असफल सिद्ध हुए हैं और शेष ठीक कार्य कर रहे हैं। असफल सिद्ध हुए नलकूपों को ठीक करने या उनको दोबारा बनाने के लिये कार्य किया जा रहा है।

जहां तक गैर-सरकारी नलकूपों का संबंध है, अनुमान है कि फरवरी 1969 के अन्त में ऐसे नलकूपों की संख्या 1,10,000 (लगभग) थी। गैर-सरकारी नलकूपों पर हुए व्यय तथा उनसे

लाभान्वित होने वाली भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कच्चे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक गैर सरकारी नलकूप पर औसतन लगभग 8,000 रुपये व्यय होते हैं और प्रत्येक नलकूप से 20 फसल एकड़ों को सिंचाई का लाभ पहुंचा है। ऐसे पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चले कि गैर सरकारी नलकूपों से वास्तव में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। कार्य न करने वाले गैर-सरकारी नलकूपों के विषय में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन नलकूपों को कृषक स्वयं चलाते हैं और वे ही उनका रख रखाव करते हैं।

त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का कल्याण

*1465. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदि जातीय लोगों की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आदिम जातीय लोगों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा रोजगार देने की नीति के अभाव का उल्लेख हाल ही में किया गया है, क्या त्रिपुरा सरकार को उस राज्यक्षेत्र में आदिम जातीय लोगों के लिये प्रशिक्षण तथा रोजगार की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये उचित नीति बनाने के लिए कोई निदेश दिए हैं।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले वर्ष आदिमजातीय लोगों को प्रशिक्षण तथा रोजगार की सुविधायें देने के लिए वहां की सरकार को कितनी धनराशि दी गई थी तथा 1969-70 में कितनी धनराशि दी जा रही है ; और

(घ) त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों को 1969-70 में दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। सरकार अभी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतिक्षा कर रही है। आयोग को अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) त्रिपुरा में प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाओं के संबंध में 1968-69 और 1969-70 के लिए कुल क्रमश: 5,94,000।-और 6,44,000।-रु० के बजट की व्यवस्था की गई। आदिम जातियों के संबंध में कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई।

(घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Milk Plant Machinery from Unicef

*1466. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have entered into an agreement with the U. N. I. C. E. F. under which the Government of India will aquire Milk Powder and Milk Plant Machinery from the U. N. I. C. E. F. during the next 15 to 20 yeary ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would not be able to build such machinery in the country in this long span of time ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In 1949, an agreement was entered into with United Nations International Children's Emergency Fund with the object of assisting the programmes benefiting children, adolescents and expactant and nursing mothers of India. Milk plants and machinery have been received as gifts. As a rule, UNICEF do not supply milk powder to dairy plants. In fact some of our major dairies have been built utilising the gift machinery. We have accepted the obligation to sell from there dairies low-cost milk for the vulnerable sections of the community. Low-cost milk powder. But most of our Dairies require milk powder to maintain their level of milk distribution. There is no obligation to acquire milk powder or milk plant machinery from the UNICEF.

(b) India being a member-country of UNICEF, has availed of assistance in the form of importable items of dairy equipment for the Milk Projects.

(c) The dairy industry has become virtually self-sufficient, and barring a few items such as homogeniser, most of the equipments required are manufactured within the country.

खाद्य क्षेत्रों की समाप्ति

*1467. **श्री तुलसीदास वासप्पा :** **श्री कृष्णन :**
श्री न० रा० देवधरे : **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री समर गुह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन महासंघ ने एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें खाद्य क्षेत्र समाप्त करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उस ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय खाद्यनिगम का सब काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है और काश्तकारों को निर्धारित मूल्यों से कम मूल्यों पर उनके एजेंटों को अनाज बेचने के लिए वाध्य किया जा रहा है : और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में कोई निर्देश नहीं है । तथापि संघ ने अलग से एक पुस्तिका परिचालित की है जिसका शीर्षक "भारतीय खाद्य निगम का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं" है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम जिसकी स्थापना देश में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण करने और व्यापार में अपेक्षित अनुशासन लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की एक मात्र एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, कुल मिलाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सयर्थ हुआ है। पिछले बहुत से वर्षों में पहली बार देश के अधिकांश भागों में खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता की प्रवृति आयी है । निगम उत्पादकों को मूल्य प्रोत्साहन देने और इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में समर्थ हुआ है । सरकार की क्षेत्रों के प्रश्न

पर व्यावहारिक पहुंच हैं। क्षेत्रों के प्रश्न पर प्रत्येक फसल की कटाई से पूर्व समय समय पर समीक्षा की जाती है। जब कभी किसी अनाज विशेष की उपलब्धि में सुधार हुआ है उसके संचलन प्रतिबन्धों में ढील दी गई है।

गुजरात में चीनी बनाने के नये कारखाने

*1469. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में चीनी बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (ग). जी हां। गुजरात में निम्नलिखित स्थानों पर नये चीनी कारखाने (सभी सहकारी) स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु सात आवेदन-प्राप्त हुए हैं :—

1. चलथान, जिला सूरत।
2. तलाला, जिला सारथ (जूनागढ़)।
3. तलाजा, जिला भावनगर।
4. कवघका, जिला अमरेली।
5. सपेडी, जिला राजकोट।
6. गेरियाघर, जिला भावनगर।
7. मतार, जिला कैरा।

इन आवेदन-पत्रों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

चीनी पर से नियन्त्रण हटाना

***श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन में हुई पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार चीनी पर से नियंत्रण हटाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख) चीनी की मौजूदा आंशिक विनियंत्रण की नीति से चीनी कारखाने गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से उपेक्षाकृत अधिक मूल्य देने और घरेलू उपभोक्ता अपनी जरूरतों का उचित भाग नियंत्रित मूल्यों पर पूरा करने में समर्थ हुए हैं। चीनी का उत्पादन बढ़ गया है और इससे घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए राज्यों का कोटा

बढ़ा दिया गया है । अतः इस नीति से वक्त की जरूरत पूरी हुई है । इस अवस्था में इस नीति में संशोधन करने पर विचार करने का समय नहीं आया है ।

गुजरात में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

8234. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात स्थित लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा 1968-69 में ऋण तथा अनुदान के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : तृतीय योजना की अवधि में और 1968-69 की अवधि में राज्य की लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये गुजरात सरकार के लिये निम्नलिखित ऋण और अनुदान स्वीकृत किये गये थे :—

स्वीकृत सहायता

वर्ष	ऋण (रु० लाखों में)	अनुदान (रु० लाखों में)
1961-62	163.81	33.43
1962-63	138.19	38.95
1963-64	129.80	35.46
1964-65	281.52	6.78
1965-66	332.79	39.62
1968-69	239.50	87.15

टिप्पणी 1 :

वर्ष 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के लिये सहायता वृहद् शीर्षक कृषि उत्पादन (जिसमें लघु सिंचाई भी सम्मिलित है) के अन्तर्गत नियुक्त की गई थी । लघु सिंचाई के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

टिप्पणी 2 :

1965-66 और 1968-69 के लिये सहायता अस्थायी आधार पर नियुक्त की गई थी और इस प्रकार व्यय की लेखा परीक्षा द्वारा पास हुये आंकड़ों (जोकि उपरोक्त समय के लिये राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं) का अन्तिम रूप से रामंजन होना बाकी है ।

उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त तृतीय योजना की अवधि में और 1968-69 के दौरान भारत सरकार ने लघु सिंचाई और जल उपयोग पर अनुसंधान और प्रशिक्षण की परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया था । ऐसे अनुदानों की धन राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	विनिर्मुक्त की गई धन राशि	
	अनुसंधान योजना	प्रशिक्षण योजना
1962-63	रु० 4,000	रु० 3,000
1963-64	रु० 61,618	..
1964-65	रु० 20,000	...
*1965-66	रु० 18,000	रु० 50,000
*1968-69	रु० 10.000	रु० 42,500

*अनन्तिम । लेखा परीक्षा द्वारा पास हुये वास्तविक आंकड़े प्राप्त होने पर इनमें संशोधन हो सकता है ।

भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली

8235. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्था नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष तथा किन किन प्रयोजनों के लिये की गई थी तथा इस संस्था के प्रबन्ध अधिकारियों के नाम तथा अर्हतायें क्या हैं ;

(ख) सरकारी उपक्रमों के कितने अधिकारियों को इस संस्था में गत तीन वर्षों में (वर्ष-वार तथा उद्योग-वार) श्रम सम्बन्धों में प्रशिक्षित किया गया था ; और

(ग) दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष इस संस्था में प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया गया ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान (जिसे पहले औद्योगिक संबंध विषयक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता था) नई दिल्ली सन् 1962 में तीसरी योजना की प्रायोजना के रूप में स्थापित किया गया था । इस संस्थान का मुख्य कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों व संघीय क्षेत्रों के औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों को सेवा के दौरान श्रम संबंधी मामलों में विशेष प्रशिक्षण देना है । दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशियायी देशों/राष्ट्र मण्डलीय तथा अफरीकी देशों के मनोनीत व्यक्तियों को भी कोलम्बो योजना तथा अन्य विदेशी तकनीकी योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध की जाती हैं । अक्तूबर, 1966 से सरकारी क्षेत्र के कुछ मनोनीत व्यक्तियों को भी ये सुविधाऐं उपलब्ध की जा रही हैं ;

संस्थान के वर्तमान प्रबंधक अधिकारियों के नाम और अर्हताऐं ये हैं :—

1. श्री ए० के० गोखले, निदेशक ; — एम०ए०, एल०एल०बी०, डी०एस०डब्ल्यू०
2. श्री एफ० बनर्जी, उप निदेशक । — बी०ए०, एल०एल०बी०, डी०एस०डब्ल्यू०

3. श्री डी० वी० रामचन्द्रन, सहायक निदेशक। — बी०ए०, एल०एल०बी०, डी०एस०डब्ल्यू०

4. श्री इन्द्रजीत सिंह, सहायक निदेशक। — एम०ए०, एल०एल०बी०, बी०डी०एस०डब्ल्यू०

5. वी० एस० श्रीवास्तव, सहायक निदेशक। — एम०ए०एल०एल०बी०,

6. श्री रामानन्द, सहायक निदेशक। — एम०ए०, बी०काम, एल०एल०बी०, डी०एस०डब्ल्यू०

(ख)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम	संख्या	कुल
1966	कुछ नहीं	—	—
1967	इस्पात	3 ।	5
	भारी विद्युत	2 ।	
1968	उर्वरक	3 ।	
	कोयला	4 ।	
	खनिज	2 ।	
	तेल और गैस	1 ।	
	बैंक	6 ।	21
	औषधियां ।	1 ।	
	और भेषज ।	।	
	भारी इंजीनियरी	2 ।	
	जल परिवहन	1 ।	

(ग) इस संस्थान के बारे में तीन वित्तीय वर्षों में व्यय किये गये कुल धन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है। यह सूचना नीचे दी गई है :—

1965-66	2,11,897
1966-67	1,99,417
1967-68	2,50,612

औद्योगिक सम्बन्धों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण

8236. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी विवादों को निपटाने वाले अधिकारियों को औद्योगिक सम्बन्धों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे कितने अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में उपर्युक्त

प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा उपर्युक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया तथा कौन सा पाठ्यक्रम अथवा विषय पढाया गया ; और

(घ) उन अधिकारियों को ऐसे प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिये कहाँ भेजा जाता है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) श्रम अध्ययन सम्बन्धी भारतीय संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले नियमित पाठ्यक्रमों में, अन्यों के साथ, सरकारी क्षेत्र के उप-क्रमों के कुछ मनोनीत व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है । इन पाठ्यक्रमों में, समस्त शिक्षक वर्गों, आमंत्रित वक्ताओं, मामला अध्ययन तथा बैठकों में किये जाने वाले विचार विमर्षों द्वारा समस्त श्रम विधान और कार्मिक प्रबन्ध व औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लाभ के लिये प्रार्थना पर अल्पकालिक (दो दिन की अवधि के) नवीकर पाठ्य-क्रम भी आयोजित किये जाते हैं ;

सन् 1967 में एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की प्रार्थना पर दिल्ली में एक अल्पकालीन नवीकर पाठ्य-क्रम आयोजित किया गया, जिसमें 16 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । नियमित पाठ्य-क्रम केवल दिल्ली में ही आयोजित किये जाते हैं । लेकिन प्राप्त आवेदन पर अल्पकालीन नवीकर पाठ्य-क्रम संयंत्र में भी आयोजित किये जा सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्होंने सन् 1966, 1967 और 1968 में हु नियमित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया इस प्रकार थी —

वर्ष	अधिकारियों की संख्या
1966	कुछ नहीं ।
1967	5
1968	21

सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर खर्च हुए धन के सम्बन्ध में अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

जिला गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में पौड़ी नामक स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र

8237. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के जिला मुख्यालय पौड़ी में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह केन्द्र वहां कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पौड़ी में एक मीडियम वेव केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेलों का रक्षित भण्डार

8238. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद भी कि चालू फसल में मूंगफली का तेल बहुत कम उपलब्ध हुआ है सरकार ने वनस्पति घी के निर्माताओं को सोयाबीन तेल की खपत कम करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तेलों के विशेषकर आयातित सोयाबीन तेल के रक्षित भंडार बनाने के लिये समय पर कार्यवाही करके ऐसी स्थिति को टाला जा सकता था तथा ऐसी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वनस्पति घी के मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के उद्देश्य से वनस्पति घी निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल सप्लाई करने के लिये अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार स्वदेशी खाने योग्य तेलों के मूल्यों और विभिन्न क्षेत्रों में आयातित तेल की उपलब्धि सहित कुछेक तत्वों को ध्यान में रखकर वनस्पति में सोयाबीन तेल की खपत का विनियमन करती है ।

(ख) और (ग). अन्य देशों से सोयाबीन तेल/सूरजमुखी तेल अधिप्राप्त करने के लिये पहले ही पग उठाये गये हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 के अधीन 40,000 मीटरी टन सोयाबीन का तेल खरीदने के लिए हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं । और अधिक तेल अधिप्राप्त करने पर विचार हो रहा है ।

टेलीफोन 'कायन बाक्सों' से प्राप्त राशि में अंतर

8239. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन आफिसों के 'कायन बाक्सों' से प्राप्त तथा तत्सम्बन्धी मीटर पठन द्वारा बताई गई राशि में बहुत अन्तर होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक टेलीफोन जिले में किये गये परीक्षण से पता चला है कि मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही में जो नकदी निकाली गई वह मीटर के पठन में बताई गई राशि से लगभग 58 प्रतिशत कम थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आय की इस कमी को रोकने के लिये 1956 में डाक व तार विभाग को सुझाव दिये गये थे तथा 1966 में अग्रेतर हिदायतें दी गई थीं जिनका डाक व तार विभाग ने पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो टेलीफोन और तार की दरों में और वृद्धि करने का क्या औचित्य है जैसा कि 1969-70 के आय-व्यय में प्रस्ताव किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । ऐसा सम्भव है, क्योंकि सार्वजनिक टेलीफोन घर इस किस्म के हैं, कि काल मिलाने के बाद राशि डाली जाती है । ज्यों ही बुलाई गई पार्टी चोंगा उठाती है, मीटर में काल रिकार्ड हो जाता है, चाहे काल करने वाली पार्टी ने सिक्के डाले हों अथवा नहीं ।

(ख) जी हां, और जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, मीटर रीडिंग और वसूल राशि के बीच फर्क संभव है ।

(ग) जी हां, सर्कल और टेलीफोन ज़िलों को उचित हिदायतें जारी कर दी गई थीं, और उनका पालन हो रहा है । वसूली में संभावित चोरी की रोकथाम के लिए दो कर्मचारी रकम इकट्ठी करने के लिए भेजे जाते हैं ।

(घ) यदि सार्वजनिक टेलीफोन घरों की आय में कोई कमी हुई है, तो उसका टेलीफोन और तार के शुल्क में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है ।

आकाशवाणी में 'साउंड एण्ड म्यूजिक रिकार्डिंग इंजीनियर'

8240. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने 'साउंड एण्ड म्यूजिक रिकार्डिंग इंजीनियर' नियुक्त हैं तथा उनका वेतनमान कितना है ;

(ख) इस के क्या कारण हैं कि इन प्रशिक्षित इंजीनियरों को बम्बई तथा दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में भी संगीत कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए नहीं कहा जाता है तथा इनके लिये सीधे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि एक भी स्टाफ आर्टिस्ट इस काम को करने के लिये तकनीकी तौर पर अर्हता प्राप्त नहीं है उन्हें रिकार्ड करने की अनुमति क्यों दी जाती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इन रिकार्ड करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों में से कुछ व्यक्तियों ने अन्य आर्टिस्टों के रिकार्ड खराब कर दिये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) आकाशवाणी में साउंड और म्यूजिक रिकार्डिंग इंजीनियरों का कोई अलग संवर्ग

नहीं है । इंजीनियरी संवर्गों से लिए गए व्यक्ति ही रिकार्डिंग के काम के तकनीकी पहलुओं की देखभाल करते हैं ।

(ख) उन्हें रिकार्डिंग का काफी काम करना होता है । कुछ कार्यक्रम व्यक्तियों को भी इस काम के कुछ पहलुओं की देख भाल करनी होती है ।

(ग) इन व्यक्तियों को रिकार्डिंग का केवल वही काम दिया जाता जिसे वे कर सकते हैं ।

(घ) इस प्रकार की कोई बात ध्यान में नहीं आई है ।

चीनी का उत्पादन

8241. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ चीनी पैदा होती है तथा गत तीन वर्षों में प्रति-वर्ष राज्य-वार कितनी चीनी पैदा हुई तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ख) कुछ राज्यों में उत्पादन कम होने के राज्य-वार क्या कारण थे ;

(ग) चीनी पैदा करने वाले प्रत्येक राज्य में गत वर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की चीनी की खपत हुई थी तथा गत-वर्ष कितनी चीनी अन्य राज्यों को तथा केन्द्रीय सरकार को सप्लाई की गई थी ;

(घ) गत तीन वर्षों में नेपाल को कितनी तथा कितने मूल्य की चीनी सप्लाई की गई थी ; और

(ङ) नेपाल को चीनी सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं जबकि साम्यवादी देशों में पैदा होने वाली चीनी नेपाल होकर बड़े पैमाने पर निरन्तर भारत में चोरी छिपे लायी जा रही है जिससे हमारे चीनी उद्योग को नुकसान पहुंचता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण 1 संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 982/69]

(ख) गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त कमी होने और सूखे की स्थिति के कारण कम पैदावार होने के परिणामस्वरूप 1966-67 और 1967-68 में चीनी का उत्पादन 1965-66 की तुलना में कम हुआ था ।

(ग) एक विवरण 2 जिसमें पिछले वर्ष 1967-68 में चीनी का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य में चीनी की खपत की गई मात्रा और उस राज्य से बाहर भेजी गयी मात्रा दी गयी है, संलग्न है । खपत की चीनी का मूल्य नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इस खपत में खुले बाजार में बेचने के लिए दी गयी चीनी भी शामिल होती है ।

(घ) और (ङ). दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 में नेपाल को सप्लाई करने के लिए लगभग 12 लाख रुपये के मूल्य की 13,485 क्विंटल चीनी निर्मुक्त की गयी थी । 1966-67 और 1967-68 में नेपाल को सप्लाई करने के लिए कोई निर्मुक्ति नहीं की गयी थी ;

आकाशवाणी के गायक कलाकार

8242. **श्री बाबूराव पटेल :** सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 10 पुरुष तथा 10 महिला गायक कलाकारों के नाम क्या हैं जिन्हें आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र से होने वाले कार्यक्रमों में गत 12 महीनों में 12 अथवा उससे अधिक कार्यक्रम दिये गये, वे कार्यक्रम किन-किन तारीखों को हुए, उनके वेतनमान क्या-क्या हैं तथा उन्हें हर कार्यक्रम के लिए कितना शुल्क दिया गया ;

(ख) उन 10 पुरुष तथा 10 महिला गायक कलाकारों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से होने वाले कार्यक्रमों में गत 12 महीनों में 12 अथवा उससे अधिक कार्यक्रम दिये गये, वे कार्यक्रम किन-किन तारीखों को हुए उनके वेतनमान क्या-क्या हैं तथा उन्हें हर कार्यक्रम के लिये कितना शुल्क दिया गया ; और

(ग) प्रत्येक गायक कलाकार को 12 महीनों की अवधि में मूल केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों से वेतनमान कर प्रायः कितने कार्यक्रम दिये जाते हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रथा अपनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी में सिब्बन्दी अधिकारियों की बारी-बारी से नियुक्ति

8243. **पी एम० डी० सोमसुन्दरम :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह सिफारिश की है कि सिब्बन्दी नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के भारसाधक अधिकारी को बारी-बारी से हर दो वर्ष के बाद बदल दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को आकाशवाणी की इंजीनियरी शाखा में लागू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आकाशवाणी के असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर

8244. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियरों

के लगभग 80 पद खाली पड़े हैं तथा उन्हें भरा नहीं गया है यद्यपि वहां पर ऐसे अनेक अर्हता-प्राप्त वरिष्ठ असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो पदोन्नति के योग्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 65 पद खाली हैं । परन्तु इन सभी को सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता ।

(ख) उन को भरने में देरी के कारण ये हैं :—

(1) सीधी भर्ती के कोटे के बारे में इंजीनियरी सेवाएं (एलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा लेने में देरी ; और

(2) पदोन्नति कोटे के बारे में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिया जाना ।

सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 1969 में ली जा चुकी है । पदोन्नति कोटे के लिए भर्ती नियमों को शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने की उम्मीद है । आशा है ये सभी रिक्तियां यथा समय भर जाएंगी ।

Production of Cotton

8245. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Deo Rao Patil :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the requirements and actual production of cotton at present ;

(b) the steps taken to increase the production and the result achieved so far ; and

(c) the value of cotton that is imported annually ?

The Minister ot State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) On the basis of the average of five years, the requirement of cotton in the country, including consumption in the mills, by Khadi, extra-factory use and exports is about 66.5 lakh bales. The actual production of cotton during 1967-68 was 55.62 lakh bales. Estimates of production during the year 1968-69 have not so far been released.

(b) Intensive cultivation measures on the lines of the package programme have been taken up by all the important cotton growing States for increasing the production of cotton. In addition, Centrally Sponsored Schemes for Maximised Production of Cotton have been implemented in all the major cotton growing States and are being continued during the Fourth Plan. The main features of these measures are :—

(i) Intensive cultivation in irrigated and assured rainfall areas over nearly 4.70 lakh hectors annually.

(ii) Organisation of Mass Plant Protection Campaigns in unirrigated areas.

(iii) Production of Nucleus and Foundation seed of cotton.

(iv) Grading of Kapas in Central PACKAGE areas.

(v) Development of Sea Island Cotton in Andhra Pradesh and Mysore.

As a result of the adoption of the above measures, the Production of cotton in the country has been showing an upward trend as would be evident from the actual production achieved during the last three years indicated below :—

Year	Production ('000 bales of 180 Kgs.)
1965-66	4,762
1966-67	4,973
1967-68	5,562

(c) The value of cotton imported during 1966-67 and 1967-68 was Rs. 88.52 crores and Rs. 86.13 crores respectively.

Report of Wage Board on Dock Workers

8246. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Wage Board on dock Workers ;

(b) if so, the main recommendations contained in the report ;

(c) whether they have been considered ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir. The Board's final report is still awaited.

(b) to (d). Do not arise.

Demand and Production of Milk and Ghee in the Country

8247. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total demand of milk and pure ghee in the country and the actual production thereof ;

(b) the manner and the date by which this gap would be filled ; and

(c) the steps taken in this connection so far and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Although no regular systematic survey on 'All India Basis' has been conducted to assess the production of milk, the estimates framed by the Central Statistical Organisation indicate that the country's milk production in 1966-67 was 20.00 million tonnes. More recent estimates are not available.

As regards ghee, the production is generally estimated on the quinquennial Livestock Census figures. The estimated ghee production for 1966 was 3,65,000 tonnes roughly.

As regards the demand of milk and pure ghee in the country, figures are not available.

(b) Prominent position has been given for the development of livestock and for increased milk production in the National Five Year Plans.

(c) Both the Central and State Governments have taken up a number of schemes detailed as below :—

(i) All India Key-Village Scheme.

(ii) Intensive Cattle Development Scheme.

(iii) Cross Breeding Scheme.

(iv) Feeds and Fodder Development Scheme.

(v) Calf Rearing Scheme.

(vi) Cattle Shows and Milk Yield Competition.

(vii) Disease Control Programme :

(1) Increase in number of verterinary hospitals and dispensaries.

(2) Rinderpest Eradication Scheme.

(3) Expansion of Biological Products Laboratories for production of Vaccines and sera.

But how much of the additional milk produced will go for liquid milk consumption, how much for ghee, and for products will depend on the market economy.

दूरस्थ स्थानों के लिए पारेषण उपकरणों का निर्माण

8248. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ स्थानों के लिए पारेषण उपकरणों के निर्माण के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ,

(ख) यह परियोजना कहां पर स्थापित की जायेगी ;

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) यह कब तक बन कर पूरा हो जाएगा ; और

(ङ) क्या इस परियोजना में कोई विदेशी सहयोग अथवा सहायता ली जायेगी ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिए इलाहाबाद के नजदीक नैनी में नया कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ।

(ग) प्रारंभिक प्राक्कलनों के अनुसार नये कारखाने का पूंजीगत व्यय लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपये रहने की आशा है ।

(घ) आशा है कि यह कारखाना क्रमिक रूप से पांच साल में अपना पूर्ण उत्पादन करने लगेगा ।

(ङ) इस प्रायोजना में कोई विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

Import of Machinery From Russia for Farms

8249. **Shri Yashpal Singh :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the time by which the machinery worth Rs. 31 lakhs for the five new State Agricultural Farms which were to be set up upto March, 1969 is likely to arrive from U.S.S.R. ;

(b) when these farms are likely to start functioning and the expenditure to be borne by the Government of India on them ; and

(c) the details of the ten farms proposed to be set up by Government upto 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Of the five farms to be set up with gift machinery worth about Rs. 31 lakhs from U.S.S.R., the Farms at Jharsuguda (Orissa), Hissar (Haryana), Jullundur (Punjab) and Raichur (Mysore) have started functioning. Some of the machinery for these farms has already arrived. The rest is likely to be received by the end of the current year. The fifth farm is expected to be set up in Kerala shortly. The machinery for this farm is expected to come in 1970.

Apart from the gift of machinery from the U. S. S. R., the Government of India would be spending about Rs. 3 crores on each of these farms over a period of five years.

(c) It is not proposed for the present to set up any more farms.

अमर डाई कैम लिमिटेड, कल्याण में कदाचार

8250. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अमर डाई कैम लिमिटेड, कल्याण में अनुचित श्रम कदाचार के बारे में बम्बई श्रमिक संघ से पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) पत्र में अमर डाई-कैम० लिमिटेड, कल्याण के खिलाफ मजदूर संघों के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था ।

(ग) चूंकि इस शिकायत का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए इसे महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया ।

Hindi Working in the Saving Banks

3251. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the entire work relating to Saving Banks Accounts in Hindi-speaking States and in Punjab, Maharashtra and Gujarat is proposed to be done in Hindi ;

(b) if so, from which date ;

(c) if not, the reasons therefor particularly when the people and the Governments of these States want it ; and

(d) whether it is proposed to run Saving Banks Accounts purely on the basis of the Banking System for the benefit of farmers and to run it as a separate Department ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : No, Sir However, the forms required for use of public are printed in English and Hindi or regional languages for the convenience of the public.

(b) The question does not arise.

(c) The provisions of the Official Language (Amendment) Act 1967 and instructions issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of language in Central Government offices are also applicable to post offices doing Savings Bank work.

(d) There is no proposal to run the Savings Bank purely on the basis of Banking System for the benefit of farmers nor as a separate Department.

Minor Irrigation Schemes in U. P.

8252. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ram Charan . **Shri Molahu Prashad :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have allocated any special amount for minor irrigation schemes in U. P. during 1968-69 in view of drought conditions there ;

(b) whether U. P. Government have demanded some special amount for implementing the minor irrigation schemes ;

(c) if so, the details thereof and the demands which have been met in full ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The State Government of Uttar Pradesh requested during 1968-69 an allocation of additional funds to the extent of Rs. 4 crores, for the minor irrigation schemes, including an amount of Rs. 1 crore for State tube-wells in the drought affected areas. The State Government also requested for an additional allocation of Rs. 7·50 crores for their rural electrification programme. Owing to paucity of the budget resources, additional funds could not be made available to the State Government during 1968-69 for minor irrigation and rural electrification.

Cultivation of Grapes

8253. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the efforts made so far for the cultivation of grapes for extracting liquor for export purposes ; and

(b) the programme drawn up for the Fourth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government have made no efforts in this direction.

(b) No such programme has been drawn up. The Government of Punjab, however, has a proposal to set up a Champagne plant for preparation of grape-wine.

गुजरात में अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता

8254. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ भागों में घोर अकाल के कारण गुजरात के लोगों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता तथा अन्य रियायतें देने के बारे में कोई योजना सरकार ने बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा किए गए सहायता उपायों में प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने के लिए सहायता कार्य गठित करना, मुफ्त सहायता देना, पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करना और दुग्ध पान कार्यक्रम गठित करना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने 1968-69 और 1969-70 में राज्य सरकार को बाढ़ तथा सूखे के कारण शुरू किए गए सहायता उपायों पर खर्च करने के लिए 13·50 करोड़ रुपये की एक राशि प्रदान की है। मुफ्त वितरण के लिए गेहूँ और दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्रा भी आवंटित की गयी है।

यह सहायता बिना किसी जात-पात के भेद-भाव से दी जा रही है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों को शेष प्रभावित जनसंख्या के साथ लाभ पहुंच रहा है।

गुजरात में कपास की उपज

8255. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में कपास की उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : गुजरात में कपास की उपज बढ़ाने के लिए राजकीय क्षेत्र में 64000 हैक्टर भूमि पर तथा कपास की उपज को अधिकतम बढ़ाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 54,000 हैक्टर भूमि पर साधन खेती की जा रही है। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनस्पति सुरक्षा अभियान का आयोजन करना ;
2. कपास के न्यूक्लियस तथा आधार भूत बीजों का उत्पादन करना ;
3. विभिन्न प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करना,
4. कपास वर्गीकरण के केन्द्र।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में खाद्यान्नों की वसूली

8256. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य राजकीय एजेन्सियों द्वारा दिसम्बर, 1968 तक गुजरात में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा की वसूली की गई ; और

(ख) कुल कितनी मात्रा अब तक राज्य से बाहर भेजी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पहली नवम्बर, 1967 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में लगभग 71,100 मीटरी टन।

(ख) उसी अवधि में कृषकों और उपभोक्ताओं द्वारा निजी उपभोग के लिए लगभग 126 मीटरी टन।

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी ग्राम समितियां

8257. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के गांवों में सहकारी ग्राम समितियों के माध्यम से उपभोक्ता की सेवा के लिये कितनी योजनायें आयोजित की गई हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) ये समितियां किन-किन स्थानों पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) विपणन तथा ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुएं वितरित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963-64 में शहरी उपभोक्ता भण्डरों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पूरक के रूप में आरम्भ की गई थी। यह योजना सारे देश के लिए लागू थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, चुनी हुई विपणन समितियों को अंश पूंजी अंशदान तथा प्रबन्धकीय उपदान के रूप में क्रमश: 10,000 रु० व 5,000 रु० प्रति समिति तक सहायता दी गई है। आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत विपणन सहकारी समितियों को कुल 4·94 लाख रु०, जिसमें 2 लाख रु० अंश पूंजी अंशदान और 2·94 लाख रु० प्रबन्धकीय उपदान के थे, कि वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 452 ग्राम सहकारी समितियां और 34 विपणन सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कर रही थीं। तथापि, उन स्थानों के नाम तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं जहां वे स्थित हैं।

Appointments of Hindi Officers in P. and T. Circles

8258. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Hindi Officers have been appointed recently in some of the Circles of the Posts and Telegraphs Department in non-Hindi speaking areas ;

(b) whether it is proposed to appoint such officers in Delhi and other P. and T. Circles in Hindi-speaking areas where the State Governments have adopted Hindi for their official work ; and

(c) if not, the reasons therefor when such officers are required in these States also for liasion with other State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Posts of Assistant Hindi Supervisors have also been created in certain Hindi speaking areas such as Delhi and M. P. Circles.

(c) No necessity has been felt so far to appoint such officers in other Hindi speaking areas as bulk of the staff in these places is already conversant with Hindi. Posts for these areas would also be sanctioned as and when considered necessary.

Female Workers in P. and T.

8259. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the total number of female workers in the Department of Posts and Telegraphs at present ;

(b) the number thereof sanctioned meternity leave during the last two years ; and

(c) the extra annual expenditure Government had to incur as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha as early as possible.

Employees in the Ministry of Food and Agriculture

8260. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of employees working in his Ministry ;

(b) the number of Gazetted and non-Gazetted Officers out of those separately ; and

(c) the number of female employees out of gazetted and non-gazetted officers and employees ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 13,936.

(b) Gazetted	Non-Gazetted
1,374	12,562
(c) Female Gazetted	**Female Non-Gazetted**
59	**343**

चावल का निर्यात

8261. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का चावल निर्यात किया गया था ; और

(ख) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में लागत भाड़ा सहित लगभग 159·0 लाख रुपये के मूल्य का लगभग 7·8 हजार मीटरी टन बढ़िया वासमती चावल निर्यात किया गया था ।

(ख) कुवैत, इथोपिया, फिज्जी, मस्कत, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उगांडा, बेहरीन, लेबनान, सेकल्लेस, अदन, दमन तथा साऊदी अरब देशों को निर्यात किया गया था ।

रेलवे कर्मचारियों के इस विवाद सम्बन्धी लम्बित मामले

8262. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के श्रम विवाद सम्बन्धी मामले एक बड़ी संख्या में उनके मन्त्रालय में लम्बित हैं ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1968 को रेलवे-वार मान्यताप्राप्त कार्मिक संघों और बिना मान्यता प्राप्त संघों से और व्यक्तिगत रूप में प्राप्त लम्बित मामलों की संख्या कितनी थी ; और

(घ) इन मामलों पर शीघ्रता से निर्णय करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय मंत्रालय के पास अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रमांक	अनिर्णीत मामलों की संख्या ।	रेलों के नाम	मान्यता प्राप्त । मान्यता न प्राप्त यूनियने । वैयक्तिक रूप से
1	2	3	4
1	1	देहरी रोहतास लाइट रेलवे	मान्यता न प्राप्त यूनियन
2	1	सदर्न रेलवे	मान्यता न प्राप्त
योग	2		

(घ) इन दो मामलों में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायगा ।

Broadcast of Garhwali Folk Songs from A. I. R. Delhi

8263. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number of Garhwali folk songs and the number of the songs composed by various Garhwali poets which have been approved for Garhwali Programme broadcast from the Delhi Station of All India Radio ;

(b) the number of songs written by each poet approved for the said programme and the names of those poets ;

(c) the considerations and the persons on whose suggestions these songs are approved ;

(d) whether Garhwali poets have even been asked to broadcast their songs ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 251 folk songs and 83 songs by Garhwali poets.

(b)

1.	Shri Uma Shanker Satish	5
2.	Shri Keshwa Nand Dhyani	5
3.	Shri Sher Singh Garhdeshi	10
4.	Shri Girdharilal Kankal	7
5.	Shri Harish Chandra Ghildiyal	4
6.	Shri Shivanand Pandey	7
7.	Shri Chakradhar Bahuguna	5
8.	Shri Bhajan Singh 'Singh'	3
9.	Shri Jagdish Kiran Bahuguna	1
10.	Shri Kamal Sahityalankar	16 (when he was not on staff) and 20 (after joining AIR in 1965.)

(c) Songs are selected for their lyrical and musical value and their subject matter. Songs are selected on the recommendations of the persons supervising the Garhwali Programme.

(d) Yes, Sir.

(e) Does not arise

त्रिवेन्द्रम पत्तन से खाद्यान्नों का आयात

8264. **श्री विश्वमभरम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में त्रिवेन्द्रम पत्तन पर खाद्यान्न लाने वाले कितने जहाज आये और बन्दरगाह पर कितनी मात्रा में खाद्यान्न उतारे ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और भारतीय खाद्य निगम को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें मांग की गई है कि त्रिवेन्द्रम बन्दरगाह पर खाद्यान्नों वाले अधिक जहाज आने चाहियें ; और

(ग) त्रिवेन्द्रम बन्दरगाह पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उतरवाने की दिशा में उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से केरल की बन्दरगाहों को सामान्य रूप में उस राज्य को सप्लाई करने हेतु प्रयोग करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था । जहां तक त्रिवेन्द्रम की बन्दरगाह का संबंध है परिचालन की दृष्टि से इस बन्दरगाह पर किसी बड़े पैमाने पर जहाजों का कार्य करना सम्भव नहीं है । इस संबंध में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :—

(i) यह मौसमी बन्दरगाह है और केवल अक्तूबर तथा अप्रैल के महीनों में ही प्रयोग के काबिल होती है जब वर्षा नहीं होती है ।

(ii) यह बन्दरगाह भारी मात्रा में माल सम्भालने के उपयुक्त नहीं है । यहां तक कि बोरी में बन्द माल या तो क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा बन्दरगाह पर चल रही मौजूदा स्थिति के कारण गुम हो जाता है ।

(iii) सामान्यत: प्रति द्वन्द्वी श्रम संघों की मौजूदगी के कारण निर्विघ्न कार्य करना सम्भव नहीं है ।

तथापि, मौजूदा स्थिति का अनुमान लगाने हेतु फरवरी, 1969 में बोरियों में 3000 मीटरी टन चावल एस० एस० "फेलिस्टी" जहाज से त्रिवेन्द्रम भेजा गया था ।

Supply of Fertilisers to Madhya Pradesh

8265. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of fertiliser supplied to Madhya Pradesh during 1968-69 ; and

(b) the price on which it was supplied to the State Government and that on which it was supplied to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During 1968-69, the following quantities of fertilisers were supplied from the Central Fertiliser Pool to Madhya Pradesh :

Kind of fertilisers	Quantities supplied
	(in tonnes)
Ammonium Sulphate	38,028
Urea	31,418
Calcium Ammonium Nitrate (69 tonnes of 20·5% N-168 tonnes of 26% N)	237
Di-Ammonium Phosphate	1,080
Muriate of Potash	6,630

(b) The prices which were charged by the Central Fertiliser Pool on the State Governments for the fertilisers supplied to them as well as the corresponding retail prices to the farmers are shown below :

Kind of Fertiliser	Price per tonne for State Government (1)		Price per tonne for farmers
		Rs.	Rs.
Ammonium Sulphate	Upto 28-2-1969	477	502
(i) 100 kg. bags	From 1-3-1969	484	539
(ii) 50 kg. bags.	Upto 28 2-1969	458	513
	From 1-3-1969	495	550
Urea	Upto 28-2-1969	780	860
	From 1-3-1969	863	943
Calcium Ammonium Nitrate (20·5% N) (2)	Upto 31-12-1968	385	437
Calcium Ammonium Nitrate	Upto 28-2-1969	475	535
(26% N)	From 1-3-1969	515	575
Di-Ammonium Phosphate	Upto 28-2-1969	1,000	1,095
	From 1-3-1969	1,122	1,217
Muriate of Potash	Upto 28-2-1969	445	485
	From 1-3-1969	483	523

(1) Price per tonne (gross) for despatching station Freight paid upto the rail-head destination by the shortest and cheapest rail route or rail-cum-river route.

(2) There is no indigenous production of Calcium Ammonium Nitrate (20·5%) since 1-1-1969, nor was there any import of this fertiliser. Hence the Pool price was not refixed for this fertiliser with effect from 1-3-1969.

Allocation for Power Tube-Wells in Madhya Pradesh

8266. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any special allocation has been made for Madhya Pradesh to run tube-wells by power for agricultural purposes during 1969-70 ;

(b) if so, the amount so allocated ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (b). The allocation for rural electrification in respect of Madhya Pradesh for 1969-70 has not so far been finalised, as the Annual Plan of the State Government for 1969-70 is yet to be approved.

Destruction of Crop due to Severe Cold in Madhya Pradesh

8267. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the districts in Madhya Pradesh which were affected by severe cold and the percentage of crops destroyed as a result thereof ;

(b) the action taken to provide relief to affected farmers and persons ; and

(c) whether the State Government have asked for any assistance in this respect from the Centre ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The required information

has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) No, Sir.

पश्चिम रेलवे में डाक सेवा के नये डिजाइन के डिब्बों का प्रयोग

8268. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य तथा दक्षिण रेलवे में कई वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकार के रेलवे डाक सेवा डिब्बों का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी रेलवे में भी इन डिब्बों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम रेलवे में इन डिब्बों की व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 1968-69 के दौरान पश्चिम रेलवे को दस नई किस्म की रेलवे डाक सेवा डिब्बे सप्लाई किए गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Programme for Farmers on Television

8269. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any programme to educate farmers in rural areas through television has been started ; and

(b) if so, the names of the places where such programmes have been started and the number of farmers being educated ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir ; from Delhi TV Centre.

(b) Farm tele-clubs have been organised at 80 villages around Delhi. List of these villages is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT-983/69.] It is estimated that at these centres about 8,000 persons view programmes which are televised twice a week.

Central Welfare Ministry for Industrial Workers

8270. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Deorao Patil :**
Shri V. Narsimha Rao :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Study Team of the National Labour Commission has recommended the creation of a Central Welfare Ministry for the Industrial Workers ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) In the discussions of the Study Group on Labour Problems in the Public Sector a suggestion was made for setting up a Welfare Ministry for public enterprises at the central level, but the opinion was divided. The Group, however, recommended to the National Labour Commission to consider the proposal in its broad perspective and suggested that both public and private enterprises of a commercial character should come within the purview of such a Ministry, if and when created.

(b) Government would consider the matter on receipt of the Commission's recommendations, which are awaited.

गोहत्या पर प्रतिबन्ध

8271. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यह मामला किस अवस्था में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें उपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 984/69]

राष्ट्रीय श्रम नीति का निर्धारित किया जाना

8272. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1969 को जयपुर में राजस्थान कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में एक राष्ट्रीय श्रम नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था;

(ख) क्या इस मामले पर ध्यान दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, उसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय की गोष्ठी या उसमें किए गए विचार-विमर्श के परिणामों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दरभंगा में टेलीग्राफ डिवीजन का बनाया जाना

8273. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर टेलीग्राफ इंजिनियरिंग डिवीजन वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1954 में लगभग 2000 टेलीफोन थे किन्तु इस समय उनकी संख्या 6000 से अधिक है ;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर डिवीजन के अन्तर्गत उस सारे क्षेत्र की व्यवस्था आती है, जो उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र है जिनमें चार से अधिक टेलीफोन केन्द्र हैं ;

(घ) क्या मुजफ्फरपुर के पूर्वी क्षेत्र की व्यवस्था के लिये दरभगा में एक अन्य तार डिवीजन खोलने के लिये लोगों ने प्रार्थना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मुजफ्फरपुर इंजीनियरी मंडल में एक्सटेंशनों सहित 1-10-1954 को कुल 838 और 31-3-1969 को कुल 6223 टेलीफोन थे ।

(ग) जी हां । इस मंडल के अंतर्गत 1-10-1954 को 9 और 31-3-1969 को 67 एक्सचेंज थे ।

(घ) दरभंगा में एक नया तार इंजीनियरी मंडल खोलने के लिए हमें दरभंगा जिले की कुछ स्थानीय संस्थाओं और अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) दरभंगा में एक मंडल बनाने के लिए हाल ही में पोस्टमास्टर जनरल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और इस समय उसकी जांच की जा रही है ।

नई दिल्ली में व्यवसाय प्रशिक्षण के लिये नई योजना

8274. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Conversion of Public Call Office Siwar (Rajasthan) into a Telephone Exchange

8275. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether tt is a fact that Government have received many representations from the

Sarpanch, Traders and people of Siwar in regard to the conversion of Public Call Office of Siwar in the Sawai Madhopur District in Bharatpur Division (Rajasthan) into a Telephone Exchange ;

(b) if so, when Government propose to set up a Telephone Exchange there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. However, there has been a demand for telephone connections which is proposed to be met by providing extensions from the existing P. C. O.

(b) and (c). In absence of public electric power supply, opening of an exchange at this station is not remunerative with the present telephone demand. An exchange can be opened either when electric supply bocomes available or there is adequate demand to make a manually operated magneto exchange remunerative. Till then P. C. O. extensions will be provided.

New Rice Mills in Rajasthan

8276. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of applications at present under consideration for setting up new rice mills in Rajasthan ;

(b) the names of the applicants concerned and the names of the places where they proposed to set up the said rice mills : and

(c) the decision of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It has been reported that there are no applications pending with the State Government. No information is available with regard to the applications, if any, that may be pending with District Collectors.

(b) and (c). Do not arise.

More Rice Mills in Co-operative Sector

8277. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved a scheme regarding the setting up of some rice mills on co-operative basis ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the details of assistance proposed to be given by Government therefor ; and

(d) the anticipated production capacity of each of those mills ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde).: (a) Yes, Sir.

(b) Under the Centrally aided Plan programmes, there is a scheme for providing financial assistance to co-operatives for the setting up of rice mills. This scheme has been introduced since the beginning of Second Plan period and will also continue during the Fourth Plan period.

(c) Under the scheme, the co-operatives are provided financial assistance by way of share capital contribution, long-term loan and also managerial subsidy. The quantum of assistance depends upon the cost of each rice mill.

(d) The capacity of each co-operative rice mill may vary from 1-ton to 2-tons of paddy/rice per hour.

Survey of Under-Ground Water in Sawai Madhopur and Jaipur Districts

8278. **Shri Meeth Lal Meena :** Will the Minister of **Food in Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the party conducting the survey of deep underground water has surveyed the major parts of Rajasthan ;

(b) whether Sawai Madhopur and Jaipur Districts of Rajasthan have also been included in the said survey ;

(c) if so, the details of the survey reports regarding the aforesaid two districts ;

(d) if survey has not been conducted, the time by which the survey is likely to be conducted ;

(e) if not, the reasons therefor ; and

(f) the names of the places where tube-wells are likely to be installed in the aforesaid two districts ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (f). The Survey of underground water in Rajasthan is undertaken by a number of agencies, i.e., the Rajasthan Groundwater Board, the Geological Survey of India and the Exploratory Tubewells Organisation. The required information is being collected from these sources and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

Brackish Water for Irrigation Purposes

8279. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agricultural Research Centre of Udaipur University is making some experiments on the use of brackish water for irrigation purposes ;

(b) if so, the result thereof ;

(c) the names of Districts of Rajasthan where these experiments are being carried out at present ;

(d) whether there is any scheme to make experiments in this regard on brackish water which is easily available in large quantity in wells and ponds in Bikaner Division ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) Study revealed that barley can tolerate more brackish water than wheat, bajra and maize. Waters with conductivity of 17.5 and 9 millimohos per centimeter could be used safely for barley and Khariche wheat in the districts of Pali, Jodhpur and Bhilwara. Waters of higher salinity could be used in Nagaur due to sandy nature of soil. The crop growth is more adversely affected on heavy than on light soils by brackish water. It has been observed that fertiliser application along with farmyard manure is beneficial on moderately saline-alkali soils for wheat, barley, maize and bajra. The results of research about saline waters of Nagaur and Bhilwara districts are under publication.

(c) These experiments are being conducted by the University on the soils of Jodhpur, Pali, Bhilwara and Nagaur districts.

(d) At present there is no such scheme as the results of these research can be applied under other conditions as well.

(e) The University would like to extend this work on Bikaner soils also, if needed.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

8280. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के प्रत्येक केन्द्र के अनुसार विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के कितने वर्ग हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों पर कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) प्रत्येक वर्ग में कितने स्थायी पद हैं ; और

(घ) इन स्थायी पदों पर कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—985/69]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तृतीय और चतुथ श्रेणी के पद

8281. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के किन-किन वर्गों के पद हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों के लिए वर्तमान वेतनक्रम क्या है अथवा हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 986/69]

उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रशिक्षण और शिक्षा का कार्यक्रम

8282. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को कृषि और विज्ञान सम्बन्धी आधुनिकतम जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश में कितने तथा किन-किन स्थानों में किसानों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है और यह प्रशिक्षण कितनी अवधि का था ;

(ग) क्या साक्षरता भी इस कार्यक्रम का एक अंग है और यदि हाँ, तो गांवों में लोगों को साक्षर बनाने का काम किस प्रकार किया जा रहा है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम से कितने गांवों तथा किसानों को लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषकों की प्रशिक्षण तथा शिक्षण योजना के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्मों के विषय में चुनिंदा जिलों में उत्तर प्रदेश की पांच कृषक प्रशिक्षण केन्द्र अलाट किये गये हैं। ये केन्द्र ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र बखशी-का-तालाब (लखनऊ), ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र बिछपुरी (आगरा), ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र गाजीपुर, सत्ताओं ब्लाक (राय बोली) और बेकवार (इटावा) में स्थित हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-8-67 से 31-3-69 तक लखनऊ, आगरा तथा गाजीपुर जिलों में 56754 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, रायबरेली जिले के केन्द्रों को हाल ही में आरम्भ किया गया है। अतः इन दो जिलों में प्रशिक्षित किये गये किसानों की संख्या की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां। यह कार्यक्रम का भाग केवल लखनऊ जिले के लिये है। चुनिन्दा गांवों में फंग्शनल लिट्रेसी ग्रुपों की व्यवस्था की गई है ताकि अपने फार्मों की योजनाओं की तैयारी के लिये कृषक पर्याप्त साक्षात प्राप्त कर सकें, आदान कार्डों को पुर कर सकें, फार्म लेखा को रख सकें तथा ऋण व सप्लाई आदि के लिये साधारण पत्र लिख सकें।

एक विशेष स्थान (स्कूल, सामुदायिक केन्द्र आदि) पर एक बिशेष समय पर 20-30 व्यस्क कृषकों की एक टोली के लिये कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

प्रत्येक पाठ्यक्रम 6 मास की अवधि का है। प्रथम 3 मास की अवधि में सप्ताह में 5 दिन सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा और शेष 3 मास की अवधि में सप्ताह में 2-3 दिन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(घ) फंग्शनल लिट्रेसी कार्यक्रम लखनऊ जिले में 60 केन्द्रों में शुरू किया गया है और बखशी-का-तालाब मोहनलालगंज, गोसांई गंज तथा सरोजनी नगर नामक 4 खन्डों में प्रत्येक केन्द्र में 30 व्यस्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर 1968 में लगभग 1800 व्यस्क कृषकों ने लिट्रेसी कक्षाओं में अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था।

Import of Machines for Milk Plants in India

8284. **Shri Shushi Bhushan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the machines imported from foreign countries in connection with the 60 Milk Plants at present functioning in India and the value thereof ;

(b) the details of indigenously manufactured machines in use in these plants ; and

(c) the reasons for not manufacturing these machines indigenously ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Various Agencies, such as USAID, UNICEF, Colombo Plan countries, (i. e. New Zealand, Canada, Australia, etc) have so far assisted us in procuring importable items of equipment such as pasteurisers, homogenisers, bottling lines, refrigeration equipment, boilers, road/rail tankers, milk driers, etc. valued at about Rs. 12.94 crores.

(b) In the above process of establishment of dairy plants, indigenously manufactured items of equipment such as water tanks, water treatment plants, and other anciallary equipment were employed.

(c) From the time imported machines were first received during the First Plan, considerable progress has been made in manufacture of dairy equipments indigenously. Firms have been manufacturing dairy equipments such as pasteurisers storage, tanks. bottling lines, refrigeration equipment, boilers, etc. to meet the requirements of the dairy plants. Only a few items such as homogenisers are not manufactured within the country. There is no question of any reasons for not manufacturing machines indigenously. Govenment are doing their best to encourage indigenous manufacture.

Fall in Per Capita Consumption of Milk

8285. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of fallin the per capita consumption of milk during the last ten years ending 1967-68 and the reaction of Government to this when nearly 60 Milk Plants were working in the country ;

(b) whether it is a fact that Government had to import 3,000 tonnes milk powder from abroad initially to keep such plants running which has gone up to about 20,000 tonnes now and even the thesen plants are working to the extent of 40 per cent of their rated capacity ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The estimated *per capita* consumption of milk which was at 46.69 kgs. in 1956 has declained to 42.01 kgs. in 1966 ; thus registering a decline of about 10% in a 10-year period.

The working of the milk plants has no bearing upon the over all per capita consumption of milk in the country, as these plants are primarily aimed at supplying good quality milk in hygienic and sanitary conditions at reasonable prices in certain urban areas only. The consumers served by dairies constitute a very small minority of the country's population.

(b) and (c). The use of imported skim milk powder in these plants has risen from 3,000 tonnes to 11,000 tonnes (but not to 20,000 tonnes), Milk powder is required for increasing the quantity of milk available for distribution Apart from this the plants are committed to supply low-fat high protein milk at low price to vulnerable group of population such as children, nursing and expectant mothers, etc The low fat high protein milk is processed with milk powder.

These plants have recorded a steady progress in their throughput, which varies from 40 to 75 per cent and in some cases to 90 per cent of their installed capacity. This is a very welcome feature. Eveay effort will be made by the State Governments and others concerned to improve upon the working of these plants during the Fourth Plan period.

केन्द्रीय राज्य फार्मों के बारे में नीति

8286. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय क्षेत्र में नये फार्म स्थापित करने की नीति के बारे में पुन: विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में यह निश्चय कर लिया है कि इस समय उन फार्मों के अतिरिक्त जोकि पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं अथवा उनकी योजना अग्रिम अवस्था में है, कोई नये फार्म स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

रात्रि हवाई डाक सेवा की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर रफी अहमद किदवाई की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

8287. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री मुहम्मद शरीफ़ :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात्रि हवाई डाक सेवा की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 अप्रैल, 1969 को स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के सम्मान में एक स्मृति टिकट जारी किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि रात्रि हवाई डाक सेवा वर्ष 1949 में आरम्भ की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो फोल्डर में 'डिजायन के विवरण' में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में रात्रि हवाई डाक सेवा आरम्भ करने का वर्ष गलत रूप में 1948 क्यों छापा गया ; और

(घ) बार-बार इस प्रकार की गलतियां होने के, विशेषत: जबकि हाल ही में डा० मार्टिन लूथर किंग स्मृति टिकट में छपाई की गलती थी, क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हा ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रचार फोल्डरों के छपने के तुरन्त बाद ही यह गलती नजर आई जिसे बिक्री शुरू होने से पूर्व हाथ से ठीक कर दिया गया ।

(घ) प्रूफ़ की जांच करने में लापरवाही के कारण यह गलती हुई । इस ओर समुचित ध्यान दिया गया है, और एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रूफ की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा ली जाने वाली खाद्यान्नों की लागत

8288. **श्री मोहम्मद शरीफ :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग में यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिए जाने वाले मूल्य तथा खाद्यान्नों पर लाभ कुछ अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निगम को बदलती हुई परिस्थितियों में व्यापार में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने योग्य बनाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने अपनी "1969-70 सीजन के लिए रबी खाद्यान्न सम्बन्धी मूल्य नीति" रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिये जाने वाले मूल्य तथा लाभ सामान्यत: व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य तथा लाभ से कुछ अधिक हैं।

(ख) और (ग). वास्तव में भारतीय खाद्य निगम के मूल्य तथा लाभ की तुलना गैर सरकारी व्यापार के साथ नहीं की जा सकती। भारतीय खाद्य निगम को लम्बी अवधि तक खाद्यान्न का संचय तथा दूर-दूर तक संचलन करने की लागत के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है। चालू क्षेत्रीय ढाँचे के अन्तर्गत सीमित क्षेत्रों में व्यापारी ही खाद्यान्नों को लाते-लेजाते हैं। राष्ट्रीय बफर स्टाक के लिये खाद्यान्नों का संचय करने के कारण ही भारतीय खाद्य निगम को अधिक अवधि के लिए खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम की कार्यचालन सम्बन्धी लागत को यथा सम्भव अधिक कम करने के लिए सरकार प्रत्येक प्रयत्न कर रही है। निगम के अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा खाद्यान्नों के वितरण के लिए प्रासंगिक खर्चों की सरकार ध्यानपूर्वक जांच करती है और केवल कम से कम खर्चों की अनुमति दी जाती है।

Post Offices in Madhya Pradesh

8289. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices working at present in the urban and rural areas of Madhya Pradesh ; and

(b) the number of additional post offices likely to be opened districtwise in 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) As on 25-4-69 : Urban—567 and Rural—5,210.

(b) Number of Post offices likely to be established during the year 1969-70, subject to fulfilment of departmental standards, availability to funds etc., districtwise :

Jabalpur	2	Mandla	3
Drug	8	Damoh	2
Sagar	2	Vidhisha	4
Dewas	1	Khargone	3
Ratlam	8	Ujjain	3
Rajgarh	4	East Nimar	2
Khargone	2	Morena	4
Shivpuri	5	Guna	2
Betul	2	Panna	3
Sidhi	5	Satna	5
Bilaspur	11	Surguja	5
Balaghat	2	Raipur	13

Baster	6	Raisen	4
Sehore	2	Indore	2
Dhar	2	Mandsaur	9
Jhabua	7	Shajapur	2
Hoshangabad	2	Narsingpur	2
Bhind	11	Gwalior	8
Datia	2	Seoni	2
Chhindwara	2	Rewa	3
Chattarpur	2	Tikamgarh	6
Raigarh	5		
Total	180		

Payment of Bonus of Employees by Industrial Undertakings Under Ujjain Labour Sub-Division

8290. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of industrial undertakings under Ujjain Labour Sub-Division which have paid bonus to their employees and workers during the year 1967-68 ;

(b) the total amount of bonus paid to the employees ;

(c) the number of those undertakings in the public and private sectors which have not be paid bonus for the aforesaid year ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to get the bonus paid to the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The matter falls in the State sphere. There is however no obligation on the part of employers or workers to report to Government the payment/receipt of bonus under the Payment of Bonus Act. The information is, therefore, not available with the Government.

(d) This can be considered by the "Appropriate Government" if any specific cases are brought to their notice.

होटल प्रबन्ध, जलपान व्यवस्था और पोषाहार संस्था, नई दिल्ली

8291. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री किकर सिंह : **श्री देवेन सेन :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि एक गृह-प्रबन्ध सहायक निरीक्षक को, जिसे शिक्षण का कोई अनुभव नहीं था या जिसे नियमों के अन्तर्गत उक्त विषय की मूल योग्यता प्राप्त नहीं की थी, होटल प्रबन्ध, जलपान व्यवस्था और पोषाहार संस्था, नई दिल्ली में नियुक्ति की गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). पद का विज्ञापन दिया गया था और संस्थान की स्टाफ चुनाव कमेटी द्वारा लिये गये साक्षात्कार के आधार पर 1967 में एक उम्मीदवार को नियुक्त किया गया था हालांकि उम्मीदवार के पास विहित योग्यता नहीं थी। संस्थान को लिखा जा रहा है कि वे बतायें कि किन स्थितियों में यह नियुक्ति की गयी थी।

आदिम जातियों की स्थिति में सुधार

8392. **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० र० परमार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिम जातियों की स्थिति में सुधार करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने क्या सुझाव दिये थे ; और

(ख) ये सुझाव कब दिये गये थे और इनको कैसे क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) **और** (ख). सरकार को मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित आदिम जातियों के श्रमिकों (कृषि और उद्योग) सम्बन्धी अध्ययन दल में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की प्रतीक्षित सिफारिशें प्राप्त होने पर वह इस पर विचार करेगी।

बेरोजगार व्यक्ति

8293. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं : और

(ख) वर्ष 1969 में उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने की सम्भावनाएं हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगस्त 1968 में योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति बेरोजगारी, श्रम शक्ति की वृद्धि और सम्भाव्य रोजगार के अनुमान की जांच करेगी तथा अपने सुझाव देगी।

(ख) 1969-70 की वार्षिक योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, यातायात व संचार तथा

सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं समाज कल्याण के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार लोगों के लिये अधिक अधिक रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की श्रेणी तीन से श्रेणी दो में पदोन्नति

8294. **श्री रामजी राम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में गत तीन वर्षों में श्रेणी तीन से श्रेणी दो (राजपत्रित) के पदों पर कितने कर्मचारी पदोन्नत किये गये ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति न करके उनसे जूनियर कर्मचारियों को श्रेणी तीन से श्रेणी दो (राजपत्रित) पदों पर पदोन्नत किया गया था, तथा इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बीजों का निर्यात

8295. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में बीजों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या कुछ और किस्म के बीजों जैसे गोभी, प्याज का निर्यात किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन बीजों के निर्यात बाजारों की सूचना गैर सरकारी बीज उत्पादकों को दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (अप्रेल, 1968-जनवरी, 1969) के दौरान भारत द्वारा बोने के लिए निर्यात किये गये बीजों की मात्रा देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 987/69]

(ख) उपलब्ध जानकारी के आधार पर विदेशों में विशेषकर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका देशों में सब्जी के बीजों जिसमें फूलगोभी और प्याज भी सम्मिलित है, के लिए पर्याप्त क्षेत्र है, दूब की घास के बीजों के निर्यात की भी पर्याप्त संभावनायें प्रतीत होती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय बीजों के लिए विदेशी बाजारों का अन्वेषण करने के उद्देश्य से

प्रारम्भिक जांच पड़ताल कर रहा है, फिर भी, विदेशों में विभिन्न बीजों की निर्यात क्षमता का आंकने के लिए बाजार सर्वेक्षण का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये बीजों का आयात

8296. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संचित बीजों के आयात करने के और उसके पुनः निर्यात की अनुमति है; और

(ख) यदि नहीं तो उक्त बीजों का आयात करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, मामले के औचित्य के आधार पर ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

आकाशवाणी के लिए निगम

8297. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 19 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम के अन्तर्गत रखने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली में खुले सिनेमाघर

8298. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसार तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में कम टिकट वाले सिनेमा घर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है । परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने की खबर नहीं मिली है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी लेना आवश्यक नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि के विनियोजन का तरीका

8299. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत संचित भविष्य निधि के विनियोजना के तरीके को उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों को कहां तक लाभ होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) छूट-प्राप्त और छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 के लिये निवेश की निम्न पद्धति निर्धारित की गई है :—

(1) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में—50 प्रतिशत से कम नहीं ।

(2) शेष राज्य सरकारों द्वारा निर्मित और जारी की गई प्रतिभूतियों, अल्प बचतों तथा केन्द्रीय व सरकारों द्वारा गारंटी-कृत अन्य प्रतिभूतियों में ।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 1-9-68 से पहले केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों और अल्प बचतों में लगाये गये धन पर हुई आमदनी की तुलना में 1969-70 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से लगभग 52 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम व्याज के रूप में प्राप्त होगी ।

छट्टी मनाने के मामले में दिल्ली में तार घरों को प्रशासनिक कार्यालय घोषित करना

8300. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन के महाप्रबंधक ने छुट्टी मनाने और प्रत्येक

महीने में दूसरे शनिवार की छुट्टी मनाने के बारे में दिल्ली में तार-घरों को प्रशासनिक कार्यालय घोषित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस आदेश से कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है; और

(ग) क्या देश में अन्य तार-घरों को भी प्रशासनिक कार्यालय घोषित किया जायेगा और उन्हें भी छुट्टियों और महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी की सुविधा दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली और ऐसे विभागीय तारघरो में जिनके कार्यभारी अधिकारी राजपत्रित हैं, दिन की ड्यूटी वाले अनुभागों में प्रशासनिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को महा-प्रबंधक, टेलीफोन, नई दिल्ली ने कुछ गलतफहमी के कारण दिल्ली टेलीफोन मंडल के प्रशासनिक कर्मचारियों के समान प्रशासनिक कार्यालय की छूट्टियां मनाने की अनुमति दे दी थी। अब इन आदेशों को रद्द किया जा रहा है।

(ख) इससे 302 कर्मचारियों ने फायदा उठाया। अब इसे वापिस लिया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत आदेश जारी कर दिये गये थे कि सभी तारघरों के सारे अनुभागों में प्रचालक कार्यालयों के लिए नियत कार्य-समय और छुट्टियां एक सी होंगी।

उत्तर प्रदेश को चीनी की सप्लाई

8301. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965, 1966, 1967 तथा 1968 में उत्तर प्रदेश में चीनी की कितनी वास्तविक मांग केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1965-66 और 1966-67 (23 नवम्बर, 1967 तक) के वर्षों में चीनी के मूल्य और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण था। चीनी की उपलब्ध मात्रा को राज्यों में स्थापित आधार पर वितरित किया जाता था। 1967-68 में चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू की गई थी। चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी का केवल 60 प्रतिशत लेवी के रूप में अधिग्रहण किया गया और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में मासिक कोटों के रूप में वितरित किया गया। अगस्त 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मासिक कोटा 10,603 मीटरी टन से बढ़ाकर 21,000 मीटरी टन कर देने के लिए कहा। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धि होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं पाया गया। चालू मौसम 1968-69 के लिए भी आंशिक विनियन्त्रण की नीति को जारी रखा जा रहा है लेकिन लेवी की अधिप्राप्ति दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है। लेवी की दर में वृद्धि करने और 1968-69 में प्रत्याशित अधिक उत्पादन होने के कारण उत्तर प्रदेश का मासिक कोटा जनवरी, 1969 से 10,603 मीटरी टन से बढ़ाकर 14,752 मीटरी टन कर दिया गया है 1967-68 और 1968-69 के दौरान मासिक आवंटनों के अलावा, खपत के लिए चीनी खुले बाजार में भी उपलब्ध थी। यह चीनी आंशिक विनियन्त्रण की नीति की दृष्टि में कारखानों को खुले बाजार में बेचने के लिए दी गई थी।

चार वर्षों में उत्तर प्रदेश को चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थीं ।

1965-56	3,35,257	मीटरी टन
1966-67	2,55,864	"
1967-68	1,39,202	"
1968-69	90,261	"
(अप्रैल, 1969 तक)		

हैदराबाद में प्रेस सूचना विभाग के कार्यक्रम पर आक्रमण

8302. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अप्रैल, 1969 को हैदराबाद में भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग के कार्यालय पर आन्दोलनकारियों के एक जत्थे ने हमला किया था और कार्यालय की सम्पति को क्षति पहुंचाई थी और एक सूचना अधिकारी का घन भी छीन लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यालय की सम्पति की कितनी हानि का अनुमान है: और

(ग) भविष्य में अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 580/—रुपये (इसमें कार्यालय के रिकार्ड और एक टेलीप्रिंटर मशीन को हुई क्षति, जिसके बारे में डाक तार अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, का मूल्य शामिल नहीं है) ।

(ग) हमले के तुरन्त बाद, पत्र सूचना कार्यालय के केन्द्र पर रात दिन की ड्यूटी पर सिपाही तैनात कर दिये गये थे । यह व्यवस्था अब भी जारी है । भविष्य के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि जब भी जरूरत होगी वे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे ।

तमिल नाडु मे सूखा

8303. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गम्भीर सूखा पड़ने के कारण तमिल नाडु के कुछ क्षेत्रों में पानी का राशन होने और नगरीय क्षेत्रों से लोगों के भारी संख्या में चले जाने की सम्भावना है;

(ख) राज्य की कुल कितनी जनसंख्या पर सूखे का प्रभाव पड़ा है;

(ग) सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(घ) अब तक राहत के क्या कार्य किये गये हैं और सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तमिल नाडू के बहुत से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सख्त कमी महसूस की जा रही है और इससे निकट भविष्य में पानी का राशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है । फिलहाल, मुख्य नगरों को खाली कराने की कोई आवश्यकत नहीं है लेकिन यदि वर्षा नहीं होती है तो लगभग जून या जुलाई तक स्थिति बिगड़ सकती है और स्थिति पर निगरानी रखनी होगी ।

(ख) 25.8 लाख ।

(ग) सूखे के परिणामस्वरूप कृषि पैदावार की दृष्टि से 12.75 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की हानि होने की सम्भावना है ।

(घ) राज्य सरकार ने प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने हेतु सहायता कार्य गठित किये हैं । जहाँ कही भी आवश्यक होता है वहां पीने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूखा-सहायता हेतु 3.25 करोड़ रुपये की एक धनराशि दी है । केन्द्रीय दल जो मई, 1969 में तमिल नाडू का दूसरी बार दौरा करेगा, की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए और सहायता दी जाएगी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को 100 मीटरी टन उपहार गेहूं मुफ्त सहायता के रूप में वितरण हेतु मुफ्त दी है । अन्य राज्यों की आवश्यकताओं और केन्द्रीय पूल के पास खाद्यान्न की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को खाद्यान्न की यथा सम्भव अधिक मात्रा आवंटित की जा रही है ।

बंगाली चलचित्र "मनुषेर जय यात्रा" को सेंसर करना

8304. **श्री श्रद्धाकार सूपाकर :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बंगाली वृत्त चित्र "मनुषेर जय यात्रा" में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) क्या यह चलचित्र पूर्वी क्षेत्र के फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक छोटे से अंश को, जिसको बोर्ड ने आपत्तिजनक पाया था, छोड़कर फिल्म को केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा 'यू' प्रमाण पत्र दिया गया है ।

अमरीका द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये उपहार

8305. **श्री जुगल मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में पश्चिम बंगाल को अमरीका से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ कितना गेहूँ तथा अन्य खाद्य वस्तुएं सप्लाई की गई; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इनमें से कितनी वस्तुओं का वितरण किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल की ट्रैक्टरों की आवश्यकता

8306. **श्री जुगल मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य की ट्रैक्टरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और वर्ष 1968 में तथा मार्च 1969 तक कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गये हैं ;

(ख) क्या ये सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई किये गये थे अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1969 के लिए ट्रैक्टरों के कोटे का अतिरिक्त कोई प्रस्ताव भेजा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की ट्रैक्टरों की अनुमानित माँग 1000 थी । इसकी तुलना में 300 ट्रैक्टरों (200-जैटर-2011 और 100 डी टी-14 बी) का नियतन किया गया था । 80 जेटर ट्रैक्टर प ले ही सप्लाई किये जा चुके हैं और शेष भविष्य में सप्लाई कर दिये जायेंगे । गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये गये स्वदेशी ट्रैक्टरों की संख्या के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यह ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश ऐग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन (जोकि एक राज्य सरकार की निकाय है) द्वारा सप्लाई किये गये थे । शेष ट्रैक्टर इस निगम द्वारा (120 जैटर-2011) तथा बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज डिवेल्पमेंट कारपोरेशन, लिमिटेड् द्वारा (11 डी० टी० 14 बी) सप्लाई किये जायेगे ।

(ग) जी हां ।

पश्चिम बंगाल को गेहूं, चावल तथा चीनी का नियतन

8307. **श्री जुगल मंडल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गेहूं, चावल तथा चीनी का और अधिक नियतन किये जाने के लिए हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका कितना नियतन किये जाने की सम्भावना है और कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). **गेहूं और चावल** : मार्च में पश्चिमी बंगाल सरकार के मंत्रियों और खाद्य तथा कृषि मंत्री के बीच विचार विमर्श होने के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार से और खाद्यान्नों के आवंटन के लिए कोई नई माँग प्राप्त नहीं हुई है। लोक सभा में 7-4-1969 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में मार्च की स्थिति पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श किया गया था।

चीनी : पश्चिमी बंगाल का लेवी चीनी का मासिक कोटा जनवरी, 1969 से 11,133 मीटरी टन से बढ़ाकर 13,167 मीटरी टन कर दिया गया था। मार्च, 1969 में राज्य सरकार ने अपने कोटे में 3,000 मीटरी टन की बढ़ोतरी करने के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि उपलब्ध लेवी चीनी समान आधार पर राज्य सरकारों में वितरित की जाती है इसलिए इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया था।

जम्मू तथा काश्मीर सामूहिक श्रवण संस्था

8308. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सामूहिक श्रवण संस्था को 1954 में आकाशवाणी के नियन्त्रणाधीन कर दिया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले सेवा के लाभ तथा अन्य लाभ उक्त संस्था के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होते ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां। इसे अन्तिम उपाय के रूप में किया गया था। इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि यह संगठन राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए या केन्द्रीय सरकार के।

(ख) कर्मचारियों को राज्य सरकार के वेतनमान दिये जाते हैं, परन्तु उन्हें महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार की दरों पर दिया जाता है। यह सच है कि सभी प्रयोजनों के लिए उन्हें केन्द्रीय कर्मचारी नहीं समझा जाता।

(ग) संगठन के भविष्य के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

8309. **डा रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से प्रति मास अधिक शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए धन मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है और वे किस-किस वर्ग के हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को सहायता देने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें 1964 के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले प्रवाह की प्रवृत्ति तथा 1-1-1965 से फरवरी, 1969, के अन्त तक के महीने बार आंकड़े दिये गये हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 988/69] इस प्रवाह के वर्ग-वार तथा व्यवसायवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में प्रवजन की प्रवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

जहां तक पश्चिमी बंगाल में आने वाले नये प्रवासियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, चूंकि आर्थिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल में और प्रवासियों को नहीं खपाया जा सकता था, इसलिए 1964 में यह निश्चित किया गया था कि पश्चिम बंगाल में आने वाले नये प्रवासियों को राज्य से बाहर पुनर्व्यवस्थापित किया जाये। तदनुसार, राहत तथा पुनर्वास सहायता केवल उन प्रवासियों को ही प्रदान की जाती है जो पश्चिम बंगाल से बाहर जाने के लिए सहमत हों, और भारत आने के दो सप्ताह के अन्तर्गत सरकार द्वारा खोले गये राहत शिविरों में प्रवेश पा लेते हों। उन प्रवासियों को जो पश्चिम बंगाल में आते हैं और जिन्हें राहत तथा पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट माना राहत शिविर में भेजा जायेगा जहां कि उनके आवास के उपयुक्त प्रबन्ध किये गये हैं और वहां से उन्हें, उनके अन्तिम पुनर्वास स्थलों में भेजा जायेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में नये प्रवासियों के पुनर्वास के लिए चालू वर्ष के बजट प्रस्तावों में विशिष्ट धन व्यवस्था के लिए कोई मांग नहीं की है।

वन पर आधारित उद्योगों के लिये जम्मू में पूंजी विनियोजन से पहले सर्वेक्षण

8310. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन पर आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जम्मू में पूंजी नियोजन से पूर्व सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जम्मू में निवेशपूर्व सर्वेक्षण करने का काम शुरू कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सर्वेक्षण के 1970 में समाप्त होने की आशा है।

आकाशवाणी से पहाड़ी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण

8312. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमाऊं, गढ़वाल तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए पहाड़ी भाषा में कितने आकाशवाणी केन्द्रों से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ख) क्या केवल मात्र पहाड़ी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इस क्षेत्र में एक आकाशवाणी केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पांच ।

(ख) जी, हां ।

अमरीका द्वारा भारत को गेहूं देने की पेशकश

8313. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रा० लास्कर :**

श्री रा० बरूआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को 1,30,000 टन गेहूँ देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) इस गेहूँ के कब तक पहुंचने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से ऐसी कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है । तथापि मौजूदा पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत विभिन्न मात्राओं के लिए क्रय प्राधिकार प्राप्त हो रहे हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर में मांडया जिले में पैकेज योजना

8314. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मांडया जिले में पैकेज योजना पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 1962 से लेकर उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है :

(ग) उत्पादन की दृष्टि से क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में जोपों के पैट्रोल तथा अन्य सहायक वस्तुओं पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1962-63 से वर्ष 1968-69 तक 87.892 लाख रुपये ।

(ख) वर्ष 1962-63 से खर्च का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	लाखों रुपयों में
1962-63	8.095
1963-64	8.713

1964-65	16.200
1965-66	13.465
1966-67	13.149
1967-68	14.164
1968-69	14.106 (अस्थायी)

(ग) जिले में कार्यक्रम के आरम्भ करने के पश्चात चावल तथा अन्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में प्रति हैक्टर वृद्धि हुई है । केवल 1965-66 से 1967-68 तक, जबकि जिले को सूखे का सामना करना पड़ा था, उपज में कमी हुई थी । जिले में चावल का उत्पादन कार्यक्रम के आरम्भ करने से पूर्व (1959—62) में 87,600 टन था जो वर्ष 1964·65 में 1,43,600 टन हो गया था । इसके बाद सूखे के कारण उत्पादन में कमी हो गई थी । वर्ष 1968-69 में जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, अधिक उपज होने की आशा है जहां तक औसतन उपज का सम्बन्ध है कार्यक्रम से पूर्व चावल की औसतन उपज (वर्ष 1959—62) में प्रति ट्रैक्टर 14.9 कवन्टिल थी जो वर्ष 1964-65 में बढ़कर 24.1 क्वटिन्ल हो गई थी । आगामी वर्षों में उपज में कुछ कमी होने पर उपज में फिर वृद्धि हुई है और वर्ष 1968-69 में उपज 23.9 क्वन्टिल प्रति हैक्टर थी ।

(घ) मैसूर सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और जसे ही जानकारी प्राप्त होगी वह दे दी जायेगी ।

High Yielding Variety of Paddy Developed by Indian Agricultural Research Institute

8315. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Agricultural Research Institute has recently developed a high-yielding variety of paddy for Basmati variety of rice ;

(b) whether it is also a fact that the Central Committee on release of variety of seeds has not released the above variety of paddy so far ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government have tried this variety in Bihar ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Ministor of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes ; the Indian Agricultural Research Institute has developed a few fertiliser-responsive, high-yielding dwarf lines of rice with long slender grains usually classified under the Basmati and Permal groups in the grain market. Some of these have scent and others are non-scented.

(b) No proposals has so far been submitted to the Central Variety Release Committee of the Government of India for the release of the above mentioned strains.

(c) Does not arise.

(d) Under the All India Coordinated Rice Improvement Project, these lines were tested in Bihar in Kharif—1968 and are being tested in the summer crop season (March to July 1969).

(e) Does not arise.

Research in High-Yielding Varieties of Foodgrains

8316. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the kinds of foodgrains in respect of which research has been made for getting high-yielding varieties of seeds ;

(b) whether any measures have been adopted to give encouragement to the persons who have made these researches;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that the new agricultural researches are being widely and rapidly propogated among the farmers in villages ; and

(e) if so, the efforts made by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Research work has been carried out in the country in research institutes and under the All India Coordinated Projects to develop high yielding varieties of wheat, rice, maize. sorghum, bajra and other food crops.

(b) Yes.

(c) Research workers have been given encouragement in various ways, viz., by the award of medals or titles and also by promoting them to better posts.

(d) Yes.

(e) The Programme of national demostration launched by the Government of India in 1965 serves to propogate the results of agricultural researches among the farmers in villages. The programme was started on a modest scale during the Kharif 1965-66. The results had a pronounced effect on the farmers' minds and the programme was expanded in 1966 67. About 2,000 demostrations were organised in the country during the period and were continued and expanded during subsequent years.

Scholarships to Students of Agricultural College

8317. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have made any arrangements to award scholarships to the students of Agricultural Colleges ;

(b) if so, the basis and criteria for awarding such scholarships and the persons to whom such scholarships are awarded ;

(c) the number of students of Agricultural Colleges in Bihar who were awarded such scholarships during the last three years as also the names of those Agricultural Colleges ;

(d) the details in regard thereto ; and

(e) if no scholarships were awarded, whether Government propose to introduce some scheme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b). The scholarships are allocated to the various Colleges at the rate of not exceeding 5 per cent of the actual admissions. Only those students who have secured not less than 60 per cent marks in the qualifying examination and whose parents income does not exceed Rs. 500.00 per month are considered for the awards.

(c) and (d). The scholarships were awarded to Agricultural Colleges in Bihar during the last three years as per statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

	1966-67	1967-68	1968-69	Total
(1) Ranchi Agricultural College, Kanke, Ranchi	2	—	*	2
(2) Bihar Agricultural College. Sabour.	5	3	3	11
(3) Tirhut College of Agriculture Dholi.	5	4	3	12
Total :	12	7	6	25

*Note : The necessary particulars from the Ranchi Agricultural College, Kanke, Ranchi, for award of scholarships to students in that College during 1968-69 were received by the end of March, 1969. Since, however, there were some discrepancies in these particulars, clarifications have been called for from the College. Reply from the College is awaited.

(e) Does not arise.

टैलीफोन केन्द्रों में तार की कमी

8318. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्यत: तार (केबलों) की कमी के कारण देश में टैलीफोन केन्द्रों की कनेक्शन देने की कुछ प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ; और

(ग) तारों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कनेक्शन देने की अप्रयुक्त क्षमता 16.53 प्रतिशत है।

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने और केबल का आयात करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

"अपना टेलीफोन लगाइये" इस योजना से भिन्न योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

8319. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में "अपना टेलीफोन लगवाइये" और इस योजना से भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोनों के लिये आये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े थे और इन नगरों में इन दोनों श्रेणियों के लिये औसतन कितने समय तक टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) प्रतीक्षा सूचियों को घटाने तथा औसतन प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क)

(i) प्रतिक्षा सूची

	अपना टेलीफोन योजना	अपना टेलीफोन योजना से इतर
बम्बई	59,040	*1,144
दिल्ली	4,763	51,423
कलकत्ता	6,521	90,878

*बम्बई में सामान्य वर्ग की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी गई थी ।

(ii) औसत प्रतीक्षा अवधि

	अपना टेलीफोन योजना	अपना टेलीफोन योजना से इतर
बम्बई	4 वर्ष	1 वर्ष
दिल्ली	8 महीने	8 वर्ष
कलकत्ता	2½ वर्ष	8 वर्ष

(ख) 1969-74 की अवधि के दौरान उपलब्ध सामग्री और वित्तीय साधनों से उक्त नगरों में से प्रत्येक में लगभग 60,000 लाइनों की एक्सचेंज क्षमता और बढ़ा दी जाएगी और बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में औसत प्रतीक्षा अवधि क्रमशः लगभग 5, 6 और 7 वर्ष हो जाने की संभावना है ।

Ban on Preparation of "Khoya" and Extraction of Cream

8320. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri V. Narasimha Rao :**
Shri Muhammad Sherief : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the preparation of "Khoya" and the extraction of cream from milk has been banned in Delhi and near about districts ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether any delegation of milk-vendors has met him in this connection ; and

(d) if so, the reactio ı of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Restriction on manufacture of milk products including khoya and cream has been found necessary during the Summer months for maintaining supply of milk in the areas covered by Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1969.

(c) Yes, Sir.

(d) Government have decided that, in the larger public interest, the prohibition on the manufacture of khoya and cream etc. will continue to operate during the period 15th April, 1969 to 14 July, 1969, as mentioned in the Control Order.

"बाल आहार" और "पीनट बटर" का उत्पादन

8321. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने "बाल आहार" और "पीनट बटर" जो बहुत अधिक पौष्टिक पदार्थ बताये जाते हैं बनाना आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों में क्या-क्या तत्व हैं और क्या इनका उत्पादन व्यापारिक आधार पर आरम्भ हो गया है ; और

(ग) क्या स्कूलों के बच्चों को ये पदार्थ मुफ्त बांटने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने केवल बालाहार बनाने का कार्य हाथ में लिया था । मूंगफली का मक्खन खाद्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है।

(ख) बालाहार में गेहूँ का आटा, खाने योग्य मूंगफली का आटा और सपरेटा दुग्धचूर्ण होता है। इसमें आवश्यक विटामिन, खनिज पदार्थ और स्वादिष्ट बनाने वाले तत्व मिलाए जाते हैं। फिलहाल बालाहार का उत्पादन केवल बच्चों के भोजन सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये किया जा रहा है न कि वाणिज्यिक आधार पर ।

मूंगफली के मक्खन को कुछ विटामिन मिलाकर मूंगफली की गिरी से तैयार किया जाता है। उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये फिलहाल मूंगफली के मक्खन का उत्पादन अभी अर्ध-वाणिज्यिक आधार पर चालू किया गया है।

(ग) बालाहार को केयर भोजन सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों में मुफ्त बांटा जा रहा है। मूंगफली से बने मक्खन को स्कूल के बच्चों में मुफ्त बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Publications Brought out in Hindi

8322. **Shri Atam Das** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of publications brought out by the Ministry only in English during the last three years ; and

(b) the action being taken to publish them in Hindi also ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

8323. **श्री रा० बरुआ** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की चीनी बनाने की सभी 71 मिलों के मालिकों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि चीनी के मूल्यों में निरन्तर कमी के कारण होने वाली हानि से इस उद्योग को बचाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य की चीनी बनाने की मिलों को किस प्रकार सहायता देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते .

अंगूर की बेलें उगाना

8325. **श्री बृजराज सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में भी अंगूर की बेल अंगूर वाटिका लगाने में सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो बाजार में अंगूर उपलब्ध करने के अतिरिक्त इन अंगूर-वाटिकाओं से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिये सरकार ने और क्या योजनाएं बनाई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फसल काटने के यंत्रों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों का आयात

8326. **श्री सु० कु० तापडिया** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री हिम्मत सिंहका** :
श्री रा० बरूआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिये फसल काटने के यंत्रों, ट्रेक्टरों तथा कृषि संबंधी मशीनों के आयात की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक प्रकार के कितने यंत्रीकृत कृषि औजारों का आयात किया जायेगा और इन औजारों का किन देशों से आयात किया जायेगा और प्रत्येक का कितना-कितना आयात किया जायेगा ; और

(ग) उनका आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी और उनमें से कितने आयात का रुपये में भुगतान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) वर्ष 1969-70 में फसल काटने के यन्त्रों, ट्रेक्टरों और अन्य कृषि औजारों के आयात के लिये एक कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है। फिर भी निम्नलिखित कृषि औजारों के आयात की मंजूरी 1968-69 के कार्यक्रम के अनुसार दी गई। इन में से अधिकांश औजारों की 1969-70 में प्राप्ति की आशा है।

देश का नाम	संख्या जो आयात की जायेगी	विदेशी मुद्रा (लाख रु० में)
(क) ट्रेक्टर अतिरिक्त भागों और कलपुर्जों सहित।		
रूस	6500	426.08 (मूल्य बीमा और भाड़ा)
जैकोस्लोवाकिया	5000	461.85 (एफ० ओ०बी०)
रूमानिया	500	85.25 (मूल्य और भाड़ा)
पूर्वी जर्मनी	3000	397.50 (मूल्य और भाड़ा)
(ख) शक्तिहल अतिरिक्त पुर्जों सहित।		
जापान	1000	38.50
अमरीका	212	2.58 (दो छोटे ट्रेक्टर भी शामिल हैं)
(ग) संगम फसल काटने के यन्त्र अतिरिक्त पुर्जों सहित ;		
रूस X	12	10.00
पूर्वी जर्मनी	X12 @	10.00
पश्चिमी जर्मनी	25 @	18.56 (ल)
डेनमार्क	25	3.15
जापान	1 (ख)	...
फसल काटने और बांधने के यंत्र।		
इटली	10	0.48
सूखा चारा रेकस और उसे बांधने के यंत्र।		
पश्चिमी जर्मनी		

(ल) अभी मंजूर करनी है।

(@) इनमें फसल काटने के दो संगम यंत्र भी हैं जो परीक्षणार्थ निशुल्क प्राप्त होंगे।

(ख) परीक्षार्थ निशुल्क प्राप्त किये जायेगे।

(X) रुपये के भुगतान द्वारा आयात किये जाने वाले देश।

उर्वरकों का आयात

8327. **श्री सु० कु० तापाड़िया :**

श्री हिम्मत सिंहका :

खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कोई मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसमें कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा और वह किन-किन देशों से किया जायेगा तथा प्रत्येक देश से किस-किस प्रकार के उर्वरकों का आयात किया जायेगा ; और

(घ) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अथवा रुपये में भुगतान करने वाले देशों से कितने उर्वरकों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और किस-किस प्रकार के उर्वरकों का आयात किया जायेगा ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) :(क) जी हां ।

(ख) 1969-70 में उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा के आयात का भुगतान करने के लिये सरकार ने 197.85 करोड़ रुपये नियत किये हैं :

नाइट्रोजन	11 लाख मीटरी टन
पी०$_2$ ओ०5	2 लाख मीटरी टन
के०$_2$ ओ०	2 लाख मीटरी टन

फिर भी आयात की जाने वाली उर्वरकों की वास्तविक मात्रा सम्बन्धित विदेशों में आवश्यक किस्मों की उर्वरकों की उपलब्धि और वहाँ उनके विद्यमान मूल्य के औचित्य पर निर्भर करता है । इन परिस्थितियों में विशेष किस्म की आयात होने वाली उर्वरक की ठीक मात्रा बताना संभव नहीं है । उर्वरकों का आयात कनाडा, यूरोप के पूर्वी देशों (जिनमें रूस, जापान, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश भी सम्मिलित हैं) से होने की संभावना है ।

(ग) पी०एल० 480 के अधीन किसी उर्वरक का आयात नहीं होता । अपरिवर्तित रुपये की अदायगी से व्यापार योजना उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित उर्वरकों की खरीद के लिये पूर्व यूरोपीय देशों के साथ समझौतों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

रूस	190,000 मी० टन सलफेट आफ अमोनिया 60,000 मी० टन यूरिया
पोलेण्ड	90,000 मी० टन । संभरणकर्ताओं को 15,000 मीटरी टन अतिरिक्त यूरिया सप्लाई करने की छूट होगी ।
रूमानिया	25,000 मी० टन
बलगेरिया	117,000 मी० टन
हंगरी	18,000, 20,000 मी० टन

जहाँ तक पोटासपूरक उर्वरकों की प्राप्ति का सम्बन्ध है, रूस और पूर्वी जर्मनी के साथ बात-चीत की जा रही है।

छोटे किसानों को छोटे किटों की सप्लाई

8328. **श्री सु० कु० तापडिया : श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री मुहम्मद शरीफ : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वि० नरसिम्हा राव .

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे किसानों को छोटे किट सप्लाई करने की कोई योजना है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां और उन्हें प्रयोग में लाने के तरीकों की एक पुस्तिका हो; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का मोटा ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) इस समय इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यशाला में 8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 1969 तक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छोटे किसानों को 'मिनि किट' देने की योजना पर विचार विमर्श किया गया ; इस वर्ष 'मिनि किटों' की उपयोगिता की जांच करने के लिये चावल के उत्पादन में विकासशील, तंजौर, पश्चिम गोदावरी, रायपुर तथा सम्बलपुर जिलों में, फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिये जाने वाले छः 'मिनि किटों' की उपयोगता का परीक्षण किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्य फार्म निगम

8329. **श्री सु० कु० तापडिया : श्री हिम्मत सिंहका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य फार्म निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्तमान राज्य फार्म निगम के अधीन लाये जायेंगे और उसके अधीन कितने तथा किन-किन स्थानों पर नये फार्म स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस निगम के कार्यक्रम की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है और केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों द्वारा इसमें किस प्रकार पूंजी लगायी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी हां। फार्म की स्थापना सूरतगढ़. जैनसार (राजस्थान), झरसूगुडा उड़ीसा), हिसार (हरियाणा), जालंधर (पंजाब). रायचूर (मैसूर) में स्थापित हुए तथा केरल में स्थापित किये जाने वाले फार्मों के कार्य का संचालन करने के लिए की जा रही है। निगम का मुख्य कार्य खाद्यान्नों, रेशे वाली फसलों, बागान फसलों, तिलहनों तथा सब्जियों में बीजों का उत्पादन करना होगा। निगम गैर सरकारी पार्टियों से कार्य की पूरी लागत लेकर उनकी भूमि के विकास

का कार्य भी करेगी। निगम की अधिकृत पूंजी 7 करोड़ होगी। चुकती पूंजी 3 करोड़ रु० होगी जिसमें लगभग दो करोड़ रु० की, फार्मों की मौजूदा सम्पत्ति भी सम्मिलित होगी। निगम के लिये पूंजी पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी।

"टुडे इन पार्लियामेन्ट" कार्यक्रम

8330. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1969 को 8-35 म०प० पर "टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम में लोक सभा में वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति पर वाद विवाद का प्रसारण करते हुए केवल कुछ सदस्यों के नाम तथा भाषण ही विस्तार से दिये गये थे, जबकि विदेशी सदस्यों के नामों तथा भाषणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जब कि 10 मिनट के इस कार्यक्रम में केवल लोक सभा के वाद विवाद का ही प्रसारण किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार की इस बारे में कोई समान नीति है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। चर्चा में जिन 20 संसद सदस्यों ने (मंत्री महोदय को छोड़कर) भाग लिया, उनमें से 9 सदस्यों के नाम अंग्रेजी की कमेंट्री 'टुडे इन पार्लियामेंट' में लिए गए। उनमें से 5 सदस्य विरोधी दलों के तथा निर्दलीय सदस्य थे। हिन्दी कमेंट्री 'संसद समीक्षा' में 14 सदस्यों के नाम, जिनमें 6 विरोधी दलों के तथा निर्दलीय थे, लिए गए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ ; 'टुडे इन पार्लियामेंट' तथा 'संसद समीक्षा' कार्यक्रमों के बारे में स्क्रिप्ट लेखकों के लिये सामान्य मार्गदर्शक बातों के बारे में नोट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 989/69]

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्विटजरलैंड के कृषि विशेषज्ञों का संथाल परगना क्षेत्र (बिहार) का दौरा

8331. **श्री मरण्डी** : क्या **खाद्य तथा** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड के कृषि बिशेषज्ञ 50 गाँवों के किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा सुधारने के लिए अनुदेश देने हेतु बिहार के संथाल परगना जिले में बोरीजोआ खण्ड का दौरा करेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) कोई भी ऐसे विशेषज्ञ किसी भी विदेशी सहायता योजना के अन्तर्गत सरकारी स्तर पर नहीं जा रहे हैं। इस मन्त्रालय को किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठनकी जानकारी नहीं है जो कि स्विटजरलैंड के किसी गैर सरकारी संगठन से ऐसी सहायता प्राप्त कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Sanctioning of Telephone Connections in New Delhi

8332. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6732 on the 17th April, 1969 regarding the sanctioning of Telephone connection and to state :

(a) whether demand notes have since been sent to those persons who have been sanctioned telephones ;

(b) the number of demand notes which have not so far been sent for the connections sanctioned for Malviya Nagar, New Delhi ; and

(c) the date by which these demand notes are likely to be sent ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, except in cases where spare cables are not available.

(b) 44.

(c) The demand notes will be issued after the cables are laid. The cable work is already in hand and is likely to be completed in about two months' time.

Transfer of Registered Cases from Tis Hazari Telephone Exchange to Delhi Gate Exchange

8333. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the number of cases registered in the Tis Hazari Telephone Exchange, Delhi which have been transferred to the Delhi Gate Telephone exchange or to some other exchange :

(b) whether the concerned persons were informed of the new registration numbers :

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) where the said persons would be informed of their new numbers now ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) OYT=666

Non-OYT=2550

(b) No.

(c) This was not necessary as the old registration numbers hold good.

(d) No.

दरभंगा जिला (बिहार) में रयाम फैक्टरी में डाकघर

8334. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिला बिहार में रयाम फैक्टरी डाकघर में टेलीफोन का

कोई प्रबन्ध नहीं है, जब कि चिरकाल से यह डाक घर एक उप-डाकघर के रूप में काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार वहाँ पर टेलीफोन का प्रबन्ध करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रयाम फैक्टरी में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का मामला अभी चलाया गया है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की अब जांच की जा रही है । इस बारे में अधीनस्थ यूनिटों से ब्यौरा मंगाया गया है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों की छंटनी

8335. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में 1967 की अपेक्षा अधिक कर्मचारियों की छंटनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पृथक-पृथक और उद्योगवार 1967 की अपेक्षा 1968 में कुल कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बंध है सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

सिनेमा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ

8336. **श्री के० रमानी** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिनेमा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के लाभ नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सिनेमा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के लाभ देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, 31 जुलाई, 1961 से सिनेमाओं पर लागू कर दिया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

फिल्म उद्योग में रोजगार के बारे में कानून

8337. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग में रोजगार के बारे में कानून बनाने के लिये, जिसके प्रारूप को इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई त्रिपक्षीय समिति ने एक वर्ष से भी अधिक समय पहले सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था, सभी औपचारिकताएं इस बीच पूरी कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). फिल्म उद्योग में रोजगार को नियमित करने सम्बन्धी एक योजना का समविदा तैयार किया गया और फरवरी 1966 में हुए स्थायी श्रम समिति के 24वें अधिवेशन के समक्ष रखा गया। स्थायी श्रम समिति ने यह सिफारिश की कि योजना के मसविदे पर विस्तार-पूर्वक विचार करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित की जानी चाहिए। सभी सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करने के बाद एक समिति बनाई गई जिसने सितम्बर, 1968 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट स्थायी श्रम समिति के सामने उसके अगले अधिवेशन में रखी जायेगी।

गोआ में चीनी बनाने के कारखाने

8338. **श्री शिंकरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ के गैर-सरकारी पक्षों तथा सहकारी समितियों से गोआ में चीनी बनाने के कारखाने लगाने के लिए मंजूरी हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पुर्तगाली शासन काल में भी वहां पर चीनी बनाने का एक कारखाना लगाया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वहां के किसानों ने उपजाऊ भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर गन्ने की खेती करना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) क्या गोआ में निकट भविष्य में चीनी बनाने का कारखाना लगाने के लिये अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब

शिन्दे) : (क) जी हाँ। गोआ में नये चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेने के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी से और दूसरा सहकारी समिति से।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। फिलहाल गोआ में कोई चीनी कारखाना नहीं है।

(घ) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी केन्द्र, पणाजी (गोआ) से मराठी कार्यक्रम का प्रसारण

8339. **श्री शिकरे :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी के पणाजी-गोआ केन्द्र के अधिकारियों द्वारा मराठी के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय न दिये जाने के कारण गोआ के लोगों में बहुत असंतोष है ;

(ख) क्या सरकार ने मूलत: मराठी कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक समय देने के लिये अधिकारियों को अनुदेश दिये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के पणाजी केन्द्र में काम करने वाली परामर्श दात्री समिति में परिवर्तन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) मराठी के कार्यक्रमों को जितना समय अलाट किया गया है उसमें वृद्धि करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोंकणी कार्यक्रमों के समय की वृद्धि करने के बारे में भी इसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पणाजी केन्द्र के लिये इस समय कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति नहीं है। जल्दी ही ऐसी एक सलाहकार समिति स्थापित की जायेगी।

गोआ में मल्लाहों की हड़ताल

8340. **श्री शिकरे :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 16 फरवरी, 1969 से गोआ में मल्लाहों ने हड़ताल कर रखी है और इसके फलस्वरूप अयस्क लादने के काम में बहुत अधिक बाधा पड़ी है ;

(ख) क्या मल्लाहों की इस हड़ताल के कारण सरकार को पिछले तीन महीनों में 5 करोड़ की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(ग) क्या लदान की गति धीमी होने तथा पर्याप्त मात्रा में अयस्क उपलब्ध न होने के कारण मारमागोआ बन्दरगाह जाने वाले अनेक स्टीमर जहाजों को अन्य पत्तनों की ओर मोड़ दिया गया है ;

(घ) क्या धन के अभाव के कारण अनेक खान मालिकों ने अपनी खानों से आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया अयस्क निकालना बन्द कर दिया है और इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो मजदूरों को शान्ति करने तथा अयस्क निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ङ). यह विवाद राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्षा पर निर्भर खेती के लिए अधिक उपज देने वाली अनाजों की किस्में

8341. **नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्षा पर निर्भर खेती के लिए खाद्यन्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के **बारे** में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) देश में सिंचित क्षेत्र के अनुपात में वर्षा पर निर्भर कितने क्षेत्र में खेती की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में खेती के अधीन भूमि का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा पर निर्भर स्थिति के अधीन फसल उत्पादन में सुधार के लिये (।) प्रतिएकड़ उपज, बढ़ाने के लिये उचित काश्त तरीकों के विकास, और (।।) इन स्थितियों के अधीन उगाने के लिये उचित किस्मों के विकास पर अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस दिशा में पहले ही कुछ उन्नति की जा चुकी है । इस प्रकार उदाहरणार्थ संकर ज्वार और संकर बाजरे का विकास किया गया है जो कि असिंचित स्थितियों के अधीन स्थानीय किस्मों से अधिक उपज दे सकते हैं। गेहूँ की कुछ बौनी किस्में जैसे कल्यानसोना वर्षा पर निर्भर खेती में अच्छी उपज देती है। चावल में भी मिट्टी में नमी की आधार स्थितियों में उगने की उचितता के आधार पर किस्मों की दर छटनी की जा रही है। दालों में, लघुकाल में उपज देने वाली किस्मों, अरहर जैसी फसलें जो कि वर्षा पर निर्भर स्थिति में उपज देती हैं, की भी खोज की रही है।

(ख) कृषि आंकड़ों के अधार पर 1965-66 में कृषि के अन्तर्गत कुल 1358·29 लाख हैक्टर क्षेत्र था जिसमें कुछ असिंचित क्षेत्र 1093·88 लाख हैक्टर था जो कि कुल कृषिगत क्षेत्र का 80·53 प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र कुल कृषिगत क्षेत्र का 19·47 प्रतिशत है ।

सधन भूमि तथा जल सम्बन्धी सर्वेक्षण

8342. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सधन भूमि तथा जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके बिना कृषि का विकास किस प्रकार करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । सम्पूर्ण देश में सघन मृदा सर्वेक्षण और जल सम्बंधी सर्वेक्षण कराने के लिये सरकार का एक कार्यक्रम है ।

(ख) मृदा सर्वेक्षण केन्द्रीय स्तर पर अखिल भारतीय भूमि उपयोग मृदा सर्वेक्षण संगठन द्वारा और राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठनों द्वारा अपने अपने राज्यों में किया जाता है । अखिल भारतीय भूमि उपयोग मृदा सर्वेक्षण संगठन राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टियों का समन्वय, पारस्परिक सम्बंध स्थापन और वर्गीकरण कर रहा है । भूमिगत जल का जल विज्ञान सम्बंधी सर्वेक्षण मुख्यतः भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और सनन्वेषी नल-कूप संगठन द्वारा किया गया है । इनके प्रयत्नों को बढ़ाने के लिये विभिन्न राज्य भी भूमि गत जल का सर्वेक्षण करने के लिये अपने जल विज्ञान सम्बंधी सर्वेक्षण संगठन स्थापित कर रहे हैं ।

(ग) कृषि उत्पादन के लिये मृदा सर्वेक्षण और जल विज्ञान सम्बंधी सर्वेक्षण के महत्व को अनुभव करते हुये ही भारत सरकार ने आवश्यक संगठनों की स्थापना की है ।

विमानों से उर्वरकों का छिड़कना

8343. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करने के लिये विमान द्वारा समूची भूमि पर इनका छिड़काव करना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कीट नियन्त्रण के लिये फसलों पर विमानों द्वारा छिड़काव करना तथा उर्वरकों का प्रयोग काफी लोकप्रिय होता जा रहा है फिर भी सभी फसलों तथा सभी क्षेत्रों में हवाई छिड़काव अनुकूल सिद्ध नहीं होता । संसाधनों की कमी और विशेषकर विदेशी मुद्रा का प्रभाव भी इसका एक अन्य कारण है ।

विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा हवाई-रसायन छिड़काव की बढ़ती मांग को दृष्टि में रखते हुये सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में बेड़ों की संख्या को बढ़ाकर कृषि उड्डयन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ।

संगीत तथा नाटक प्रभाग के निदेशक के विरुद्ध ज्ञापन

8344. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको संगीत तथा नाटक प्रभाग के निदेशक के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या इन आरोपों की जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो किस स्तर पर ; और

(घ) जांच प्रतिवेदन कब तक मिलने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मामले में देखभाल की जा रही है ।

वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में शरणार्थियों को आवंटित किये गये क्वार्टरों के लिये भूमि

8345. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6689 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, दिल्ली के दो मंजिले क्वार्टरों के निर्माण के लिये जिन गैर-सरकारी लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उनको पुनर्वास विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया था और न्यायलयों के आदेशों के अनुसार अब उनको कितना और मुआवजा दिया जायेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या वसूल की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्वार्टर पाने वाले लोगों तथा उन लोगों में, जिन को बिक्री लेखपत्र पहले ही दिये जा चुके हैं, समान रूप से बांटा जायेगा ;और

(घ) कितनी अतिरिक्त धनराशि वसूल की जायेगी और इसका हिसाब किस आधार पर लगाया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

किसानों के लिये सिंचाई की सुविधाओं बिजली, उर्वरक तथा बीजों की व्यवस्था

8346. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को सस्ती दरों पर सिंचाई की सुविधायें, बिजली, उर्वरक तथा बीज देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** । संख्या एल० टी० 990/69]

कृषि उपज के मूल्य

8347. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार की यह निश्चित नीति रही है कि कृषि उत्पादों के लिये किसानों के लिये एक उचित कीमत सुनिश्चित की जाये। इस अभिप्राय के लिये अपनाये हुये मुख्य उपायों में न्यूनतम सहाय्य प्राप्त मूल्यों और अधिप्राप्ति मूल्यों का निर्धारण करना शामिल है। न्यूनतम सहाय्यप्राप्त मूल्य उत्पादन के लिये एक दीर्घकालीन प्रत्याभूति के रूप में है ताकि अत्याधिक उत्पादन के फलस्वरूप कीमतों में अधिक गिरावट होने के कारण उन की आय अनुचित रूप से गिरने न दी जाये। धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, कपास और पटसन के लिये न्यूनतम सहाय्यप्राप्त कीमतें और गन्ने के लिये सांविधिक न्यूनतम कीमतें (जो कारखानों द्वारा अदा की जाती हैं) हाल के वर्षों में बढ़ा दी गई हैं। महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के विषय में न्यूनतम सहाय्यप्राप्त कीमतों के अतिरिक्त वसूली कीमते भी (जिन पर सरकार वास्तविकरूप में खरीददारी करती है) निश्चित कर दी गई हैं। वसूली कीमतें न्यूनतम सहाय्यप्राप्त कीमतों से ऊंची होती हैं और वे प्रोत्साहन देती हैं। 1966-67 और 1967-68 के दौरान अधिप्राप्ति कीमतें बढ़ा दी गई थीं। उत्पादन में सारवान् वृद्धि और अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को अपनाने के फलस्वरूप उत्पाद्यता में वृद्धि होने पर भी 1968-69 और 1969-70 के रबी विपणन मौसम के लिये अधिप्राप्ति कीमतों के उसी स्तर को प्रायः कर कायम रखा गया है। इस के अतिरिक्त, 1968 से सरकार ने अधिप्राप्ति मूल्यों पर प्राप्त होने वाली खाद्यान्नों की सब मात्राओं को खरीदना शुरू कर दिया है। इस नीति को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि इस से खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि करने के कार्य में किसानों का उत्साह बना रहा है।

कोयला खानों से कोयले की खरीद

8348. **श्री प० मु० सईद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा अर्ध-करकारी सभी कोयला क्रेता प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के इस आशय के निदेशों का पालन कर रहे हैं कि वे केवल उन कोयला खानों से ही कोयला खरीदेंगे, जो खानें संबंधित श्रम आयुक्त से इस आशय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी कि उन्होंनें मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने कोयला खानों को ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये कहने के बाद अब केन्द्रीय सरकार के सितम्बर, 1968 के इस आशय के निदेशों की अपेक्षा करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्ड केन्द्रीय सरकार के उपरोक्त निदेशों का पालन करने के लिये सहमत हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार के निदेशक को सम्बन्धित मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कोयले के मुख्य सरकारी उपभोक्ताओं के ध्यान में ला दिया गया है। वे सम्बंधित उपक्रमों के अनुदेशों का पालन सुनिचिश्चत कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(ख) से (घ). मालूम हुआ है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग ने ऐसे विक्रेताओ को, जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियाविन्त करने के प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, इस आधार पर आर्डर दिए हैं कि इस प्रकार के प्रमाण-पत्र रखने वाले विक्रेताओं द्वारा पेश किया गया कोयला अपेक्षित कोटि का नहीं था या उसकी उद्धृत कीमतें अधिक थीं। इस मामले की आगे जांच की जा रही है।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की नौसेना के सम्बन्ध में समान नीति के लिये इण्डोनेशिया का कथित आमंत्रण

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Sir, I beg to call the attention of Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement in regard thereto :

"Reported invitation by Indonesia for common policy re-naval defence of South-East Asian countries and reaction of Government of India thereto."

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : इण्डोनेशिया सरकार ने हिन्द महा सागर में समान नौसैनिक कार्यवाही के बारे में भारत सरकार को कोई ठीक प्रस्ताव नहीं भेजा है।

भारत सरकार की नीति यह है कि हिन्द महासागर के क्षेत्र में किसी शक्ति का हस्तक्षेप अथवा प्रभुत्व न हो और वह भविष्य में शान्ति तथा सहयोग का क्षेत्र बने। हमारा विश्वास है कि इंडोनेशिया सरकार का भी ऐसा ही विचार है।

Shri Suraj Bhan : India has a large coastal area of 3,500 miles with 180 ports anp about 300 islands. China has an eye over this area after the exit of China and she has a large naval power. I would, therefore, like to know whether apart from strengthening the navy will you consider the question of protecting the coastline with the help of bombers. I would also like to know whether after the evacuation of Indian Ocean by the Britishers, Government will enhance the image of India by mutual co-operation with like-minded neighbouring countries without any interference from foreign powers and military pact. Will the Government take effective steps for the security of South-East Asian countries with which is connected the security of India. Does U.S.S.R.'s changing attitude towards Pakistan not show her intention to dominate Indian Ocean ? Will India also increase the limit of territorial waters just as has been done by U.S.S.R. and Norway ?

Will the Government consider the proposal that the Indian Ocean between two

neighbouring countries should be declared common territorial waters of those countries no foreign warship should be tolerated in the area ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हिन्द महासागर के बारे में हमारी नीति यह है कि हम इस क्षेत्र में कोई तनाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र परमाणु शास्त्रों से मुक्त रहे और हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में बाहर का कोई देश इस क्षेत्र में प्रभुत्व बनाये। इंडोनेशिया की नीति भी ऐसी है। इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री, श्री एडम मलिक के वक्तव्य से भी यही बात स्पष्ट होती है ;

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Does the Government deem it fit to take initiative to seek the co-operation of the countries of South-East Asia in this connection ? Was the matter discussed with the Prime Ministers attending the Commonwealth Prime Ministers Conference ? Did the Deputy Prime Minister hold any talks on this subject ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रतिरक्षा मंत्रालय ने नौसेना को शक्तिशाली बनाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है। हम ब्रिटिश नौसेना के इस क्षेत्र से निकलने का स्वागत करते हैं और हम यह नहीं चाहते कि कोई और शक्ति उसका स्थान ले।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : U.S.A., Britain and France are deploying their navy in Indian Ocean. Have the Government asked those countries to vacate Indian Ocean and if not, reasons therefor ? We should seek the co-operation of other countries of Indian Ocean so that no other nation can move its ships without permission from the countries of this area ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कुछ बड़ी शक्तियां अपने फौजी तथा नौसैनिक अड्डे स्थापित करना चाहते हैं परन्तु हम इस विचार के विरुद्ध हैं। इस सम्बन्ध में हमने अपने पड़ौसी देशों से भी बातचीत की है और उनमें से अधिकांश के विचार भी यही हैं।

श्री हेम बरुआ : भारत की सुरक्षा हिन्द महासागर की सुरक्षा पर निर्भर करती है और दुर्भाग्य से भारत हिन्द महासागर की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दक्षिण पूर्वी एशिया के समान विचारों वाले देशों से हिन्द महासागर की सांझी सुरक्षा के लिए बातचीत में पहल करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ? यदि श्री एडम मलिक का प्रस्ताव सीधा सरकार के पास नहीं पहुंचा है, तो क्या सरकार इण्डोनेशिया से हमारे राजदूत से बातचीत करके प्रस्ताव का ब्यौरा प्राप्त करेगी ताकि उसकी जांच की जा सके।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इण्डोनेशिया से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई सम्भावना है। इण्डोनेशिया में हमारे राजदूत ने सूचना भेजी है कि डा० एडम मलिक ने प्रतिरक्षा समझौते का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। वह केवल इस क्षेत्र के देशों में इस उद्देश्य से बातचीत करना चाहते हैं कि बड़ी शक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखने के उपायों का पता लगाया जाये।

हम साझे सैनिक समझौतों के विरुद्ध हैं। अपने तट तथा देश की सुरक्षा करने की अन्तिम जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।

श्री दिनकर देसाई : 1970 में ब्रिटिश सेनायें सिंगापुर से हटाने से स्थान रिक्त हो जायेगा तथा रूस और अमरीका जैसे बड़े देश इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हम इस मामले में चुप साधे हुए हैं। भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिये। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम नहीं चाहते कि कोई अन्य शक्ति हिन्द महासागर के क्षेत्र में आये। हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के प्रमाणित लेखे

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) प्रोद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 974/69]

दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अधीन दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 3 अप्रैल, 1969 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (34)/68-69 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 975/69]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) जी० एस० आर० 917 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या जी ० एस० आर० 914 में एक संशोधन किया गया।

(2) दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1969 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 835 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 976/69]

अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 975 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 976 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 977/69]

(2) (एक) दिल्ली पंचायत अधिनियम, 1954 की धारा 102 की उपधारा (3) के अधीन दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनाँक 6 मार्च, 1969 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 26 (4) पंच/इलेक/68 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 978/69]

भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1969 में लिये गये बाजार ऋण के परिणाम बताने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र बी० सेठी) : मैं भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1969 में लिये गये बाजार ऋण के परिणाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 979/69]

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मैं भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा तदानुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य, ज्ञापन आदि

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मैं भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन तथा तदानुषंगिक

विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा में पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मैं भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति को प्राप्त ज्ञापनों/अध्यावेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूँ।

आवश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम आदि के निरसन के बारे में याचिका

PETITION : REPEAL OF ESSENTIAL SERVICE MAINTENANCE ACT, ETC.

श्री श्रीपद अमृत डांगे : मैं आवश्यक सेवाएं बना रखने के अधिनियम, 1968 के निरसन, संघों की मान्यता, कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों के वापस लिये जाने तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी दिये जाने आदि के बारे में नई दिल्ली के सर्वश्री जगदीश ओबराय, ए० एस० चौहान तथा अन्य व्यक्तियों की एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : सोमवार, 5 मई 1969 से होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) वित्त विधेयक, 1969

(आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)

(2) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(3) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(4) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)

(5) संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(विचार तथा पास करना)

(6) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा बुधवार 7 मई, 1968 को प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात् आरम्भ की जायेगी ।

2. नियत किये जा चुके कार्यक्रम के अनुसार, श्री नाथ पाई के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 पर आगे विचार मंगलवार, 6 मई, 1969 को 4 बजे म० प० पर आरम्भ किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वही पढ़ा है जोकि कल कार्यमन्त्रणा समिति ने निर्णय किया है । यदि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम पुनः बैठक बुला सकते हैं । **(व्यवधान)** मैं अभी खड़ा हुआ हूं : यह श्री रघुरमैया का निर्णय नहीं है । यह समिति का निर्णय है ।

श्री हेम बरुआ : हम चाहते हैं कि वह अपने वक्तव्य को पुनः पढ़ दें ।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं उन्हें इसे पढ़ने को कह सकता हूँ । परन्तु मेरे विचार में अब यह आवश्यक नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आज 1 मई है । आज लाखों की संख्या में मजदूर एक याचिका संसद को प्रस्तुत करने के लिये यहां आये हैं । मैं चाहता हूँ कि सरकार धारा 144 को हटा दे ताकि वे संसद भवन के समीप आकर याचिका दे सकें ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से जो 30 अप्रैल, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से जो 30 अप्रैल, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

———

वित्त विधेयक जारी

FINANCE BILL—(Contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करेंगे । हम खण्ड संख्या 2 को लेंगे ।

श्री मो० रू० मसानी (राजकोट) : इस खंड पर मेरे संशोधन संख्या 158 और 159 हैं...

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I rise on a point of order. Sir, there is a disparity. I want to bring it to your notice and to the notice of the House. Some

amendments have been circulated. Some of them are from Shri Morarji Desai but the amendments circulated by the Lok Sabha Secretariat are somewhat different. This should be clarified. Then there is difference in page numbers of the two.

श्री मो० रू० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या 158 और 159 प्रस्तुत करता हूँ। इन दो संशोधनों का सम्बन्ध उन फर्मों से है जिनके बारे में आयकर की दरों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। खंड 2 के द्वारा करों को लगाने का अधिकार प्राप्त किया जा रहा है। प्रथम तो 10,000 रुपये तक के आय वर्ग पर कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। इससे निम्न वर्ग पर बोझ बढ़ जायेगा। दूसरे जिनकी आय 15,000 रुपये से 20,000 रुपये वार्षिक आय है उसके बारे में 3 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है।

सभा को विदित है कि नियत आय वाले वर्ग को सरकार की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा शिकार होना पड़ा है। गत दस वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ गई है। बड़े खेद की बात है कि सरकार ने इस वर्ग पर पुनः कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यह अनुचित है। इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

दूसरी वृद्धि रजिस्टर्ड फर्मों के बारे में की जा रही है। पहले ही फर्मों को बहुत कर देना पड़ता है। अब उनसे और अधिक कर लेने का प्रस्ताव है। अब एक फर्म जिसको 800 रुपये प्रतिमास आय होती है उसे दोहरा कर देना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सभा का इस ओर ध्यान दिलाया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I support the amendments moved by Shri Masani. They have taken into consideration Property tax and Income tax together. Income tax is connected with our day to day expenses but property is a permanent asset. These two taxes should not be taken together. I want that middle income group should be given some relief. This group is already very much burdened.

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं मैं उन्हें अवसर देना चाहता हूँ। श्री मसानी और वेणीशंकर शर्मा ने इस खंड पर संशोधन दिये हैं। यदि सभी दल सभी संशोधनों पर बोलना चाहेंगे तो हम निश्चित समय तक यह चर्चा पूरी नहीं कर पायेंगे। हमें समय का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I support the amendments moved by Shri Masani. Instead of giving relief to middle income group they want to enhance income tax on them. It is not proper. Then they have increased tax on registered firms. It will not yield much income to Government.

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस खंड पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों के अभिप्राय को समझ नहीं पाया। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

श्री मो० रू० मसानी : मैं इन संशोधन पर बल नहीं दे रहा हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

The amendments were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड दो विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड दो विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.06 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Six minutes past Fourteen of the clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

सभापति महोदय : अब हम खंड 3 को लेंगे ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3, और 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 185, 186, 187, और 188 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस खंड का सम्बन्ध कम्पनी कानून की धारा 104 से है । इस विधेयक से जो परिवर्तन किया जा रहा है । अब एक तो सार्वजनिक कम्पनियाँ वे होंगी जिनके शेयर स्टाक एक्सचेंज में बिकते हैं । यह ठीक है । परन्तु मुख्य प्रश्न तो अन्य कम्पनियों का है । उनकी परिभाषा के दो भाग हैं । एक वे जिनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर बाहर की जनता के पास होंगे ।

दूसरे वे जिनके मामले में एक निर्धारित वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर पांच अथवा इससे कम व्यक्तियों के पास होंगे । इससे यह निश्चय करने में मुश्किल होगी कि क्या अमुक कम्पनी सार्वजनिक है अथवा निजी ? मेरा अनुरोध है कि दूसरी बात को समाप्त कर दिया जाये । इससे कोई अन्तर नहीं होता कि शेयर एक व्यक्ति के पास हैं अथवा एक से अधिक के पास हैं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपने सभी संशोधनों को एक साथ लूंगा । धारा 280 के कारण बहुत मुकदमेबाजी हुई है । इसमें इस परिवर्तन से सुधार होगा । इसे 1969-70 से लागू किया जाये ।

मेरे संशोधन का उद्देश्य इनको कम्पनियों को राहत देना है जो निर्यात कार्य में लगी हुई

है। निर्यात व्यापार के हित यह बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : हमने इसको उदार बनाने का प्रयत्न किया है परन्तु हम उतना उदार नहीं बना सके जितना कि माननीय सदस्य चाहते हैं। श्री शर्मा ने निर्यात करने वाली कम्पनियों के बारे में संशोधन रखा है। यह नहीं माना जा सकता। हाँ, मैं निर्यात करने वाली कम्पनियों के लिये कुछ और कर सकता हूँ। मैं इन संशोधनो को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 185 से 188 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4—धारा 6 का संशोधन

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 189, 190 और 191 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं चाहता हूं कि वाहन भत्ता बढ़ा कर 250 रुपये से 350 रुपये कर दिया जाये। दूसरे 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के आय वर्ग पर प्रस्तावित कर वृद्धि वापस ले ली जाये। यह अनुचित है।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 189 के द्वारा स्कूटरवालों को राहत दिलाना चाहता हूँ। उन लोगों को भी कारवालों की भान्ति लाभ होना चाहिये। इससे अनेक वेतनभोगी व्यक्तियों को लाभ होगा।

श्री मोरारजी देसाई : वाहन भत्ते को बढ़ाने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यापार के उद्देश्य के लिये दिया जाता है। एक सरकारी अधिकारी कार को मुख्य रूप से निजी

कार्यों के लिये रखता है। अतः इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती। जो कुछ हो सकता था कर दिया गया है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendments was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : मैं अन्य संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5—धारा 40क का संशोधन

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6—धारा 80ग का संशोधन

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 192, 193 और 194 प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय मंत्री इस संशोधन के द्वारा करदाता द्वारा जीवन बीमा निगम को दिये जाने वाले अपने बच्चों के बीमे के प्रीमियम पर रियायत देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे 1969-70 से लागू किया जाये।

श्री मोरारजी देसाई : वह इस लाभ को भूतलक्षी तिथि से चाहते हैं। ऐसा करना मुश्किल है।

सभापति द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय :प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 165 और 166 प्रस्तुत करता हूँ ।

The aim of this is that the existing provision, under which industrial undertakings can avail of concession for production upto 31-3-1971, should be entered upto 31-3-1976. This period is going to be extended upto five years. I want that this should be extended for two years.

Shri Morarji Desai : The hon. Member agrees that industrialisation should be encouraged. I feel this period for five years is appropriate for that concession.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill.

खन्ड 8

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं संशोधन 90 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 195 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाभांश की आय पर कर से छूट की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है । मैं चाहता हूँ कि इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाये ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा सुझाव है कि कर से मुक्त लाभांश आय की 1000 रुपये

तक राशि को छूट देने के साथ-साथ बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाये । यूनिट ट्रस्ट से भी 1,000 रुपये की छूट है । दोनों को मिला दिया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी (नागौर) : मैं श्री पाटोदिया की बात का समर्थन करता हूँ ।

Shri Shiva Chandra Jha : I oppose complete Clause 8. It is there to give more profit to profiteers.

Now, no new companies would be opened. The purpose of industrialisation will not be served. The existing companies will make more profit. It will make a few rich men all the more rich. Keeping in view this I oppose this clause.

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्रों को मालूम होगा कि यह छूट 1000 रुपये तक है और यूनिट ट्रस्ट से आय से भी इतनी ही छूट है । डाक बचत बैंक से आय पर भी छूट है । फिर भी हमने 500 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है । इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

Clause 9

श्री मी० रु० मसानी : मैं संशोधन 7, 8 और 9 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन 167 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 196 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हिम्मत सिंहका : मैं संशोधन संख्या 266 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी : इस खण्ड का उद्देश्य उन कम्पनियों को जो तकनीकी जानकारी देती है, अपने शुल्क से 40 प्रतिशत कमी करने देना है । मेरे संशोधन का उद्देश्य इस लाभ का केवल कम्पनियों तक सीमित न करके अन्य फर्मों और व्यक्तियों को भी दिलाना है । वे भी इस प्रकार का कार्य करते हैं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे ।

मैं मानता हूँ कि कम्पनियों प्रबन्धक कार्य, वाणिज्यक जानकारी आदि कार्य भी तकनीकी

कार्य है। मैं चाहता हूँ कि कर में इन लोगों को भी रियायत मिलनी चाहिये। इस संशोधन को भी स्वीकार कर लिया जाये।

तीसरा परिवर्तन मैं यह चाहता हूँ कि 1 अक्तूबर तक की शर्त न लगाई जाये। आजकल सरकारी विभागों में वैसे भी बहुत विलम्ब होता है। सरकार द्वारा विलम्ब के कारण आवेदन कर्ताओं को हानि नहीं होनी चाहिये।

इनके अलावा कुछ अन्य भी संशोधन हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको स्वीकार कर लिया जाये। गत वर्ष में किये गये समझौतों पर यह रियायत मिलनी चाहिये। मैं आशा करता हूँ इन सुझावों को स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी (नागौर) : मैं श्री मसानी के सुझावों पर ही बल देना चाहता हूँ। प्रबन्ध कार्य अब एक तकनीकी कार्य बन गया है। भारतीय प्रबन्ध संस्था को भारतीय औद्योगिक संस्था के समान ही माना जाने लगा है। अतः कार्य में लगे व्यक्तियों को भी रियायत मिलनी चाहिये।

Shri Shiva Chandra Jha : I think the rate of 40 p. c. for providing technical know how by companies is rather high. There is practically no technical know how in our country. It is only foreign know how which is there.

श्री हिम्मत सिंहका (गोडा) : यदि अन्य व्यक्तियों को भी यह रियायत दे दी जाये तो कोई गड़बड़ न होगी। वैसे भी समझौतों का अनुमोदन तो सरकार द्वारा ही होगा। इस प्रकार सरकार का नियंत्रण तो रहेगा ही। अतः यह रियायत उनको भी दे दी जानी चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : वित्त मंत्री ने स्वयं वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते समय कहा था कि इस संशोधन का उद्देश्य तकनीकी जानकारी के बारम्बर आयात को रोकना है। दूसरे वित्त विधेयक की धारा 80 में विदेशी कम्पनियों से प्राप्त कमीशन की आय पर राहत देने का उल्लेख है।

इस खण्ड में नये और पुराने करारों में कोई विभेद नहीं किया गया है। अतः यह घोषित उद्देश्य के अनुसार ही है कि इस खण्ड को पुराने तथा नये सभी करारों पर लागू किया जाये।

श्री मोरार जी देसाई : मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रतिवर्ष इसको 1 अक्तूबर के पूर्व मंजूर कराना आवश्यक नहीं होना चाहिए। इसमें कठिनाई तथा विलम्ब हो सकता है। मैं इस बारे में परिवर्तन करने पर विचार करूंगा।

मैं अन्य परिवर्तनों पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि विपणन सेवाओं में रियायतें दी गई हैं और हम उनको किये गये काम पर डेढ़ गुना भत्ते दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रबन्धकीय सेवाओं के बारे में क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रबन्धकीय सेवाओं में सभी प्रकार की रियायतें प्राप्त करने की गुंजायश उत्पन्न हो जायेंगी। हम उनको मंजूर कर सकते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनको रियायत देंगे। फर्मों और व्यक्तियों सम्बन्धी संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इनकी लेखापरीक्षा नहीं हो सकती।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : उनकी लेखापरीक्षा होती है ।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा कराना उनके लिए अनिवार्य नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उनको दण्डित किया जा रहा है ।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे बताया गया है कि वे उपबन्ध के अन्तर्गत आ जाते हैं और कि खण्ड 9 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मी० रु० मसानी : इस समय खण्ड यह है कि "सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में 1 अक्तूबर से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित.....

संशोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ 1 अक्तूबर से पूर्व आवेदनपत्र दिया गया । अतः इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इन शब्दों को 'कि सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अक्तूबर के प्रथम दिन से पूर्व इस ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित' हटाने को तैयार है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। क्या हम इस खण्ड को निलम्बित रखें ।

श्री मी० स० मसानी : मेरा संशोधन बहुत ही साधारण है परन्तु यदि वह अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ठीक है ।

सभपति महोदय : जब तक वह अपना संशोधन तैयार करते हैं तब तक हमें अगले खण्ड पर विचार करना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि वह इस संशोधन विशेष को स्वीकार करते हैं तो खण्ड को संशोधित रूप में पास किया जा सकता है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :— पृष्ठ 5, पंक्ति 43 और 44 में ।

इस सम्बन्ध में 1 अक्तूबर से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित "approved by the Central Government in this behalf before the 1st day of October" के स्थान पर इस सम्बन्ध में 1 अक्तूबर से पूर्व केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ आवेदन पत्र दिया गया "and for which approval of the Central Government in this behalf is applied for before the 1st day of October". (रखा जाये) ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 9 संशोधितरूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 (नई धारा 80 का जोड़ा जाना)

Clause 11 (mention of new Section 80).

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मैं संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं संशोधन संख्या 116 और 117 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : में संशोधन 137 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 168 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 256 और 257 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 280 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे संशोधन दो भागों में हैं । यह उपबन्ध सभी पर लागू न हो करके केवल व्यवसायिकों पर ही लागू होता है । इस उपबन्ध के अनुसार रियायत देने का उद्देश्य विदेशों में भारतीयों द्वारा रुपया कमाना तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना है । केवल व्यवसायिकों को यह रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह रियायत सब को दी जानी चाहिए ।

इस समय विधेयक में केवल 25 प्रतिशत रियायत देने का प्रस्ताव है । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके । अतः विदेशों में धन कमाने वाले भारतीयों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए । रियायत देकर हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं ।

मेरा अगला संशोधन यह है कि रियायत का 25 प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं इस उपबन्ध को सभी पर लागू करने के पक्ष में नहीं हूँ। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस उपबन्ध को इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी लोगों पर अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यदि राजपत्रित लेखापालों और सालिस्टरों पर भी इसको लागू कर दिया जाय तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं चाहता हूँ कि आर्किटैक्टरों, टाउन प्लानर्ज, इंजीनियरों, वज्ञानिकों, डाक्टरों तथा वकीलों को भी यह रियायत दी जानी चाहिए। फाइन आर्टस तथा अन्य व्यवसायिकों के बीच विभेद किया गया है वह बात मेरी समझ में नहीं आई।

Shri Shiva Chandra Jha : The hon. Minister should accept Shri Patodia's amendment to the effect that relief should be raised from 25 to 40 per cent. However, if the hon. Minister does not intend to raise it so much, he may agree to raise just five per cent i.e. from 25 to 30 per cent.

Shri Abdul Ghani Dar : I would request the hon. Minister to being Doctors, Professors, Lecturers, Teachers, Religious Missionaries under the purview of this relief.

Shri Kanwar Lal Gupta : I support the amendment put forward by Shri D. N. Patodia. This relief may be also given to the teachers and doctors. I hope the hon. Minister will accept my amendment.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि कलाकारों, संगीतकारों और डाक्टरों को सभी प्रचार करों से पूर्णतया छूट दी जाये। यदि इस छूट की 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये तो अच्छा है।

कुछ ऐसी पुस्तकें भी हमारे देश में आती हैं जिनसे सी०आई०ए० की गतिविधियों का होता है। अतः मैं चाहता हैं कि इस उपबन्ध को या तो ऐसे ही रहने दिया जाये अथवा इसका विस्तार कर दिया जाये। अतः मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : इस उपबन्ध का उद्देश्य लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों आदि को प्रोत्साहन देना है जिससे कि वे विदेशों में देश का नाम ऊंचा कर सकें तथा देश अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके यदि इस उपबन्ध का उद्देश्य यही है तो इस उपबन्ध को ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए जो विदेशों में देश का नाम ऊंचा कर सके।

श्री मोरारजी देसाई : इस उपबन्ध का उद्देश्य जैसा अभी बताया गया सफल लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं आदि को प्रोत्साहन देना है जो कि हमारी संस्कृति और जीवन प्रणाली को विदेशों में अच्छी प्रकार प्रदर्शित कर सकें और हमारी विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि हो सके। अध्यापक कोई आय नहीं करते। डाक्टर लोग बहुत अधिक शुल्क लेते हैं अतः उनको कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। मेरे विचार में 25 प्रतिशत छूट की सीमा पर्याप्त हैं।

मैं समझता हूँ भारतीय संगीत अन्य देशों के संगीत से अच्छा है और इसका विदेशों में प्रचार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि संगीतकारों को यह रियायत दी गई है। अतः मैं दूसरे संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड" विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 12

Clause 12

सभापति महोदय : इस खण्ड के बारे में कोई संशोधन नहीं आये हैं ।

श्री मी० रू० मसानी : मैं खण्ड 12 तथा ऐसे अन्य सभी खण्डों का विरोध करता हूँ जिसके अन्तर्गत अग्रिम आयकर वसूल किया जाना है ।

सभी आयकर दाताओं को एक वर्ष अग्रिम आयकर देना पड़ता है । किसी व्यक्ति को यह कहना कि वह आगामी वर्ष के लिए अपनी आप का पहले से अनुमान लगा ले एक गलत बात है । कोई भी व्यक्ति अपनी आगामी आय के बारे में ठीक अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि व्यापारी की आय बढ़ती अथवा कम होती रहती है । इस के बावजूद वित्त मन्त्री अब यह करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आगामी बारह महीनों की आय का कम अनुमान लगाता है तो इस को दण्ड दिया जायेगा यह बात बहुत ही अनुचित है । अब तक यह बात वैकल्पिक थी परन्तु अब इसको अनिवार्य बनाया जा रहा है । मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति अपनी आय के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता । दूसरे वित्त वर्ष के अन्त में व्यापारियों का अनेक ग्राहकों की ओर राशि बकाया रह जाती है । जो अगले वर्ष में चली जाती है । अतः यह बताना बहुत कठिन है कि कितनी राशि प्राप्त होगी । ये वास्तविक कठिनाइयां हैं जिनका हजारों लोगों को सामना करना पड़ता है ।

इस बारे में राजपत्रित लेखपालों का मत है कि नये उपबन्ध विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत ही अनुचित हैं जो 31 दिसम्बर अथवा 31 मार्च को अपने लेखे बन्द करते हैं । उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक करदाता को अपने आयकर सम्बन्धी दो सप्ताह पूर्व देने पड़ते हैं अतः किसी व्यापारी को दो सप्ताह पूर्व अपनी आप का ठीक अनुमान न लगा सकने के लिए किसी व्यापारी को दण्डित माना उचित नहीं है । क्योंकि लाभ निकालना अनेक बातों पर आधारित होता है । दूसरे आमतौर पर मुख्य समायोजन वर्ष के अंतिम दो सप्ताहों में ही किये जाते हैं । अतः इन समायोजन का लाभ की मात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ता है ।

अतः मैं 12 से 22 तक के सभी खण्डों का विरोध करता हूँ । ये खण्ड अनावश्यक हैं और और इनको विधेयक में नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान उनके अपने संशोधन की ओर ही दिलाना चाहता हूँ जिससे यह कहा गया है कि प्रत्यक्षकरों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड किसी उद्योग के बारे में यदि यह महसूस करें कि भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने से कठिनाई होगी तो वह अधि- सूचना जारी कर सकता है । परन्तु इस विभेद के क्या कारण हैं जबकि इसकी कोई आवश्यकता

नहीं है । कई बार 15 मार्च को अन्तिम किस्त देने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है । यदि तारीख 15 दिसम्बर हो तो आवश्यक धनराशि कहां से प्राप्त होगी । 15 मार्च को किस्त का भुगतान करना उद्योगपतियों तथा व्यवसायिक लोगों के लिए भी कठिन है, यदि आप तारीख तो बढ़ाते हैं तो इससे और कठिनाई होगी ।

यह जानते हुए भी कि ठीक नहीं है सरकार ने इसको झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है । मेरा निवेदन यह है कि जब वह महसूस करते हैं कि वह खण्ड ठीक नहीं है तो उनको इसे वापस तो लेना चाहिए ।

दूसरे यदि आयकर अधिकारी किसी करदाता को एक विशिष्ट राशि देने की सूचना जारी कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि उसकी आय बढ़ गई है तो वह 15 दिसम्बर तक इस का अनुमान किस प्रकार लगायेंगे । यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

मेरा अपना अनुभव यह है आयकर अधिकारी एक मामले में कर निर्धारण के लिए 15 से 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगाते । मैं चाहता हूँ कि किस्तों के बारे में वर्तमान स्थितियां बनाये रखा जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The new procedure will create more complications and it put assessees into more hardships. The Income Tax offices have already got sufficient powers Therefore there is no need to give them more powers under these clauses. The hon. Minister should withdraw these clauses.

Shri Abdul Ghani Dar : It will create more difficulties for the middle class people. It is not very simple to make an assessment of the income of the coming year. Moreover many parties do not get their dues from their customers at the end of year. I would therefore request that 31st January and 30th April may be fixed for the payment of income tax. If even on these dates somebody does not pay you may penalise him.

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

श्री मी० रू० मसानी : मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इन खण्डों को इस समय प्रस्तुत न करें बल्कि आयकर संशोधन विधेयक के साथ इन पर पूरी तरह विचार करने के बाद इनको संशोधित रूप में पेश करें ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है कि इन खण्डों को अभी प्रस्तुत न किया जाये । यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इनमें बाद में संशोधन किया जा सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो मैं आयकर संशोधन विधेयक के समय इन पर विचार कर सकता हूँ ।

अग्रिम आयकर वसूल करने की योजना पहले से लागू है । उचित रूप से राशि एकत्र करने के लिए यह आवश्यक है यदि फर्क एक तिहाई होता है तो किसी को दण्ड नहीं दिया जायेगा । यह अन्तर कम नहीं है । कोई व्यक्ति किसी की आय के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता । सम्बन्धित व्यक्ति ही अपनी आय के बारे में कोई अनुमान लगा सकता है । कई अन्य देशों में भी ऐसे उपबन्ध हैं । यदि कोई असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न न हो जायें तो समवाय की अपनी होने वाली आय का अनुमान लगा सकते हैं । यदि ऐसा होता है तो हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही

नहीं करेंगे । अतः यह बहुत ही आवश्यक तथा स्वस्थ उपबन्ध है । मैं इस सम्बन्ध में विरोधी दलों के सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 12 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी यहां पर उपस्थित हैं अतः माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में हम उनके विचार जानना चाहेंगे ।

महान्यायवादी : इस समय हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संसद कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति कर के बारे में कानून बना सकती है । संघ सूची एक की प्रविष्टि 86 धन कर के बारे में है। इस प्रविष्टि में कृषि भूमि को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है । अतः यदि इस प्रविष्टि को संविधान के अनुच्छेद 246 खण्ड (1) के साथ पढ़ा जाये तो संसद को कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति कर के बारे में कानून बनाने की शक्ति नहीं है ।

सूची दो की प्रविष्टि 49 भूमि के बारे में है । अतः अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रविष्टि में भूमि तथा भवनों के पूंजीगत मुल्य पर कर लगाना शामिल है यह बात स्पष्ट है कि 'भूमि पर कर में कृषि तथा गैर-कृषि भूमि दोनों शामिल हैं । अब फिर प्रश्न यह है कि क्या कृषि योग्य भूमि के पूंजीगत मूल्य पर कर लगना प्रविष्टि 49 में शामिल है ? मेरा यह विचार है कि ऐसा नहीं है । सर्वप्रथम हमें कर के स्वरूप को देखना है । उदाहरण के तौर पर राज्य सूची 2 में वस्तुओं की बिक्री पर कर सम्बन्धी एक विशिष्ट प्रविष्टि 54 है । उसी सूची में वस्तुओं संबंधी कर के बारे में एक अन्य प्रविष्टि है । अतः ये दोनों चीजें पृथक पृथक है ।

अनेक उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भूमि पर कर तथा भूमि के पूंजीगत मूल्य सम्बन्धी कर में अन्तर है । उदाहरण के तौर पर जब भूमि पर कर लगाया जाता है तो उससे पूंजीगत मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता क्योंकि पूंजीगत मूल्य पर कर लगाते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने कितना उधार देना है अतः उसकी शुद्ध सम्पत्ति कितनी है । दूसरे यदि भूमि गिरवी रखी गई तो गिरवी की राशि भूमि के कुल मूल्य से अधिक हो जाती है तो इस सम्बन्ध में सम्पत्ति कर शून्य होगा । परन्तु जहां भूमि सम्बन्धी कर का सम्बन्ध है बंधक को बीच में नहीं लाया जाता । दोनों प्रकार के करों में यह महत्वपूर्ण अन्तर है । अतः इस प्रकार के अन्तर को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में इस बात का कोई सन्देह नहीं कि जहां तक सम्पत्ति का अथवा भूमि के पूंजीगत मूल्य सम्बन्धी कर का प्रश्न है यह भूमि सम्बन्धी कर से बिल्कुल पृथक है । अतः इसको सूची दो की प्रविष्टि 49 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । परन्तु इसके विरोध में भी तर्क दिया जा सकता है । वास्तव में जैसाकि हम सब जानते हैं कि जहां तक भूमि सम्बन्धी कर का सम्बन्ध है विभिन्न नगरपालिका करों को वार्षिक मूल्य तथा किराये को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया

जाता है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसको भूमि सम्बन्धी कर में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता ? अतः यहां भी हम जिस पर कर लगा रहे हैं और कर के साधन में बहुत अन्तर है । ऐसा हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के करों में कराधान के साधन समान हों । वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में इस बात की पुष्टि की है । यही एक तर्क इसके पक्ष में दिया जा सकता है । परन्तु मेरे विचार में कृषि भूमि के पूंजीगत मूल्य सम्बन्धी कर को सूची दो का प्रविष्टि 49 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

श्री लोबो प्रभु का कहना था कि प्रविष्टि 49 में इस प्रकार का कर शामिल है परन्तु जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरा विचार इसके उलट है । मेरे इस उत्तर में श्री वेणीशंकर शर्मा के प्रश्न का उत्तर भी आ जाता है ।

जहां तक श्री हीरेन मुकर्जी के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं ने करों में अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है ।

ऐसे मामलों में आमतौर पर अवशिष्ट शक्तियों का आश्रय लिया जाता है । हमारे देश में ये शक्तियां केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं । अतः अब विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के कर को संविधान से बाहर रखा गया है ? कुछ प्रश्नों में यह तर्क दिया गया है कि चूंकि इस प्रकार के कर को प्रविष्टि से बाहर रखा गया है अतः यह संविधान से भी बाहर है । मेरे विचार में यह एक मिथ्य है ; प्रविष्टि कानून बनाने की शक्ति नहीं देती । प्रविष्टि केवल एक विषय है जिस पर कानून बनाया जा सकता है । अतः जहां तक मै जानता हूँ ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे केन्द्र अथवा राज्यों को भूमि के पूंजीगत मूल्य पर कानून बनाने की शक्ति को बाहर रखा गया तो । यदि ऐसी बात है तो स्थिति बहुत गम्भीर है । परन्तु मैं ने इस मामले पर विचार किया है । मैं इस बारे में एक व्याख्या देना चाहता हूँ, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम में सूची दो की प्रविष्टि 49 तथा 12 की एक की प्रविष्टि 86 की तरह एक धारा 104 थी । हमारे संविधान बनाने वालों ने उसमें से कुछ शब्दों को निकाल दिया है । परन्तु धारा 104 के अन्तर्गत अविशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर गवर्नर जनरल इस सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संघीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार को दे सकता था । अतः यदि हम कुछ देर के लिए संविधान को भूल जायें तो बहुत सा मतभेद समाप्त हो सकता है । परन्तु हुआ यह है कि धारा 104 समाप्त हो चुकी है । संविधान द्वारा यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जा सकती थी । परन्तु संविधान इस आधार पर बनाया गया है कि जहां तक कानून बनाने की शक्ति का सम्बन्ध है संसद सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय है ; एक नहीं बल्कि दो स्थानों पर स्पष्टरूप से यह लिखा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं ; मैं संघ सूची के प्रविष्टि 97 तथा संविधान के अनुच्छेद 248 का उल्लेख कर रहा हूँ, मेरे विचार में जिस चीज को प्रविष्टि 86 में सम्मिलित नहीं किया गया उसको प्रविष्टि 97 में शामिल नहीं किया जा सकता । परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत इसको लाया जा सकता है । इस अनुच्छेद की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है वह इस प्रकार है ।

'कि संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो 'समवर्ती सूची' अथवा 'राज्य सूची' में प्रगणित नहीं है । विधि बनाने का अनन्य है ।" इस का खण्ड दो इस प्रकार है ।

(2) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं हैं, आरोपण करने के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति भी है।

अत: संविधान के अनुच्छेद 248 खण्ड (1) इस प्रकार लागू हो जाता है। वास्तव में इस सम्बन्ध में मैं सर्वोच्च न्यायालय के ए० आई० आर० 66 के पृष्ठ 416 से पांच लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वह मामला गन्ना सम्बन्धी उपकर के बारे में था।

बात यह हुई थी कि एक राज्य ने गन्ना उप-कर के बारे में एक कानून पारित किया था और सर्वोच्च न्याय'लय ने उसे रद्द कर दिया था और बाद में संसद ने गन्ना उपकर सम्बन्ध कानून पारित किया था। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया था कि संसद को ऐसी कोई शक्ति नहीं है और यह विषय सूचियों में सम्मिलित नहीं है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी। जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब मूल धन पर कर को प्रविष्टि 49 में सम्मिलित नहीं किया जाता तो उस कर सम्बन्धी विषय पर किसी को कोई कानून बनाना होता है और फिर अनुच्छेद 248 के अधीन केवल संसद ही इस प्रकार का कानून बना सकती है।

मुझ से पूछा गया था कि क्या कुछ अन्य मामलों में भी अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत संसद की अवशिष्ट शक्तियों पर विचार किया गया है और उन्हें उचित सिद्ध किया गया है ? इस प्रकार के दो मामले हुए हैं और वे हैं ए० आई० आर० 66 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 416 और ए० आई० आर० 60 सर्वोच्च न्यायालय - पृष्ठ 1008। जहां तक किसी अनिर्णीत मामले का सम्बन्ध है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

हमारा संविधान लिखित है और यदि लिखित संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को कर लगाने की शक्ति होती है। ऐसी स्थिति में संघीय शक्ति का राज्यों की शक्ति में हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक मेरी राय दिये जाने की तारीख का सम्बन्ध है अब तारीख आपके सामने है। मेरे विचार में आपको प्रतियां दी गई हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. It is clear from his last sentence that his opinion was received after the presentation of budget i.e. on 12th March. We had asked the opinion of Shri Daphtry and not the present Attorney General will the Deputy Prime Minister clarify ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भिन्न है। हमने विधेयक पर महान्यायवादी की राय माँगी थी। मेरे विचार में उन्होंने माननीय सदस्यों की सभी बातों का उत्तर दे दिया है। यदि माननीय सदस्य उनके उत्तर के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें तो वे पूछ सकते हैं ;

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं महान्यायवादी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या हम प्रविष्टि 49 से इस उपबन्ध को हटाये बिना अथवा संविधान में संशोधन किये बिना आगे कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैंने पूछा था कि बनारसी दास तथा धन-कर अधिकारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में महान्यायवादी की क्या राय है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या राज्य सूची में प्रविष्टि 49 के बारे में महान्यायवादी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से हम यह समझें कि राज्य सरकारों को नगर-

पालिकाओं की तरह केवल भूमि से आय प्राप्त करने का ही अधिकार है ? क्या उनकी व्याख्या के अनुसार संविधान निर्माता यह चाहते थे कि राज्य सरकारों को कराधान के बारे में कोई शक्ति न उपलब्ध हो जैसा कि वर्तमान वित्त विधेयक में उल्लिखित है ?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : महान्यायवादी ने कहा है कि प्रविष्टि 49 में भूमि सम्पदा के मूल्य पर कर लगाने का अधिकार भी सम्मिलित किया जा सकता है। प्रविष्ट 86 में स्पष्ट कहा गया है कि उसमें कृषि योग्य भूमि सम्मिलित नहीं है। अब मेरा प्रश्न यह है कि यदि अनुच्छेद 248 द्वारा और संघ सूची की प्रविष्ट 97 के अनुसार उसे रोका जा सकता है तो शक्ति सीमित करने का प्रयोजन क्या है ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापत्तनम) : यह बताया गया है कि प्रविष्टि 86 में कृषि योग्य भूमि सम्मिलित नहीं है। अब महान्यायवादी कहते हैं कि अनुच्छेद 248 द्वारा उसमें कृषि योग्य भूमि को सम्मिलित किया जा सकता है। वह कैसे सम्भव है ?

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : क्या संविधान की भावना यह नहीं है कि कृषि भूमि पर कर लगाने का काम राज्यों पर छोड़ देना चाहिए ?

दूसरी बात यह कही गई है प्रविष्टि 86 में कृषि योग्य भूमि सम्मिलित न किये जाने के कारण इस पर अविशिष्ट शक्ति द्वारा कर लगाया जा सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह विषय विशिष्ट रूप से निकाला गया है तो इस सम्बन्ध में अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामले का निर्णय शीघ्र होने वाला हो तो क्या वह सरकार को सलाह देंगे कि वे इस विधेयक के बारे में जल्दी न करें ?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : संविधान निर्माताओं ने जानबूझ कर प्रविष्टि 86 में से कृषि योग्य भूमि को निकाला था। अतः क्या महान्यायवादी की यह राय मान्य होगी कि यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रविष्टि 86 में से कृषि सम्बन्धी भूमि के पूंजी मूल्य मूल धन पर कर लगाने की बात सम्मिलित नहीं की गई है अतः यदि तर्क के रूप में यह स्वीकार कर लिया जाये कि प्रविष्टि 49 में कानून बनाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है और यदि यह भी मान लिया जाये कि संविधान के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार है, अनुसूचियां संविधान का अंग होने के कारण चाहे अनुच्छेद 248 को अलग से पढ़ा जाये अथवा प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाये, और यदि सूची 97 से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो तो भी इसे अनुच्छेद 248(1) से प्राप्त अधिकार नहीं समझा जा सकता। यदि सूची एक से किसी उपबन्ध को निकाला गया है और यदि सूची दो और तीन में सम्मिलित न की गई मदों के बारे में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं तो उससे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ सूची एक ही पथप्रदर्शक है और अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। अतः मैं महान्यायवादी की राय पूछना चाहता हूँ कि कानून बनाने की शक्ति किसे है और इस कार्य के लिए कौन सक्षम है ?

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य महान्यायवादी के विचारों से सहमत नहीं, वे अपने प्रश्नों को न दोहरायें। उन्होंने अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं।

Shri Sheo Narain (Basti) : In reply to my question the Attorney General had not read entry 86. Will he kindly read it more and explain ?

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली) : क्या प्रविष्टि 86 में से निकाले जाने के बाद भी हम अनुच्छेद 248 अथवा मद 97 के अन्तर्गत अवशिष्ट प्रविष्टि पर निर्भर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें फिर भी शक्ति है ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : In Attorney General's opinion Parliament has power to tax agricultural land. I want to know whether or not it is necessary to amend Entry 86 before proceeding further ?

श्री वेंणी शंकर शर्मा (बांका) : संघ सूची की प्रविष्टि 82 और 87 के अनुसार कृषि सम्बन्ध आय और कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क को केन्द्र द्वारा कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य कृषि सम्बन्धी आय कर लगा सकते हैं। यदि पश्चिम बंगाल की सरकार कृषि सम्बन्धी सम्पति पर कर लगाने के बारे में कानून बनाये तो उनकी कार्य वाही बिलकुल उचित होगी। इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कार्यवाही राज्य की कृषि सम्बन्धी सम्पति पर कर लगाने की शक्ति अनधिकृत रूप से ग्रहण करने के बराबर नहीं होगा और यदि हाँ, तो क्या इससे संघ और राज्यों के बीच विवाद नहीं होंगे ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : प्रविष्टि 82 में "कृषि आय को छोड़कर" और प्रविष्टि 87 में "कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पति" और प्रविष्टि 88 में भी "कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति" शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सब्दों की तुलना प्रविष्टि 86 के इन शब्दों के साथ की जाये कि "कृषि भूमि को छोड़कर"। इनमें प्रयुक्त शब्द "Exclusive" (छोड़कर) और "other than" (छोड़कर) में क्या अन्तर है।

यदि अनुच्छेद 246 को समुचित रूप से ग्रहण किया जाये तो क्या यह सभा इस कानून को बनाने में सक्षम होगी ?

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Will the Attorney General kindly clarify as to how Parliament will be empowered to make legislation in order to impose tax on agricultural land without amending Entry 86 ?

Shri Deorao Patil (Yeatmal) : There is a proposal to impose tax on agricultural land in the present Money Bill. He has stated that if it is not covered by entry 97, then it would be covered by 88. What was the necessity of arriving at this decision in this manner ?

महान्यायवादी : माननीय सदस्यों ने यह फिर पूछा है कि भूमि के मूल धन पर कर लगाये जाने के विषय को जब प्रविष्टि 86 में से निकाल दिया गया तो फिर संसद उस सम्बन्ध में कानून कैसे बना सकती है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर ब्यौरेवार दे दिया है। उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

जहां तक प्रविष्टि 49 का सम्बन्ध है वह राज्य विधान मंडल की शक्तियों के शीर्षक के अन्तर्गत आता है। यदि कोई राज्य अपनी शक्ति नगरपालिका को सौंपना चाहे तो इस प्रविष्टि के

साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । राज्य भूमि और इमारतों तथा कृषि भूमि के सम्बन्ध में भी कानून बना सकता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि केन्द्रीय सरकार उस शक्ति को छीन ले तो राज्यों के पास क्या रह जाता है ?

महान्यायवादी : इसका उत्तर तो वह सभा दे सकती है । जहां तक श्री लोबो प्रभु के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने उसका उत्तर स्पष्ट कर दिया है । पहले पुरानी धारा 108 थी और संविधान निर्माताओं ने यह अवश्य सोचा होगा कि यह शक्ति संसद को मिलनी चाहिए । अनुच्छेद 248 बहुत व्यापक है । यह शक्ति संसद को अवशिष्ट शक्ति के रूप में दी गई है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम के प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत इस शक्ति को वापिस लिया जा सकता है ।

श्री कुन्दू ने संविधान की भावना का उल्लेख किया है । जब संविधान की शब्दावली से विरोध पैदा हो जाये तो संविधान की भावना की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती । संविधान की भावना यह है कि संविधान के खण्डों की सही व्याख्या की जाये, जहां तक प्रिवी कौंसल के निर्णय का सम्बन्ध है उसके विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है अथवा राज्य सरकार को है । सामान की बिक्री पर कर लगाया जाता है । जहां सामान की बिक्री सबसे पहले होती है वहीं कर लगाया जाता है केन्द्रीय सरकार का विचार यह है कि जहां तक इस कर का सम्बन्ध है वह केन्द्रीय सरकार की उत्पादन शुल्क की प्रविष्टि के अन्तर्गत आता है क्योंकि वह पहली बिक्री पर लगाया गया है । राज्य इस बात से सहमत नहीं, वह सामान की बिक्री पर है । इस सम्बन्ध में प्रिवि कौंसल ने विवरण दिया था । परन्तु यहां पर अवशिष्ट शक्ति के बारे में विरोध नहीं है । यह तो केन्द्र और राज्यों का विवाद है अनुच्छेद 248 का प्रयोजन उस स्थिति के साथ निपटना है जब कोई विषय दुर्भाग्य से अथवा अचानक किसी भी सूची में उल्लिखित न हो । अनुच्छेद 248 सभी शक्तियां गवर्नर जनरल के स्थान पर संसद को देता है ।

श्री देशमुख का कहना है कि अधिकारों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए । मैं इस बात से सहमत हूँ । परन्तु जहाँ तक अपवादों का सम्बन्ध है, हमें उनके सम्बन्ध में भी सख्ती का रवैया नहीं अपनाना चाहिये । किसी धारा विशेष पर विचार करते हुए ही व्याख्या का यह सिद्धांत लागू होता है ।

श्री झा ने कहा है कि श्री दफ्तरी ने अपनी राय प्रकट की थी कि "विषय" संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है । यह बात ठीक है । उन्होंने कहा था कि विषय का अर्थ मूलधन का विषय नहीं बल्कि किसी विशेष सम्पदा के मूलधन का विषय है । उन्होंने कहा था कि कृषि भूमि के मूलधन के विषय को निकाल दिया गया है और इस विषय को फिर अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत लाया गया है । मैं इस तर्क से सहमत हूँ । जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, इसके लिए माननीय सदस्य सरकार से कह सकते हैं ।

श्री पाटिल ने पूछा था कि कृषि भूमि और कृषि योग्य भूमि में अन्तर क्या है । मेरे विचार

में उसमें कोई अन्तर नहीं है। श्री रणधीर सिंह ने "exclusive" का अर्थ पूछा था। इसका अर्थ वह भूमि है जो कृषि भूमि के क्षेत्र में नहीं होती।

———

मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक,
TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन तथा धारा 4, 5 आदि का प्रतिस्थापन)

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मजदूर संघ अधिनियम 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि मजदूर संघ अधिनियम 1926 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

———

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 86 और 175 का संशोधन तथा अनुच्छेद 87 और 176 का हटाया जाना

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करना (समाप्ति) विधेयक
CONFERMENT OF DECORATIONS ON PERSONS (ABOLITION) BILL

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री जैसी उपाधियां प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तथा पद्म श्री जैसी उपाधियां प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने तथा तत्संबन्धी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

Shri O. P. Tyagi (Muradabad) : I beg to move for leave to introduce Bill further to amend the constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri O. P. Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 18 अप्रैल 1969 को श्री कामेश्वर सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I have already dealt with articles 75 and 164. Today I shall take up article 326. The amendment is that for the word 'twenty one', the word 'eighteen' be substituted. At present the age for exercising a vote is 21 but in my opinion this age should be 18.

[श्री रा० ठो० भण्डारे पीठासीन हुए]

[Shri R. D. Bhandare in the Chair]

The Chief Election Commission had stated that a boy or girl of 18 years cannot judicially cast a vote. He further stated that by getting the right of voting the adolescents

would be very much involved in politics and they would even demand a say in even fixing the examination dates. I do not agree with his views. There is no Minister present here *(Interruptions)*.

Shri Prakash Ver Shastri (Hapur) : On a point of order, Sir. There is convention that concerned Minister should be present during the course of discussion on a Bill because he has to answer it. How can we proceed in the absence of concerned Minister ?

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूँ। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। अब वे आ गये हैं।

Shri Kameshwar Singh : The Chief Election Commissioner perhaps does not know a boy of 18 years possesses vast knowledge of things in this age. Britain has also reduced the age to 18 in view of these facts other foreign countries have also reduced the age to 18 years. I think that there is misunderstanding that a boy of 18 years will not understand politics. In this technological age we should not be afraid of reducing the age of adult franchise to 18 years. According to Indian Inherits Act they are considered adult and they become owner of the property. If my amendment is not adopted then 5 crores of youngmen would be deprived of exercising their franchise in the elections to be held in 1972 and Government would be responsible for it. There should not be any fear that youngmen would create disturbance in the examination. The congress party is against this amendment but they have fixed the age of 18 years for their primary membership. In view of this I shall be grateful if my amendment is adopted. May I know whether a youngman of 18 years who enters into army has no power of understanding, if so it will be sheer wrong. I therefore again request that my amendment may be accepted.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पर 25 नवम्बर 1969 तक राय प्राप्त करने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये।"

Shri Randhir Singh : I have all praise for the spirit of the Bill before the house. I am of the opinion that only elected people of the country should be incharge of administration of the country.

सभापति महोदय : संविधान में उसका उपबंध है।

Shri Randhir Singh : Our democracy should be ideal one. In my opinion the age for exercising franchise should be reduced to 18 like other foreign countries. They become quite intelligent at the age of 18 years. I do not agree tnat if this suggestion is agreed to, the students will indulge themselves in politics. Therefore they should not be deprived of this right. We should have faith in our youngmen. If Government do not agree, the young men will secure this right by resorting to agitations. I therefore, wish that the entire House should unanimously support this Bill and the hon'ble Minister should accept it. I have no objection if Government refers it to Select Committee but I do not agree to the suggestion that it should be circulated for eliciting public opinion.

The hon. Minister it himself leader of youngmen and he may either form or committee or refer the matter to a select committee. This class is 25% of the whole population and it can bring about revolution. If they are allowed to participate, 90% of the problems could be solved. When boys become adult they are handed over all the responsibility.

I want that this constitution (amendment) Bill should get support from the full house. I strongly support it.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The prefered constitution (Amendment) Bill is very timely and should be adopted by this house.

The Bill prefers prime Minister must be a Member of Lok Sabha and similarly a State Minister or chief Minister must be member of legislative Assembly.

Some states like Punjab and Bengal have demanded abolition of legislation councils, that would end the problem in respect of states.

A committee framed to examine the matter of defections also gave a unanimous opinion that members elected directly by the people should become chief Minister or Prime Minister.

The important proposal is to reduce the age of voters to 18 years.

The adult suffrage in England evolved in about one century. When that right was first awarded to the people of that country, Mr, Gladstone was the Prime Minister. He raised a slogan in the Parliament, 'Educate your Masters'. The voters were gradually educated and that is why democracy suceeded in that country. We have given right of voting to our uneducated population of the age of 21 who do not know what democracy is ? On the other hand we deprive the young people of 18 who have passed Higher Secondary and fully know what democracy on politics is ? It is, therefore, necessary that law in this regard be amended.

The students, the world over, demand change. They have brought about change in the political structure of various countries. There is a proposal to reduce the age of voters in U. K. In U. S. A. most of the states have already reduced the age of voters to 18.

The reason for student indiscipline is that they have been deprived of their political rights. The rulers of the land think that educated people are not with them today.

The students are agitated on account of national and international ups and downs in politics and they want to take part in it. If the voting age is reduced it would remove the discontent of the students.

I, therefore, support this Bill.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is not merely the reading of books, that matters, it is the utilisation of knowledge that matters.

The girls in our country have a right to marry at the age of sixteen whereas the boys are allowed to marry only at 25 years of age. I support the right to vote for girls at 18.

So far we have to go house to house for taking votes. If the right to vote is given at 18 we will have to go to institutions for canvassing for votes. This matter requires more considerations.

I feel that not only the Prime Minister or Chief Minister but even the other Ministers must be members of the regular house. The appointments of these persons who are not members of the popular house even for six months should not be made. When the second chamber in the states have proved futile we should study the utility of Rajya Sabha, as well.

I support this bill with these amendments.

Shri Himat Sinka (Godde) : Person should be allowed to take office of Prime Minister or Chief Minister unless he is elected representative of the people.

It is too early for our country to reduce the age of voters, as the percentage of education here is hardly 30%. I think even the adult franchise in our country was granted at an early stage.

श्री एस० एम० कृष्ण : इस सदन की एक समिति दल-बदल पर विचार करने के लिए नियुक्त की गयी थी, उसने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे जिसका अभिप्राय था कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो निचले सदन का सदस्य न हो प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री नहीं बनाया

जाना चाहिए । उस समिति ने इस बारे में संवैधानिक परिवर्त्तनों की भी सिफारिश की थी । गृह मंत्री स्वयं उस समिति के सभापति सरकार जब संविधान में इस आशय का परिवर्तन लायेगी तब विरोधी दल उसका समर्थन करेंगे ।

परन्तु इसमें अपवाद हो सकता है । श्री उन्नदुराय जैसे व्यक्तियों के लिए इस नियम में अपवाद हो सकता है ।

[श्री वासुदेवन नायक पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मतदाताओं की अवस्था घटाने के बारे में मेरा निश्चित मत है कि अब समय आ गया है कि हम युवकों को अधिक अधिकार दें । इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना आयेगी और हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे । मैं श्री बलराज मधोक के इस विचार से सहमत हूँ कि छात्रों को जब राजनीति से पृथक रखा जाता है तो उनमें यह भावना पैदा होती है कि उनकी अपेक्षा की जा रही है । मताधिकार प्राप्त होने पर वे सोचेंगे कि देश की सरकार का निर्माण उन्होंने किया है ।

मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री इस पर तत्परता से विचार करेंगे और इस विधेयक को समर्थन सदन में तथा उससे बाहर भी मिलेगा ।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : When our youngmen of 18 can face the bullets on our borders and can act as President and Secretaries in unions of universities, why cannot they enjoy the right of voting ? If we want to further strengthen our democracy we must give right of vote to our youths who have attained the age of 18. The Asian youth leaders struggled in England and achieved voting right at 18. It is necessary that elected representatives should act as Prime and Chief Minister. It is not good to wind up Rajya Sabha

The majority in Punjab decided to abolish second chamber. It has also been in a few other States. But it has been demanded in some States like Madhya Pradesh that there should be two houses These members of houses are elected by the elected representatives. The Parliament should decide whether the States should have two houses.

Lakhs of signatures are being obtained in order to get the voting right for youth of 18. The Government should consider it and give them the voting right.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस बारे में कोई विवाद नहीं कि मुख्य मंत्री तथा प्रधान मन्त्री चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही बने । मेरा सुझाव है कि यह कार्य परम्पराओं से ही हो क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं कि इस प्रकार के नियम की अवहेलना करना आवश्यक हो जाये । विधान में संशोधन द्वारा यह कार्य न करने परम्परा द्वारा करना ही श्रेयस्कर है जैसा कि अनेक देशों में किया गया है ।

श्री बलराज मधोक : यह ब्रिटेन में हुआ है यहां कोई संविधान ही नहीं.....

श्री रा० धो० भण्डारे : परन्तु अन्य देशों में भी है । मैं सिद्धान्ततः विधेयक से सहमत हूँ । विधेयक वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह परम्पराओं द्वारा ही सम्भव है ।

जहां तक मताधिकार के विस्तार का प्रश्न है, मेरा मत है कि अभी शिक्षा का उतना प्रसार नहीं हुआ कि ऐसा किया जा सके ।

Shri Shashi Bhushan : When an old illitrate person of 70 can vote, why cannot educated youngmen be allowed to vote at 18 ?

श्री रा० ढो० भण्डारे : यदि हम धारा 14 का संशोधन नहीं करते तो शिक्षित और अशिक्षित के मध्य भेद नहीं कर सकते । उसका संशोधन हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है । इस प्रकार मताधिकार के विस्तार से पढ़ें लिखे तथा बिना पढ़े लिखे में भेद नहीं किया जा सकेगा । अतएव जबतक शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ता दूसरे देशों के उदाहरण देने से क्या लाभ ? हम अमरीकी जीवन एवं अमरीकी राजनीतिक स्थिति को अपने देश के लिये उचित नहीं समझते ।

इसलिये मैं विधेयक का विरोध करता हूँ ।

श्री के० नारायण राव : मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को ही बनाया जाय । इस देश में तथा प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले कई अन्य देशों में दूसरे सदन विद्यमान हैं जिसके सदस्य वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं जो नवयुवक जन प्रतिनिधियों की कार्यवाही पर नियंत्रण रखते हैं ।

हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि मंत्रिमण्डल लोक सभा अथवा विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है । इसलिए प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जनता द्वारा निर्वाचित सदन से ही लिए जाने चाहिये । परन्तु इसे हम सभी परिस्थितियों में नहीं निभा सकते । ऐसे अवसर आ सकते हैं जब यह आवश्यक हो जाए कि दूसरे सदन के सदस्य को प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री बनाना पड़े । परन्तु ऐसी स्थिति में उन नेताओं को शीघ्र ही लोक सभा अथवा विधान सभा की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए । मन्त्री भी मुख्य रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन से ही लिए जाने चाहिए ।

मताधिकार के विस्तार के बारे में मेरा विचार है कि हमारे देश में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम है । मताधिकार का प्रयोग पांच वर्ष में एक बार किया जाता है उससे छात्र समुदाय का कोई विशेष लाभ नहीं होगा । उनकी कई इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, तथा उनकी अनेक असुविधाएं हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमारे देश में व्यक्तिगत अभिरूचि पर कम ध्यान दिया जाता है । मतदान भी वर्गीय अथवा जातीय आधार पर होता है । इससे व्यक्ति का निर्णय लेने की प्रक्रिया को आघात पहुंचता है । मतदान के प्रस्तावित विस्तार से लाभ नहीं होगा ।

श्री हुमायून् कबिर (बसिहाट) : प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री निर्वाचित सदस्य हो इस बारे में कानून की आवश्यकता नहीं । इसके लिये अपवाद रूप से व्यवस्था रहनी चाहिए । पहले ही हमारे यहां व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति मंत्री का पद संभालता है उसे कुछ अवधि के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए । इस समय तो राज्य सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य बनाकर इस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है । यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है कि सरकार का प्रधान निम्न सदन का सदस्य हो तो इससे कार्य चल सकता है ।

आज युवा वर्ग सरकार के संचालन में सक्रिय भाग लेने को उत्सुक है । युवकों की समस्या

विश्व-व्यापी है। आज से तीस चालीस वर्ष पहले 13-14 वर्ष के किशोरों को खेतों में या फैक्टरियों में कार्य करना पड़ता था। अब अधिक अवधि तक युवक विद्यार्थी रहते हैं। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा पहले-पहल 6-11 वर्ष की अवस्था तक अनिवार्य थी। यह अवस्था क्रमशः 12, 14, 15, वर्ष तक बढ़ाई गई और अब 16 वर्ष तक बढ़ाने की मांग है। अमरीका में यह अवस्था 16 वर्ष है और रूस में 14 वर्ष से 11 वर्ष तक बढ़ाई जा रही है।

हमारे संविधान में 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है परन्तु व्यवहार में 11 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा नहीं दे पा रहे।

आज युवकों में उत्साह, आदर्श और महान शक्ति है परन्तु उनमें अनुभव का अभाव है। आज एक देश में लिये गये निर्णयों का अभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है इससे संसदीय-कार्य व्यवस्था कठिन बन गई है। इन्डोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने स्नातकों के लिए 21, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए 25, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए 30 तथा सामान्य जनों के लिए 35 वर्ष मताधिकार की अवधि नियत की।

मैं श्री मधुलिमये के इस संशोधन का, कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाये, समर्थन करता हूँ। इससे विधेयक बना भी रहेगा और जनता की राय जानने पर इस पर कार्यवाही हो सकेगी।

श्री नम्बियार : मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ तथा प्रस्तावक से अनुरोध करता हूँ कि इसके परिचालन का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। मेरा दल दूसरे सदन को समाप्त करने के पक्ष में है तथा हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही बने।

यदि साधारण व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया जाता है तो उसे छः मास में निर्वाचन लड़ना चाहिए और विफलता की दशा में अपना पद त्याग देना चाहिए।

विधि मंत्री को इसे स्वीकार करना चाहिये। यदि वह इसके परिचालन को स्वीकार कर लेते हैं तो इसे हम अपनी सफलता मानेगें।

मताधिकार के बारे में मेरा विचार है कि जब 18 वर्ष के व्यक्ति को सम्पत्ति अधिकार तथा नौकरी के अधिकार उपलब्ध हैं तब भला उसे मताधिकार से वंचित क्यों रखा जाए।

प्रौढ़ व्यक्तियों को भय है कि युवक इस राजनीतिक अधिकार का दुरुपयोग करेगें। मेरा मन्तव्य है कि इसमें भय की कोई बात नहीं तथा इससे कई समस्याओं का हल होगा।

मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विधेयक को परिचालित करें।

Shri Sheo Narain (Basti) : If our democracy has to survive we must train our students to take charge of the administration. They should be made habitual to work for longer hours. Tell them to prepare themselves for shouldering the responsibility of the State Government ; and holding the charge of the Prime Minister or Finance Minister.

The Chief Minister or the Prime Minister should not be appointed from upper House. I congratulate the Bengal Government for doing away with second chamber. I request the Government to do away with Rajya Sabha here and upper Houses in the States.

Shri Madhu Limaye has proposed that this Bill be circulated. I oppose it on the plea that it will delay the matter. At the most refer it to a select committee.

Every college or university student today is prepared to shoulder the responsibility. These proposals, if accepted, would remove the indiscipline.

I also support the proposal that the Prime Minister and Chief Minister should be elected members.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : In the struggle from freedom our youngsters were always in the forefront. In the 1942 revolution and also in other national revolutions the young boys had led the country.

In elections the political parties make use of students in their vote catching campaigns but they themselves are not recognised as voters.

Whenever, there is danger to the security of the country the university students are always in the forefront. When they are performing their duties, they should also be given their rights.

I aiso support the proposals to abolish the upper Houses in the States.

I support the Bill and agree with Shri Madhu Limaye that it be circulated for eliciting public opinion.

Shri Madhu Limaye : Where we were fighting for our freedom the membership of Congress was open to youngmen of 18. I learn that it prevails even now. When the age of membership of political parties is 18, why should the voting right not be given at 18. In case the hon. Minister is going to take up this Bill, I am prepared to withdraw my amendment. In the other case the proposal for circulation may be accepted.

The second important aspect of this Bill is that the Prime Minister and Chief Minister should be elected from popular Houses.

The spirit of constitution was first violated by the Congress Party in respect of appointment of Rajaji.

That process was repeated at the death of **Shri Lal Bahadur Shastri** when such a person was appointed as Prime Minister who was not a member of this House.

All other Ministers are appointed on the advice of Prime Minister or Chief Minister. They are responsible to the Lok Sabha or Vidhan Sabha. If the head of any Government is not member of the popular House, it means that Article 164 of the Constitution is no longer prevailing. We take up no confidence motion in this House and that is not taken up in Rajya Sabha. There was unanimity in respect of the defection committee report. If the Government would bring forward a Bill in this regard, we should consider withdrawing the present Bill.

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 5 मई, 1969/15 बैसाख 1891(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, May 5, 1969/ Vaisakha 15, 1891 (Saka).

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।